लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th S
LOK SABHA DEBATE

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

PARLIAMENT LIBRARY
73(8)
16-1-74

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 52—मंगलवार, 8 मई, 1973/18 वैशाख, 1895 (शक)

No. 52—*Tuesday, May* 8, 1973/*Vaisakha* 18, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1001	सांस्कृतिक सम्बन्धों की विश्व परिषद् द्वारा रेल-यात्रा सम्बन्धी रियायत दिये जाने के लिए अनुरोध	Request for Rail Concession made by World Council for Cultural Relations	1-2
1002	दामणगगा नदी के जल के उपयोग के लिए एक सिंचाई परियोजना की स्थापना में गोवा-गुजरात का सहयोग	Goa-Gujarat Collaboration in Setting up an Irrigation Project to utlise the Water of Damanagaga . .	2-4
1003	मैसूर और आंन्ध प्रदेश राज्यों में रेलवे लाइनों के परिवर्तन की परियोजनाएं	Names of Railway Projects for Conversion in States of Mysore and Andhra Pradesh	4-6
1004	सोन नदी के जल के बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वितरण के बारे में केन्द्रीय सरकार के नये प्रस्ताव पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया	Reaction of Bihar Government to the New proposal of the Central Government Re : Sharing of waters of Sone River among Bihar, M. P. and U. P. . .	6-10
1005	निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन	Changes in the Election Procedure	10-13
1006	औषध निर्माता फर्मों को क्षमता के उल्लेख के बिना जारी किये गये अनुमति पत्र	Permission Letters issue to Drug Manufacturing Firms without specifying the capacity	13-14
1007	मनीपुर में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation facilities in Manipur	14-16
1008	पंजाब में ग्रामीण विद्युतिकरण	Electrification of Villages in Punjab	16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	PAGES
1009	दिल्ली बाढ़ नियंत्रण स्कंध के श्रमिकों के मजदूर संघ को मान्यता	Recognition of Trade Union of Workers of Delhi Flood Control Wing . . .	16-17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1(a)—12 L. S. S./73

73

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1010	माल यातायात में वृद्धि	Increase in Goods Traffic	17
1011	वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार	Renovation of Varanasi Cantt. Railway Station . .	17
1012	दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटा इलैक्ट्रिकल लोको शेड के लोको (इंजिन) संख्या 245, 248 और 730 का जल जाना	Burning of Loco Nos. 245, 248 and 730 of Tata Electrical Loco Shed of South Eastern Railway	17-18
1013	दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों द्वारा मार्च, 1973 में हड़ताल	Strike by employees of Southern Railway in March, 1973	18
1014	बन्देल-बरहरवा तथा बन्देल-कटवा सैक्शनों (पूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण	Electrification of Bandel-Barharwa and Bandel-Katwa Sections (Eastern Railways)	18-19
1015	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और उसके हड़ताली कर्मचारियों के बीच विवाद में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप के लिये अनुरोध	Request for Central Governments intervention in the dispute between Haryana State Electricity Board and its Striking employees . .	19
1016	पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को धक्का लगना	Set-back to Rural Electification Programme in West Bengal	19-20
1017	क्षिण एक्सप्रेस रेलगाड़ी के यात्रियों का घायल होना	Injury to Passengers of Dakshin Express	20
1018	चुनाओं के खर्चे के बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री का वक्तव्य	Statement of Union Home Minister regarding Expenses on Elections . . .	20-21
1019	दिल्ली में विद्युत विशेषज्ञों का सम्मेलन	Conference of Power Experts held in Delhi . . .	21
1020	उर्वरक उद्योग में अधिकाधिक पूंजी लगाए जाने के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सार्थसमूह की स्थापना	Setting up of a Consortium of Public Finance Institutions of Pump in Massive Investment into Fertilizer Industry .	21

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.			
9457	राउरकेला स्टील फैक्टरी द्वारा बरौनी में बोरिंग पाइपों के वैगन मंगाने वालों से अर्जित डैमरेज	Demurrage earned from the Indentors of Wagons Containing Boring Pipes at Barauni sent by Rourkela Steel Plant	22
9458	औद्योगिक अलकोहोल की कमी दूर करने के लिए अमरीका से कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material from U. S. for meeting the Shortage of Industrial Alcohol . .	22
9459	महाराष्ट्र में स्वीकृत सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects Sanctioned in Maharashtra . . .	23
9460	नागपुर के रास्ते बम्बई और कलकत्ता के बीच एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलना	Introduction of Janta Express Train between Bombay and Calcutta *Via* Nagpur . .	23

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9461	महाराष्ट्र के बुलडेना और अकोला जिलों में गावों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Buldena and Akola Districts in Maharashtra . .	23
9462	पूर्वी रेलवे के हावड़ा-कटवा सबर्बन सेक्शन के यात्री संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Passengers' Association of Howrah-Katwa Suburban Section of Eastern Railway . .	24
9463	मरकारा होते हुए मैसूर से तेल्लीचेरी तक रेलवे लाइन	Railway line from Mysore to Tellicherry *via* Mercara .	24
9464	रेलवे के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का अध्यापन	Teaching of Hindi to non-Hindi knowing Staff of Railways	24
9465	तमिलनाडु में मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects Sanctioned in Tamil Nadu . .	25
9466	कलकत्ता में बिजली संकट	Power Crisis in Calcutta .	25
9467	बरौनी तेलशोधक कारखाने में पैट्रोलियम कोक के भंडार का उपयोग किया जाना	Utilisation of Stock of Petroleum Coke at Barauni Refinery	26
9468	औषधियों के फुटकर मूल्यों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage of increase in Retail Prices of Drugs .	26
9469	रसायनों की खरीद तथा बिक्री के सम्बन्ध में मैसर्स फिजर लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही	Action against M/s Pfizer Ltd. for purchasing and Marketing Chemicals . .	26-27
9470	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा एम्पीसीलिन का निर्माण करने के लिये विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration for Manufacture of Ampicillin by Hindustan Antibiotics Ltd.	27-28
9471	लाइसेंसों की मदों का निर्माण न करने के लिये औषधी निर्माता फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही	Action against Firms for not manufacturing items covered by licence . . .	28
9472	औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष फर्मों/व्यक्तियों के नाम	Names of Firms/Persons convicted for contravention of Drug (Price Control) Order	28
9473	स्टालकीपरों तथा वेंडरों की कमीशन दरों में वृद्धि	Upward Revision of Commission Rates of Stall Keepers and Vendors . . .	29
9474	पेट्रो-रसायन लघु उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करना	Meeting raw material requirements of Small Scale Sector Petro-Chemical Industries .	29
9475	मुज्जफ्फरनगर में न्यू मण्डी और सिटी ऐरिया के बीच ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Over Bridge at Muzaffarnagar between New Mandi and City Area.	29-30
9476	पश्चिम रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents on Western Railway	30

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9477	मध्य रेलवे में बिना शेड के प्लेटफार्म	Platforms without Shed on Central Railway . .	30
9478	दक्षिण रेलवे को 1 जुलाई से दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में बाढ़ के कारण हानि	Loss to Southern Railway due to Floods from 1st July to December, 1972 . .	30
9479	अहमदाबाद स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के वाणिज्यिक लिपिक द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस	Notice of Hunger Strike by Commercial Clerk of Ahmedabad Station (Western Railway)	31
9480	कम माल निकलने के कारण मुगलसराय स्टेशन पर गुड्स क्लर्कों के नाम डाली गई राशियां	Amount debited to Goods Clerks at Mugalsarai Station for Shortages . . .	31-32
9481	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध	Monographs on the working of the Min. of Irrigation and Power	32-33
9482	रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध	Monographs on the working of the Ministry of Railways	33
9483	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध	Monographs on the working of the Ministry of Petroleum and Chemicals . . .	33-34
9484	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कार्य पर निबन्ध	Monographs on the working of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs	34
9485	गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश	Investment in Private Sector	34
9486	सराय रोहिल्ला स्टेशन, दिल्ली के हैल्थ इंस्पैक्टर के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against Health Inspectors, Delhi Sarai Rohilla Station . . .	35
9487	चीनी उद्योग में आवश्यकता से कम पूंजी वाली कम्पनियां	Under-Capitalised concerns in Sugar Industry . . .	35
9488	उड़ीसा से हावड़ा के लिये विशेष गाड़ियां	Special Trains from Orissa to Howrah	35
9489	सिंचाई के लिए गुरपुर नदी पर बांध	Dam on Gurpur River for Irrigation	35-36
9490	राजस्थान के परमाणु बिजलीघर कोटा से तहसीलों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Tehsils from Rajasthan Atomic Power Station, Kotah .	36
9491	इंजीनियरिंग तथा एस० एण्ड टी० इंस्पेक्टरों को दिये गये पुरस्कारों का सेवा रिकार्डों के लिये गिना जाना (उत्तर रेलवे)	Award to Engineering and S. & T. Inspectors to count for Service Records (Northern Railway)	36
9492	इंस्पैक्टर टेलीग्राफ ट्रैफिक मद्रास सेन्ट्रल के विरुद्ध शिकायत की जांच	Investigation of complaint against Inspector Telegraph Traffic, Madras Central . .	37

अ० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9493	दक्षिण रेलवे में विधि स्नातकों की भर्ती	Recruitment of law Graduates on Southern Railway .	37
9494	मद्रास और मद्रास एगमोर में सिग्नेलरों के विरुद्ध सतर्कता का मामला	Vigilence Case against Signallers at Madras and Madras Egmore	37-38
9495	रबड़ कारखाना स्थापित करने के लिये भारत और कनाडा के बीच करार	Agreement between India and Canada for setting up Rubber Plant . . .	38
9496	तटदूर तेल की खोज के कार्य में विदेशी सहयोग के बारे में मालवीय समिति की चेतावनी	Malaviya Committee's warning regarding Collaboration in off-shore Exploration .	38
9497	दमदम क्षेत्र में डाइनामाइट के बड़े भंडार का पता लगाना	Discovery of huge Stocks of Dynamites in Dum Dum Area	39-39
9498	जामनगर के प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material in Plastic Industry at Jamnagar	39
9499	उत्तर रेलवे के ए० पी० डब्ल्यू० आईज की वरिष्ठता निर्धारित करना .	Fixation of Seniority of AP WIS of Northern Railway .	39
9500	संयुक्तराष्ट्र के विशेषज्ञों के परामर्श से समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन के बारे में अध्ययन	Study regarding Tidal Power Generation in Consultation with U. N. Experts .	39-40
9501	फैजाबाद छावनी क्षेत्र में गुप्ता घाट पर बिजली का प्रबन्ध	Electricity at Gupta Ghat in Faizabad Cantonment Area	40
9502	अयोध्या के पुल पर रोशनी का प्रबंन्ध	Lighting provision on Bridge on Ajudhia . . .	40
9503	रेलवे सुरक्षा दल की बटालियन नं 2 के असिस्टेंट इंस्पेक्टरों के पद सम्बन्धी मैरिट लिस्ट का रद्द किया जाना	Cancellation of Merit List for the post of Assistant Inspectors of Batallion No. 2 R.S.F.	40
9504	बीरामण्डी रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाने से श्री विनोद दास की मृत्यु	Death of Shri Benod Das as a result of firing by R. P. F. at Biramandi Railway Station (West Bengal) . . .	41
9505	कासगंज से मथुरा और हाथरस से अलीगढ़ सेक्शनों के रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय जेबकतरों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against pick-pockets active on Railway Stations on Kasganj-Mathura and Hathras -Aligarh Sections .	41-42
9506	मध्य प्रदेश में बेरोजगार इंजीनियरों को वर्ष 1972 के दौरान दी गई पेट्रोल पम्पों तथा गैस की एजेंसिया	Unemployed Engineers in Madhya Pradesh given agencies for Petrol Pumps and Gas during 1972 . .	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9507	लखनऊ बैंच को पुनः लखनऊ में रखने के लिए अवध के वकीलों का प्रधान मंत्री से अनुरोध	Request by Oudh Lawyers to Prime Minister to restore Luwknow Bench at Lucknow	42
9508	1952 से अब तक कराये गये काम और मध्यावधि चुनाव	Number of General and Mid-term Elections held Since 1952	42-43
9509	तेल सम्बन्धी खोज के लिये अलग मंत्रालय बनाया जाना	Creation of a Separate Ministry of Oil Exploration . .	43
9510	मध्य प्रदेश की रूई मिलों में कोयले के स्टाक की गम्भीर स्थिति	Critical position of Coal Stock in Madhya Pradesh Cotton Mills.	44
9511	भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा स्थापित अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र वेधशालाएं	Study-*cum*-Research Centres/ Observatories set up by Indo.Bangladesh Joint River Commissions . . .	44
9512	पश्चिम बंगाल की कुछ फर्मों में से श्री हरिदास मूंदडा द्वारा धोखे से कथित धन निकाला जाना	Amounts allegedly removed fraudulently by Shri Haridas Mundra from certain West Bengal concerns . .	44-45
9513	डी० सी० एम० दल द्वारा साची (मध्यप्रदेश) में कास्टिक सोडा कारखाने की स्थापना करना	Setting up of a Caustic Soda Factory in Sanchi (M. P.) by D.C.M. . . .	45
9514	भारत में ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनियों के शेयर खरीदने पर श्री कल्याण वसु पर प्रतिबन्ध	Restraints on Shri Kalyan Basu from purchasing Shares of British owned companies in India	46
9515	श्री कल्याण बसु पर कलकत्ता से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Shri Kalyan Basu for coming out of Calcutta.	46
9516	बर्दबान-कटवा और कटवा-अहमदपुर नेरो गेज लाइनों (पूर्वी रेलवे) की रेलवे भूमि को रेलवे कर्मचारियों में वितरित करना	Distribution of Railways land to Railway employees on Burdwan-Katwa and Katwa-Ahmedpur narrow gauge lines (Eastern Railway) .	46-47
9517	गुजरात के तट पर विदेशी सहायता से तट-दूर टर्मिनल बनाना	Building of off-Shore terminal on Gujarat Coast with Foreign assistance . . .	47
9520	औद्योगिक अल्कोहोल के उत्पादन में वृद्धि	Increasing of production of Industrial alcohol . .	47
9521	भारतीय उर्वरक निगम के माध्यम से उर्वरक का आयात	Import of fertilizer through F.C.I.	48
9522	केरल में रेल्वे स्टेशनों की विस्तार और उनकी मरम्मत	Expansion & repair of Stations in Kerala . . .	48

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9523	सर्वोच्च न्यायालय का एक बैंच दक्षिण भारत में स्थापित करना	Setting up of a Bench of Supreme Court in South .	48
9524	एस्सो द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग	Increase in Crude Price Sought by ESSO. . .	48-49
9525	बिहार में फाल्गु नदी पर उधारा-अस्थान बांध से नहर निकालने के बारे में योजना	Scheme Re: Canal Extension from Udhara-Asthan Barrage on Falgu River in Bihar .	49
9526	दिल्ली स्थित बदरपुर बिजली घर में आग	Fire in Baderpur Power Station, Delhi	49
9527	अनाज की ढुलाई के लिये रेलवे वैगन	Railway Wagons for transportation of foodgrains . .	49-50
9528	26 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों द्वारा लाईसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन	Production in excess of licence capacities granted to drug manufacturing firms with foreign equity exceeding 26 percent	50-51
9529	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों को दिये गये प्रत्येक सी० ओ० बी० लाइसेंस की क्षमता और बिक्री मूल्य	Capacity and Sales value covered by each C.O.B. licences granted to drug firms with foreign equity exceeding 26 percent. . . .	51
9530	मणिपुर और त्रिपुरा की बार एसोसिएशनों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उन राज्यों में न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन के समय संरक्षण के लिए अनुरोध	Request by the Bar Associations of Manipur and Tripura for protection at the time of change in the judicial system in those States consequent upon the reorganisations of North East areas . . .	52-52
9531	आसाम मेल तथा अन्य रेल गाडियों में मनीपुर के लिए विशेष बोगियां जोड़ना	Attaching special bogies for Manipur to Assam Mail and other Trains . . .	52
9532	दीनापुर क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा मनीपुर के यात्रियों को तंग किया जाना	Harassment of Manipur passengers by Railway Staff in Dinapur Sector . . .	52
9533	पेट्रालियम और रसायन मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारियों के वेतनमान तथा उन्हें स्थायी बनाना	Pay Scales of Hindi Staff and their Confirmation in Petroleum and Chemicals Ministry	52-53
9534	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में कार्य कर रहे हिंदी कर्मचारी	Hindi Staff working in Ministry of Irrigation and Power .	53-54
9535	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतनमान	Total number of Pay Scales of Hindi Staff in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs . . .	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9536	रेल मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारियों के वेतनमान	Scales of Hindi Staff in Railway Ministry	55-56
9537	कोयले की ढुलाई से आय में कमी	Decrease in Railway income from transportation of coal	56
9538	'पोलिटिकल बैकिंग फार करप्ट रेलवे आफिसियल' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News report entitled "Political backing for Corrupt Railway Official"	56
9539	मोन नगर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर कोयले की चोरी	Theft of Coal at Mon-Nagar Railway Station (Eastern Rly.)	57
9540	इंडियन आयल कम्पनी के डीलर के पास जमा की गई जमानत राशि पर ब्याज का भुगतान	Payment of interest on Security money deposited with dealer of Indian Oil Company .	57
9541	"टेम्पोरेरी आफिसर्स वूज में हिट रेलवे वर्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report entitled "Temporary Officers woes may hit Railway Work" . .	58
9542	रामनौमी उत्सव पर अयोध्या में रेलवे का कथित कुप्रबन्ध	Alleged mismanagement by Railway at Ayudhya on Ram Naumi Festival .	58
9543	मुर्शिदाबाद जिला 'डाउन स्ट्रीम गंगा बैरेज' और औरंगाबाद में गंगा द्वारा भू-कटाव	Erosion of Ganga in Murshidabad District Down-Stream Ganga Barrage and Augrangabad . . .	59
9544	रेलवे उपकरण खरीदने के लिये भारत को दिये गये आई० डी० ए० ऋण का उपयोग	Utilisation of I. D. A. Credit to India for purchaging Railway equipment . . .	59-60
9545	फरक्का बांध अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति	Employment of Physicians in Farrakka Barrage Hospital	60
9546	न्यू फरक्का बैरेज रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म	Platform of New Farraka Barrage Railway Station	60
9547	फ्रन्टियर मेल/जनता तथा डीलक्स जैसी तेज रफ्तार गाड़ियों में यात्रा करने के लिये आरक्षण प्रभारों में वृद्धि	Increase in reservation charges for journey in fast trains like Frontier Mail, Janata and Deluxe Trains . . .	61
9548	उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णित मामले और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि	Cases pending with High Courts and increase in number of Judges of High Courts .	61-62
9549	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माल डिब्बों की आवश्यकता	Requirement of Railway Wagons during Fifth Five Year Plans . . .	62
9550	स्वतन्त्रता सेनानियों के स्मारकों की यात्रा करने के लिये यात्रा रियायतें देने के लिये मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत सोसायटियों द्वारा आवेदन-पत्र देना	Applications for grant of rail concessions for visit te memorial of freedom fighters by recognised and registered Societies	62-63

अता० प्र० सख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9551	खण्डवा-अजमेर ट्रेन में महू-उदयपुर बोगी का जोड़ा जाना	Attaching of Mhow-Udaipur bogie to Khanduwa-Ajmer Train	63
9552	मीटरगेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना तथा इससे मध्य प्रदेश को होने वाला लाभ	Conversion of M. G. Lines into Broad gauge lines and benefit to Madhya Pradesh	63-64
9553	हिमाचल प्रदेश में पनबिजली परियोजनाओं के लिये राशि का विशष आबंटन	Special allocations for Hydel Projects in Himachal Pradesh	64-65
9554	चार पंचवर्षीय योजनाओं में हिमाचल प्रदेश में बिछाई गई रेलवे लाइनें	Railway lines laid in Himachal Pradesh during Fourth Five Year Plan . . .	65
9555	तेउनी होकर जमनानगर से रोहरु तक (हिमाचल प्रदेश) होकर रेलवे लाइन	Railway line from Jamnagar to Rohru *via* Teuni (Himachal Pradesh) . . .	65
9556	महाप्रबन्धक पश्चिमी रेलवे द्वारा जयपुर में कर्मचारियों के सामने दिया गया भाषण	G. M.'s (Western Railway) address to Officers at Jaipur	65-66
9558	केरल में मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects sanctioned in Kerala	66
9559	भीलवाड़ा जिला (राजस्थान) में सिंचाई परियोजनाओं को सहायता	Assistance to Irrigation Projects in Bhilwara District (Rajasthan)	66-67
9560	चेतक एक्सप्रैस में वातानुकूलित कोच सेवा का बन्द किया जाना	Discontinuance of Air-conditioned Coach in Chetak Express	67
9561	राजस्थान के भीलवाड़ा के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural electrification Scheme for Bhilwara in Rajasthan.	67
9562	अजमेर में उपनगरीय क्षेत्र में रह रहे रेल कर्मचारियों को निशुल्क आवासीय कार्ड पास	Free Residential Card Passes to Railway employees residing in Ajmer Sub-urban area	67-68
9663	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के इंजन परिचालक वर्ग द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Loco Running Staff of Delhi Division (Northern Railway) . .	68
9564	कम्पनियों में प्रबन्ध मंडल	Board of Management of Companies	68-69
9565	'करपशन इन कोर्टस् इन इंडिया' नामक पुस्तक	Book entitled 'Corruption in Courts in India' . .	69
9566	मारुती लिमिटेड, हरियाणा के शेयर होल्डर	Share-holders of Maruti, Ltd., Haryana	9
9567	रेलवे में नई आरक्षण प्रणाली आरम्भ करना	Introduction of new reservation system on Railways . .	70
9568	रेलवे में क्षेत्रीय रेलवे सलाहकार समिति का गठन	Constitution of Zonal users Consultative Committee or Railways	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9569	मध्यप्रदेश में दक्षिण-पूर्व रेलवे का विस्तार	Expansion of South Eastern Raliway in Madhya Pradesh	70-71
9570	सफेद तेल के उत्पादन के लिये संयन्त्र की स्थापना	Setting up of plant to Produce White Oil	71
9571	सिंचाई परियोजनाओं के लिये स्थानों का चयन	Selection of Sites for Irrigation Projects	71
9572	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादकों द्वारा अमोनियम सल्फेट की ऊंची उत्पादन लागत	gh Cost of production of Ammonium Sulphate by Public Sector fertilizer producers	71-72
9573	राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के संवर्धन की सराहना	Commendation of promotion work of Fertilizer Corporation of India by National Agricultural Commission .	72
9574	उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि	Amount Sanctioned by North Bengal Flood Control Commission	72-73
9575	न्यु कूच बिहार से गीतलदाह और बामनघाट तक मीटर गेज लाइन को बदलना	Conversion of Metre guage line from New Cooch Behar to Gitaldah and Bamanghat .	73
9576	सीकर से दिल्ली तक एक तीसरे दर्जे का अतिरिक्त यात्री डिब्बा लगाया जाना	Attachment of an additional Third Class Coach from Sikar to Delhi . . .	73-74
9577	आल इंडिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का एक केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के लिये अनुरोध	All India Power Engineers Association urge for full fledged Central Ministry .	74
9578	मध्य रेलवे में खामगांव के निकट रेल-बस दुर्घटना	Rail-Bus accident near Khamgoan on Central Railway .	74
9579	कोयाली में पेट्रो-रसायन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	Setting up of Petro-chemical Research Centre at Koyali	75
9580	गंगा तथा पद्मा नदियों के पानी से गांवों को डूबने से बचाने के लिये योजना	Scheme to prevent Swallowing up of Villages by Ganges and Padama Rivers . .	75
9581	शो वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की आर० जी० शो एण्ड कम्पनी को बिक्री	Sale of Shares of Shaw Wallace and Co. to R. G. Shaw and Co.	76
9582	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्पादित उर्वरक तथा गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से उनका वितरण	Fertilizer produced by F. C. I. and distributed through private dealers . . .	76-77

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9583	भारतीय उर्वरक निगम के ढांचे, कृत्य तथा उपलब्धियों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति की सिफारिशें	Recommendations of Action Committee on Public Enterprises re:Structure, function and achievement of F.C.I. .	77
9584	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा कैटेलिस्ट के निर्माण के लिये प्रौद्योगिकी जानकारी का विकास	Development of know-how technology for Catalyst manufacture by Sindri Unit of F.C.I.	78
9585	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विकसित नाइट्रो फास्फेट उर्वरक के उत्पादन की तकनीकी	Technique of Nitrophosphate Fertilizer Production developed by F.C.I. . .	78-79
9586	शाहबाद, वाडी, चितापुर और सडम (मसूर) की खादानों के लिये वैगनों की सप्लाई	Supply of Wagons for quarries at Shahabad, Wadi, Chitapur and Sadam (Mysore) .	79
9587	गुलबर्गा स्टेशन (मैसूर) का नवीकरण	Re-modelling of Gulbarga Station (Mysore) . .	79-80
9588	मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बणसागर परियोजना का निर्माण	Construction of Bansagar Project on Sone River in M. P.	80
9589	बड़े तापीय बिजलीघरों के लिये स्थान का चुनाव	Selection of Sites for large Thermal Power Stations .	80
9590	रेलव द्वारा बिजली के जेनरेटरों का लगाया जाना	Location of Railways Power generators electrification of Railway lines . . .	81
9591	समुद्र तट से दूर छिद्रण के लिये जापानी फर्म से प्राप्त किया गया छिद्रण प्लेटफार्म	Drilling platform obtained from Japanese Firm for Offshore Drilling	81
9592	तेलशोधक कारखानों के स्थल और उनकी क्षमता तथा विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौतों को रद्द करना	Location and Capacities of Oil Refineries and termination of agreement with Foreign Oil Companies . . .	82-83
9593	राजस्थान में उदयपुर डिवीजन में देवास्योराना परियोजना	Davasyorana Project in Udaipur Division in Rajasthan. .	83-84
9594	उदयपुर, राजस्थान में जय समन्द फीडर परियोजना	Jai Samand Feeder Project in Udaipur Rajasthan . .	84
9595	मवाली जंक्शन (अजमेर डिवीजन) स्थित एक निरामिष जलपान गृह के ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करना	Cancellation of licence of Vegetarian Refreshment Room Contractor at Mavali Junction (Ajmer Division) . .	84
9596	एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में परिवर्तन	Changes in Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	84-85

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9598	राज्यों में काबेरी नदी के जल के बंटवारे पर वार्ता	Talks on Sharing of Cauvery Waters amongst States .	85
9599	बरौनी तेल शोधक कारखाने में 'कैलसीनेटर' की उत्पादन क्षमता और 1972-73 में उत्पादित "कैलसिंड पेट्रोलियम कोक" की कुल मात्रा . .	Production Capacity of Calinator at Barauni Refinery and Total amount of Claimed petroleum coke produced during 1972-73 . . .	85
9601	पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोंकण रेलवे परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Konkan Railway Project within Fifth Plan Period . .	86
9602	तमिलनाडु में चेंगलपट से गोंगी होते हुए चाइना सलेम तक रेलवे लाइन	Railway line from Chengelput to China Salem *via* Gongee in Tamil Nadu . . .	86
9603	उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम की क्रियान्विति	Implementation of Fertilizer Promotion Programme .	86-87
9604	सिंचाई के लिये प्राथमिकता के अनुसार, निधि का नियतन	Allocation of funds for according priority to irrigation	87
9605	मीटर गेज लाइनों को ब्राडगेज में बदलना	Conversion of metre guage into broad guage lines . .	87
9606	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक संवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलाप समाप्त करना	Withdrawal of fertilizer promotion activities by F. C.I.	87-88
9607	विश्व की महत्वपूर्ण राजधानियों में 'रेलवे परामर्शदाता	'Railway Advisers' in important Capitals of the World.	88
9608	जापान द्वारा येन में ऋण देने से इंकार किया जाना	Refusal of Yen Credit by Japan	88
9609	कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ी की सेवाओं को रद्द करना	Cancellation of Train Services due to Shortage of Coal .	89
9610	कावेरी जल विवाद को हल करने के लिये केरल, मैसूर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers of Kerala, Mysore and Tamil Nadu to discuss Solution of Cauvery Waters disputes.	89
9611	एकाधिकार आयोग को भेजे गये मामले	Cases referred to Monopolies Commission . . .	89-90
9612	4000 रुपये तथा इससे अधिक मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक	Managing Directors and wholetime Directors of Companies allowed monthly remuneration of Rs. 4,000 and above	90
9613	बर्दवान-कटवा और अहमदपुर-कटवा रेल-मार्गों (पूर्व रेलवे) पर सवारी गाड़ियों में सफाई और प्रकाश का बेहतर प्रबन्ध	Better sanitation and lighting arrangements for Passenger train on Burdwan-Katwa and Ahmedpur-Katwa routes (Eastern Railway) . .	90

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9614	अहमदपुर-कटवा सेक्शन पर बी० ए० के शटल गाड़ियों का देर से चलना		91
9615	राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Rajasthan	91-92
9616	श्री एम० सी० शीतलवाद द्वारा न्यायिक प्रशासन सुधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन	Report on improvements in the judicial administration Submitted by Shri M. C. Setalvad	93
9617	राजस्थान के पाली जिलेमें गांवों का विद्युतिकरण	Electrification of Villages in Pali District of Rajasthan	93-94
9618	राजस्थान के गांवों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Rajasthan Villages . . .	94
9619	राजस्थान के पाली जिले में वोडी नदी के किनारे-किनारे स्थित कुओं को बिजली की सप्लाई	Supply of electricity to wells on the banks of the Bodi River in Pali District of Rajasthan	94
9620	तोस्ता बांध परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करने के लिये पश्चिम बंगाल का अनुरोध	Request of West Bengal for inclusion of Testa Barrage Project under Central Sector	94-95
9621	पुरुलिया से हावड़ा, बरास्ता बांकुरा तथा खड़कपुर तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Introduction of an Express Train from Purulia to Howrah *via* Bankura and Kharagpur	95
9622	बिहार. में .व्यापक सिंचाई परियोजना	Extensive Irrigation Project in Bihar	95-96
9623	नई विद्युत परियोजनाओं के लिये राज्यों द्वारा अतिरिक्त धन की मांग	Extra funds asked by States for new Power Projects . .	97
9624	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Hindustan Antibiotics limited . . .	97
9625	205–280 रुपये और 130–240 रुपये के ग्रेड वाले सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा पदोन्नति स्वीकार न करना	Refusal to accept promotion by Assistant Station Master Grade Rs. 205—280 and Rs. 130—240. . . .	97-98
9626	रात्रि ड्यूटी तथा समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिये अन्तरिम सहायता	Consideration of Interim relief for payment of night duty and Overtime allowance .	98
9627	दिल्ली डिवीजन में ए० सी० सी० और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की साइडिंगस वैगनों को रोके रखना	Detention of Wagons of A.C.C. and Indian Iron and Steel Co. at Sidings in Delhi Division.	98-99
9628	पारादीप (उड़ीसा) में शोधनशाला की स्थापना करना	Setting up of refinery at Paradeep (Orissa)	

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 8 मई 1973/18 वैशाख, 1895 (शक)
Tuesday, May 8, 1973 / Vaisakha 18, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सांस्कृतिक संबंधों की विश्व परिषद् द्वारा रेल-यात्रा सम्बन्धी रियायत दिये जाने के लिए अनुरोध

+
*1001. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक सम्बन्धों की विश्व परिषद् द्वारा रजत जयन्ती वर्ष में स्वतन्त्रता सेनानी स्वामी विवेकानन्द के कन्याकुमारी स्थित स्मारक की यात्रा करने के लिए रेल-यात्रा सम्बन्धी रियायत दिए जाने के अनुरोध को वित्तीय कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था;

(ख) उक्त रियायत देने में कितना धन अन्तर्ग्रस्त था; और

(ग) क्या उक्त परिषद् का रेल-यात्रा रियायत देने सम्बन्धी अनुरोध सामान्य प्रकार का था या विशिष्ट प्रकार का था ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तीसरे दर्जे के किरायों में 50 प्रतिशत, दूसरे दर्जे में 25 प्रतिशत और पहले दर्जे में 15 प्रतिशत रियायत की दर से, इस पार्टी को दी जाने वाली रियायत का आर्थिक मूल्य तीसरे दर्जे में 1412 रु०, दूसरे दर्जे में 1470 रु० और पहले दर्जे में 1500 रु० होता।

(ग) अनुरोध विशिष्ट प्रकार का था जिसमें बीस व्यक्तियों की एक पार्टी के लिए जून, 1973 में नयी दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम और वापसी यात्रा के लिए रियायत मांगी गयी थी।

2—12 L.S.S./73

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या उक्त परिषद् को इस से पूर्व भी स्वामी विवेकानन्द स्मारक या भारत में अन्यत्र यात्रा के लिए रेल-यात्रा संबंधी रियायत दी गई थी और यदि हां, तो कब ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक उक्त स्मारक की यात्रा का संबंध है रियायत केवल गत वर्ष उसके उद्घाटन के समय ही दी गई थी और उसके बाद कोई रियायत नहीं दी गई। ये रियायतें अनेक प्रयोजनों के लिए दी जाती है परन्तु उक्त प्रयोजन के लिए रियायतें देना नए उदाहरण प्रस्तुत करने और उनके ऐसी मांगे किए जाने के विचार से नहीं दी गई। इसीलिए हम उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए।

Shri Phool Chand Verma : I want to know the party which asked for rail-concession during the Silver Jubilee Year and the extent of rail-concession given to students, the Historical Congress and the Science Congress annually? Had this party been given this concession I think the Railways would have incurred a loss of Rs. 1300/- only whereas Swami Vivekananda is a source of national inspiration. I, therefore, want to know the difficulty in granting such request to them particularly when it was made in the Silver Jubilee year of the World Council?

Shri L. N. Mishra : Although financial implications are there, it is not as much a matter of money. The total value of concessions allowed during a year exceeds two Crores of rupees. If such concessions were given during the Silver Jubilee year, it would have to be given to other also, Therefore, we did not want to set a new precedent, as I submitted earlier. In my Budget Speech also, I had stated that rail concession is given to students and athlets etc. and it would continue to be given.

Shri Jagannath Rao Joshi : Rail Concessions are given to the rich who go to *hill-stations* during summer for fun then by why a new precedent could not be created extending such concession for visit to Vivekananda Memorial which is going to become a symbol of national inspiration?

Shri L. N. Mishra : The esteem for Swami Vivekananda is by no means less in our minds and rail-concession was allowed during the inauguration of his memorial and people from all over the country had visited that Memorial. This request was regarding 20 persons travelling from Delhi to Trivendrum and then to Kanya Kumari and back. It was, therefore, considered that by acceding to this request we would be setting new precedents. However after reconsideration this would be done if hon. Member is serious about this matter.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please consider it favourably after rethinking.

Shri L. N. Mishra ; I have said that it would be done.

दामणगंगा नदी के जल के उपयोग के लिए एक सिंचाई परियोजना की स्थापना में गोवा-गुजरात का सहयोग

+

*1002. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामणगंगा नदी से जल के उपयोग के लिए एक सिंचाई परियोजना की स्थापना में गोवा प्रशासन और गुजरात सरकार ने सहयोग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र भी दोनों राज्यों की सहायता करने पर सहमत हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दमन गंगा परियोजना, गुजरात सरकार, दादरा और नगर हवेली का केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र और गोवा, दमन और दियु के संघ राज्य का एक संयुक्त उपक्रम, उनके अपनी–2 विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1972 में स्वीकृत की गई थी।

गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली योजना के लाभों और लागतों की निम्न-लिखित ढंग से बांटना परिकल्पित है :–

लागत बांटने के लिए मान्य सिद्धान्त ये हैं :–

	गुजरात	दादरा नगर हवेली	दमन	योग
लागत (करोड रुपये) . .	19.02	3.81	1.57	24.40
सिंचाई हैक्टेयर . .	36827	6880	2833	46540
जल–प्रदाय (एम० जी० डी०) . .	40	12.75	5.25	58

विद्युत्–एम मैगावाट (लाभ उठाने वालों द्वारा बाटी जाएगी) लागत बांटने के लिए मान्य सिद्धान्त ये है :—

(1) सिंचाई को प्रभारित की जाने वाली लागत (1566.38) लाख 91 (गुजरात): 17 (दादरा और नगर हवेली) : 7 (दमन) के अनुपात में बांटी गई है जैसे कि अपने 2 क्षत्रों में सिंचित भूमि के अनुपात थ।

(2) जल प्रदाय को प्रभारित बांध की लागत (276.42 लाख रुपय) इस अनुपात से बांटी गई है : 40 (गुजरात) : 18 (संघ राज्य)। संघ राज्यों में आगे विभाजन अपने-अपने जल प्रदाय की मात्रा पर आधारित नामश: 12.76 एम० जी० डी० (दादरा और नगर हवेली) और 5.25 एम० जी० डी० (दमन), ये 17.7 के अनुपात में है जैसे प्रत्येक क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के उसी अनुपात पर।

(3) नहरों की लागत (575.30 लाख रुपये) उपरोक्त एक के अनुसार उसी अनुपात में बांट दी जाती है।

(4) विद्युत् संघटकों की लागत (21.30 लाख रुपये) भी उपरोक्त एक के अनुसार उसी अनुपात में बांट दी जाती है। हैडवर्क्स की लागत का कोई भी भाग विद्युत् को आबंटित नहीं दिया गया है क्योंकि जल-विद्युत् की बहुत थोडी मात्रा का उत्पादन करना प्रस्तावित है।

परियोजना के पांचवीं योजना में पूर्ण होने की प्रत्याशा है। परियोजना पर परिव्यय प्रत्येक वर्ष संबंधित प्रशासनों के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत दिया जाएगा।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : उक्त बांध कहां बनाने का प्रस्ताव है, इसकी ऊंचाई क्या होगी और नीव की चौडाई क्या होगी ? कितना क्षेत्र जलमग्न होगा और यह ऊंचाई तथा चौडाई किस सिद्धान्त पर निश्चित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : खेद है कि मेरे पास बांध की चौडाई और जल मग्न क्षेत्र संबंधी आंकडे नहीं हैं परन्तु बांध की ऊंचाई और चौड़ाई क्षमता के अनुसार निश्चित की जाती है। यह बांध 1.15 लाख एकड की सिंचाई के लिए है और 5.80 करोड़ गैलन पानी की दैनिक सप्लाई करेगा। अत: हमारे पास संग्रह के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान है। इन्हीं आधारों पर यह ब्यौरा निश्चित किया जाता है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : गुज़रात सरकार ने इस योजना का मूल क्या प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा था और क्या इसे उसी रुपमें स्वीकार किया गया था या उसमें कोई परिवर्तन किया गया था, यदि किया गया था तो क्या ?

डा० के० एल० राव : इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस पर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के परामर्श से विचार किया गया था और स्वीकार करके मंजूर कर दिया गया था।

मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों में रेलवे लाइनों के परिवर्तन की परियोजनाएं

+

***1003. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में रेलवे लाइनों के परिवर्तन की किन किन परियोजनाओं पर इस समय कार्य हो रहा है; और

(ख) मैसूर राज्य में रेलवे लाइनों के परिवर्तन की स्वीकृत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) गुंतकल्लु–बेंगलूरु मीटर लाइन खंड का बडी लाइन में बदलाव जिसका एक भाग मैसूर में पडता है, इस परियोजना से सम्बन्धित काम पहले से ही चल रहा है।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : रेलवे ने 230 करोड रुपये की लागत से लगभग 3,200 किलोमीटर मीटरगेज लाइन को बडी लाइन में बदलने की भावी योजना बनाई है तो क्या विशेषकर रायल सीमा और मैसूर के भागों के द्रुत औद्योगिक विकास हेतु मंत्री महोदय गुंताकल-सिकन्दराबाद लाईन को बडी लाइन में बदलने पर भी विचार करेंगे या क्या इसे शीघ्र हाथ में लेने पर विचार करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : प्रश्न तो इसी सैक्शन के बारे में है और मैं बता ही चुका हूं कि वहां काम चालू है। यह मार्ग 280 किलोमीटर लम्बा है और साडे तीन वर्ष में पूरा होगा और इसपर साडे सत्रह करोड़ रुपये हमारे खर्च होंगे। नए सुझाव के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने बजट भाषण में स्वीकृत नए प्रस्तावों का उल्लेख कर चुका हूं। यदि यह प्रस्ताव उसमें शामिल हुआ तभी उसे लिया जा सकेगा। हमने 15–20 वर्ष तक की विस्तृत योजना बनाई हुई है जिसमें 3,200 किलोमीटर लाइनों को बडी लाइन में बदला जाएगा।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मेरा प्रश्न तो विशिष्ट था। क्योंकि बंगलोर मैसूर राज्य की राजधानी है और मंगलौर बन्दरगाह है परन्तु यह दोनों रेल से जुडे हुए नहीं हैं। हसन लाइन का अब निर्माण चल रहा है और मीटरगेज लाइन को बडी लाइन में बदलने की योजनाएं भी बन रही हैं। इसलिए मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या इसे बडी लाइन में बदला जाएगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने प्रस्तावित लाइनों की सूची देखी है और उसमें यह लाइन शामिल नहीं है।

श्री धर्मराव अफझलपुरकर : जबकि प्रश्न मैसूर और आंध्र के बारे में है, विवरण में केवल मैसूर का ही उल्लेख है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में ये योजनाएं क्या है और क्या बेलगाम से बंगलोर, शोलापूर से हुबली और हसन से मंगलोर तथा एक छोटी लाईन चिकबलपूर से बंगलौर तक बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने आंध्र और मैसूर राज्यों को मिलानेवाली लाईन का अध्ययन किया है। हमने कुछ सर्वेक्षण मंजूर किए हैं जो चालू हो चुके हैं। अन्य लाइनों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है परन्तु मेरे विचार में कोई अन्य नई लाइन नहीं बनाई जाने वाली है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ संसद्-सदस्यों का यह अभ्यावेदन उन्हें मिला है कि इन दो राजधानियों को बड़ी लाइन से मिलाने के कार्यक्रम के अंग के रूप में जहां गुंटाकल से बंगलौर तक के भाग में बडी लाइन बनाई जाएगी वहां गुंटाकल से सिकंदराबाद के भाग में भी बड़ी लाइन बनाई जाए।

दूसरे, क्या द्रोणाचलम से गुंतुर तक की मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में बदला जाएगा क्योंकि ये रायल सीमा जैसे पिछड़े क्षेत्र में हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं पहले ही बता चुका हूं कि गुंटाकल-बंगलौर लाइन का काम चालू है। 10 अन्य योजनाएं भावी योजना में हैं और उसमें अन्य अन्य लाइनों का कोई उल्लेख नहीं है। योजना तो निरन्तर चलने वाली है, अतः मैं इन पर विचार करूंगा।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह तो दो राजधानियों को बडी लाईन से मिलाने और मीटर गेज को बडी लाईन में बदलने की बात है और एक भाग पर तो काम पहले ही चल रहा है।

श्री एल० एन० मिश्र : अनेक राजधानियों में ऐसा ही है। जहां एक भाग बडी लाइन का है तो दूसरा मीटरगेज का है। इलाहाबाद और बनारस में भी ऐसा ही है। पांचवीं योजना में इसके लिए हमारे पास केवल 230 करोड की अतिरिक्त धनराशि ही उपलब्ध है और मैंने योजना आयोग को इसे बढाने के लिए लिखा हुआ है। यदि राशि बढा दी गई तब हम और लाइनों पर विचार करेंगे। वैसे नई लाइनें बनाने और छोटी को बडी में बदलने में लागत की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है ?

श्री एस० बी० गिरि : एक अन्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि आंध्र प्रदेश में कुछ लाइनों को बदलने की और कुछ नई लाइनों की मंजूरी दी गई है वे लाइन कौन सी हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने तो कहा था कि कुछ नई लाइनों के सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है।

श्री एस० बी० गिरि : वे लाइनें कौन सी है और क्या बीबीनगर-नडीकुडी लाइन भी उसमें शामिल है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो मैसूर और आंध्र में इस समय चल रही योजनाओं के बारे में है। यदि आप भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो पृथक प्रश्न भेज सकते हैं।

श्री एस० बी० गिरि : मंत्री महोदय ने नई लाइनों के सर्वेक्षण की बात कही थी। मैंने उनके नाम ही पूछे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : कुछ सर्वेक्षणों के आदेश दिए गए हैं परन्तु इस समय मेरे पास नाम नहीं है।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि वह कभी भी आंध्र और मैसूर की जनता की इच्छाओं का आदर नहीं करेंगे। मैसूर में अब भी छोटी लाइन चल रही है जो पुरानी हो चुकी है। हसन से मेंगलोर की नई लाइन भी मीटर गेज लाइन ही है। दक्षिण भारत के आंध्र और मैसूर जसे राज्यों में रेलवे लाइनों की सम्पूर्ण व्यवस्था पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है और हम बजट में रखी गई योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। अतः क्या मंत्री महोदय मैसूर और आंध्र में इस संबंध में वर्तमान व्यवस्था पर पुर्नविचार करके . . .**(व्यवधान)**

Shri L. N. Mishra : The hon. Member wants that we should reconsider the matter. As I have stated we could consider over any new scheme only when funds are received from the Planning Commission. At present we are helpless. We have decided to convert 10 Railway lines and to construct five new Railway lines. There are 15 schemes before us. We cannot undertake any other project now.

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : गत अवसर पर जब मिराज जंक्शन के कोयला चढ़ाने-उतारने के प्लेट फार्म की दुर्दशा के बारे में मैंने प्रश्न किया था तथा मंत्री महोदय से पूछा था कि उसका कब तक पुर्ननिर्माण कराया जायेगा तो मुझे बताया गया था कि मिराज से बंगलौर तक रेलवे लाइन के बदले जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये इस सम्बन्ध में तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। किन्तु अब बताया गया है कि मिराज से बंगलौर तक रेलवे लाइन को बदलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। उसका आशय वह हुआ कि वहां कभी कुछ नहीं किया जाएगा।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिराज से बेलगाव अथवा बंगलौर तक रेलव लाइन को बदले जाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा अथवा नहीं ? यदि आरम्भ किया जायेगा तो कब तक ?

श्री एल० एन० मिश्र : महोदय ! यह किसी एक सैक्शन पर लाइनों को बदलने का प्रश्न नहीं था बरन् सभी सैक्शनों पर रेलवे लाइनों को बदलने का प्रश्न था। जहां तक इस विशिष्ट सैक्शन का सम्बन्ध है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। रेलवे लाइनों के बदले जाने तथा नई रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में मेरे समक्ष वहीं परियोजनाएं हैं जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूं।

सोन नदी के जल के बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वितरण के बारे में केन्द्रीय सरकार के नए प्रस्ताव पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया

+

***1004. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी के जल के बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वितरण के बारे में केंद्रीय सरकार का नया प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अस्वीकृत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र का विचार सोन नदी के जल के रुख को बदलने के बारे में अपने मत का पुनरीक्षण करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए सोन नदी पर बनसागर परियोजना प्रस्तावित की है।

उत्तर प्रदेश सरकार यह अनुरोध करती आई है कि बनसागर परियोजना मिर्जापुर जिले में दुर्भिक्ष से पीडित पठारी क्षेत्रों को सिंचाई के लिए एक मात्र साधन है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि इस क्षेत्र के लिए भी सिंचाई की व्यवस्था हो जाए।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित बनसागर परियोजना पर बिहार सरकार ने विरोध प्रकट किया है, जिस में सोन के जल को दूसरे बेसिन में टोन्स नदी में व्यपवर्तन करना निहित है। यह इस तर्क पर किया है कि सोन के निचले भागों में जहां कि सप्लाई की स्थिति पहले से ही कठीन बताई गई है, बिहार में बृहत सिंचाई प्रणाली पर यह दुष्प्रभाव डालेगी।

इस परियोजना पर तीनों राज्यों के साथ विचार विमर्श किया गता है और सभी तीन राज्यों को स्वीकार्य प्रस्तावों को तयार करने के प्रयत्न जारी हैं और यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इन राज्यों के बीच कोई समझौता हो जाएगा।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Mr. Speaker, Sir, I have gone through the statement. In this context, I would like to know from the Hon. Minister as to when the construction of canal from river Sone was undertaken in Bihar and since when the state of Bihar has been utilising the waters of the said canal and what was the total acreage under irrigation?

Is it a fact that with the approval of Planning Commission of the Government of India in 1957-58, Sone Barrage was constructed in 1963 and the cost of it was Rs. 16 crores, and that a high level canal in being constructed therefrom? Is it also a fact that the construction of a dam at Bansagar would cause an obstruction in the irrigation facilities available to Bihar from Sone River?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : सोन नदी से सम्बन्धित सिंचाई के आंकड़ें स्पष्ट नहीं थे। पहले सिंचित भूमि का क्षेत्र लगभग 6 लाख एकड़ था। बाद में उत्पन्न हुई स्थिति को दखते हुए सभी मौसमों में लगभग 13 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर विचार करते समय हम पूरा भत्ता दे रहे हैं तथा जल की सप्लाई में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जहां तक 6 लाख एकड़ भूमि का सम्बन्ध है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा जो भी कार्यवाही की जायेगी उसमें पुराने सिंचित क्षेत्र को कोई हानि नहीं होने दी जाएगी।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the Hon. Minister whether Government of India has decided that water of any river being utilised for irrigation purposes would not be diverted to any other basin for generating electricity? If it is so, is it a fact that the water of Bansagar dam is being diverted to river Tons with the aim of producing electricity and not for providing irrigation facilities in Madhya Pradesh?

Is it also a fact that Bihar Government has mainly demanded that Hydro-Electric work should be undertaken by the Government of Madhya Pradesh at Bansagar when the said dam is being constructed if the Government of Madhya Pradesh are keenly interested in producing electricity? Is it also a fact that no area has been developed for irrigation in Madhya Pradesh and that it is the only source of irrigation for 24 lakh acres of land in the delta in our state...

Mr. Speaker : You are making a speech. Kindly come to the question.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I am putting my question. In view of the decision of the Government not to divert the water which is being utilised for irrigation, to any other place for the purpose of producing electricity and in view of the objections raised by the

Government of Bihar, may I know whether distribution of water is being done by the Government of India in such a way as the areas to which Government of Bihar have invited the attention of the Government could be irrigated?

डा० के० एल० राव : यह सामान्य नियम है कि जहां जल की सिंचाई के लिये आवश्यकता है वह उसका उपयोग केवल बिजली बनाने के लिये नहीं करने दिया जाए; अर्थात् सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। बनसागर के मामले में मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई के लिये, बिजली बनाने के लिये नहीं, दूसरी ओर ले जाना चाहती है। बिजली उत्पादन तो अनुषांगिक कार्य है। मार्ग में पानी एक स्थान पर नीचे गिरता है तथा उससे कुछ बिजली प्राप्त होती है। अतः यह संयोगवश है। अन्यथा मध्य प्रदेश रीवा क्षेत्र की सिंचाई के लिये जल चाहता है जिसके आधार पर बातचीत चल रही है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma: My question has not been replied to. May, I know whether Madhya Pradesh Government have submitted a proposal to divert the water of Bansagar dam to river Tons in order to produce electricity?

डा० के० एल० राव : मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में यही बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार रीवा क्षेत्र की सिंचाई के लिए कुछ पानी का रुख बदलना चाहती है क्योंकि यह क्षेत्र सदा से सूखा-ग्रस्त क्षेत्र समझा जाता है। यदि योगसेकुछबिजली भी उत्पन्न कर ली जाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री एम० कतामुत्तु : समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह विदित होता है कि पुरानी नहर पद्धति को बनाए रखने के लिए सोन सिंचाई समिति 90 लाख एकड़ फूट पानी की मांग कर रही है तथा प्रतीत होता है कि उनकी मांग को रद्द कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिक] समय तक चलेगा क्या अन्तिम समाधान खोजे जाने तक इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जायगा।

डा० के० एल० राव : पूर्व सिंचित क्षेत्र के लिये 50 लाख एकड़-फुट पानी की आवश्यकता है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। शेष के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

Shri Nathu Ram Ahirwar: May I know from the Hon. Minister whether it is a fact that all the rivers flowing in the Central India pass through Madhya Pradesh and that the large quantity of water of most of the rivers flowing from east to west belong to Madhya Pradesh? May I know whether Madhya Pradesh could even get water if such type of objections are raised constantly? The area in which Bansagar dam is being constructed could not get irrigation facilities for the last 25 years. It has been a chronically famine affected area. I want to know the steps being taken by the Government to remove the famine condition there.

Mr. Speaker: Your question should be well connected with the original question. It is upto the Hon. Minister to reply to it or not.

डा० के० एल० राव : यह सच है कि मध्य प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यह मध्य प्लेटू है तथा पूर्व-पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं में यहां से नदियां बहती हैं। यह कभी नहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश में इन नदियों के जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में इस समय मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं अत्यंत कम हैं अतः हमें इस पानी का उपयोग मध्यप्रदेश में सिंचाई कार्य के लिये करना चाहिये, बनसागर योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लिये सिंचाई सुविधा प्रदान करना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बिहार सरकार द्वारा प्रस्ताव को रद्द किये जाने के बारे में है। वही प्रश्न किये जाएं जो इससे सम्बन्धित हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that the representatives of the Governments of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar have discussed the matter several times at officers as well as ministers levels but they could not arrive at any solution? If it is so, may I know the further action proposed to be taken by the hon. Minister to resolve the dispute so that each of the three states could get irrigation facilities in a proper way?

डा० के० एल० राव : जी, नहीं। इस विवाद में मतभेद बहुत कम हो गए हैं तथा अब कोई विशेष मतभेद नहीं रहा। वास्तव में दो मुख्य मंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं। अत: आशा है कि थोड़ी सी उदारता की भावना के साथ यह समस्या हल हो जाएगी।

श्री हरि किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जल के वितरण से इस समय जिस 13 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस सोन हाई लेवल नहर का भविष्य क्या होगा जिसका निर्माण योजना आयोग की स्वीकृत से तथा केन्द्रीय सरकार की 16 करोड़ रुपये की राशि से हो रहा है? क्या उक्त नहर को बनसागर परियोजना के बनने के बाद पानी मिल सकेगा? क्या इस धारणा में कोई सच्चाई है कि डा० राव अनुचित रूप से बिहार सरकार पर अपनी मांग स्वीकार करा ने के लिये दबाव डाल रहे हैं?

डा० के० एल० राव : यह दुर्भाग्य की बात है कि हम जब भी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो कभी कोई पक्ष और कभी कोई पक्ष हमारे ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगा देता है। बिहार सरकार ने मुझे निष्पक्ष बताया था किन्तु अब माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। मैं ऐसे आरोप सुनने के लिये सदा तैयार हूं। वास्तव में इन समस्याओं पर मुख्य मंत्रियों ने परस्पर विचार-विमर्श किया था, मैं तो केवल वहां बैठा रहा था। दबाव डालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में मैंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला।

जहाँ तक मुख्य प्रश्न का संबंध है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है तथा तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में, इसके साथ-साथ सदा सूखा-ग्रस्त रहने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि इस व्यापक क्षेत्र में पांचवी योजना के दौरान कुछ परियोजनाएं आरंभ की जाएं। हम इस विवाद को यथाशीघ्र हल करना चाहते हैं। सोन हाई लेवल नहर को भी पानी दिया जायेगा।

Shri Ishwar Chaudhry : In the conference of these states, that is Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar, the Government of Bihar had clearly stated that arrangements for irrigation purposes were permissible but not for generating power for commercial purposes. If the Government of Madhya Pradesh go ahead with their project, it would ccertainly deprive the land in Bihar of those irrigation facilities which have been available there for the last hundred of years. May I know whether Central Government would keep in view the views expressed by the Government of Bihar while arriving at any settlement?

डा० के० एल० राव : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। किन्तु जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं हम सिंचाई कार्यों के लिये ही पानी के मोड़ की अनुमति देते हैं। सिंचाई व्यवस्था के दौरान यदि बिजली उत्पन्न की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

Shri Damodar Pandey : The Hon. Minister beleives that Sone canal would get water even after this construction of Bansagar project and that it would not affect irrigation. After the completion of Rihand dam, it was decided that 6,000 cusecs of water would be released in a year continuously to feed the Sone canal. But whenever Hatiya area has faced shortage of water, the urgency of supplying adequate quantity of water to Sone canal continously has never been felt. On the basis of the expenerice gained from the Rihand Dam, is it not reasonable to apprehend that after the completion of another dam and after diverting the water to the river Tons the irrigation project of Bihar would be affected and irrigatied land would face considerable difficulties?

डा० के० एल० राव : रिहंद बांध से बिहार को कोई हानि नहीं पहुँची। इससे कुछ लाभ ही हुआ है। रिहंद बांध में वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है अन्यथा वह व्यर्थ जाए। इस जल का उपयोग उन महीनों के दौरान किया जाता है जिनमें नदी में पानी नहीं होता। अत: यह परियोजना लाभप्रद है। बिहार सरकार की एक यही शिकायत है कि यदि इस पानी को नियमित रूप से दिया जाए तो उसका रबी और अन्य फसलों के लिये अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। पानी बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि राज्यों में कुछ समझौता हो जाना चाहिये। वास्तव में बिहार सरकार को पानी के बदले में रिहंद बांध के लिये कुछ बिजली देनी होगी। विचार-विमर्श का एक पहलू यह भी है।

अध्यक्ष महोदय : इस एक ही प्रश्न पर इतना अधिक समय ले लिया गया है। इस पर एक छोटा वाद-विवाद ही हो गया है।

Changes in the Election Procedure

+*1005. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have given thought to the suggestions made regarding the discontinuance of the practice of taking signatures on the ballot papers in an election, having them punched and taking up their counting the same day, booth-wise;

(b) if so, their reaction thereto; and

(c) the views of various political parties in this regard?

Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) & (b) The Government are of the view that no change in the existing procedure is called for.

(c) Some of the political parties have expressed themselves in favour of revision of the procedure for the counting of votes, while others are against it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the new procedure of signing the ballot papers not only violates the secrecy of voting but also creates a fear in the voter that anybody would come to know as to for whom he had voted. Is the hon. Minister aware that certain intelligent voters of Delhi did not cast their votes due to the fear that they would have to sign the ballot papers and later on the Government could know of it? May I know why the signing of ballot papers has been made compulsory?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : As the people used to cast votes in the names of other persons, so the system of signatures has been introduced. The object being to check bogus voting.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Even if this plea is accepted that the people cast votes in the names of other persons, can they not forge signatures and cast bogus votes? This question does not relate to only to the signatures of the voters. In our country, the majority of the people put their thumb impression. How would they be identified?

So far, the process has been that decisions in respect of new precedure of voting used to be taken by the Election Commission after consulting with the representatives of political parties. Is it a fact that that procedure has been given up and the Election Commission now takes into confidence the ruling party alone and do not discuss matters with the opposition parities? A Bill was brought in this House for amendment of the Election procedure, and a joint select committee was set up to look into it. That committee made certain recommendations. Have these recommendations been put in cold storage or whether the Government would take a decision in the matter prior to elections in U.P. and Orissa?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The Election Commission makes changes in the election procedure whenever it considers necessary to do so on the basis of their experience. It is a fact that a joint select committee of the two houses was appointed and it has given its report after considering all the aspects. All these matters came before that committee and in that connection a Bill would come before the House shortly.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I wanted to know whether it would be taken up before the elections in Orissa and U.P. or afterwards?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : It would be brought soon. It means that it would come before that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : By saying shortly, they sometimes mean 5 years.

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : It may mean even 5 days.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that with the introduction of the system of signatures, mal-practices and bogus voting has been reduced? For further confirmation, the Government engages the Chowkidars of the villages to identify that the right person is signing.

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : With the introduction of the system of signatures, number of complaints of bogus voting has declined...

Shri Atal Bihari Vajpayee : Absolutely wrong.

Shri Shashi Bhushan : Is it a fact that certain people, especially certain anti-national elements who do not believe in democracy, complained that foreign ink had been used on ballot papers and it was only due to the introduction of the system of signatures that the people came to believe that foreign ink had not been used and that the elections were fair? Has the faith of the people in democracy been strengthened as a result of this procedure and in respect of the allegation of anti-national elements like Shri Balraj Madhok, the Supreme Court has given its verdict...

Mr. Speaker : Please do not involve yourself in discussions, ask your question.

Shri Shashi Bhushan : I am only asking whether the system of signing the ballot papers has increased the peoples' faith in democracy and the allegations made by the people in this regard have proved baseless. Atalji said that many people in Delhi did not exercise their franchise because of this procedure. May I know whether more people have cast votes in this election than in the previous one?

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The hon. Member has asked three questions—first, regarding ink. This matter was considered by the High Court and the Supreme Court and I would like to quote a sentence from the court's verdict :—"figments of a fertile but frustrated imagination."

The second question was whether the process of signing the ballot papers had enhanced the peoples faith in democracy. The reply is "yes". Third question was whether the number of the voters has increased. As this question did not arise out of it, I had not collected information in this regard.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिस मामले का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है वह मतदान में गोपनीयता बनाये रखने की है। शेष सभी बातें गौण हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक मत-पत्र पर हस्ताक्षर करने की पद्धति से मतों की पूर्ण गोपनीयता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है; दूसरे, इसी कारण से मतों की गणना बुथवार किये जाने की पद्धति को जिसे पहले पिछले चुनाव से समाप्त कर दिया गया है, पुन: चालू नहीं किया जायेगा। मत-पत्रों की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिये हस्ताक्षर लेने की पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये तथा मतों की गणना बूथवार न करके पूरे निर्वाचन क्षेत्र के मतों के एक स्थान पर एकत्र करके गिनने की पद्धति को अपनाया जाना चाहिये।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : निर्वाचित क्षेत्र के सभी मतों को एकत्र करके गिनने की पद्धति उपयोगी रही है। क्योंकि इस पद्धति के अपनाने से डराना, दबाना, धमकाना कुछ हद तक कम हो गया है। इसलिये निर्वाचन आयोग का विचार गणना की इस पद्धति को जारी रखने का है और संयुक्त समिति ने भी इस मामले पर विचार करके इसी पद्धति को जारी रखने की सिफारिश की है।

मतपत्रों की गोपनीयता के बारे में सभी प्रयत्न किये गये हैं और किये जायेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कैसे ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मूलतः पद्धति यह थी कि जैसे ही मतपत्र दिया जाता था, मतपत्र की संख्या को निर्वाचन अधिकारी की सूचि में दर्ज कर दिया जाता था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह भी आपत्तिजनक है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मतदाता सूची में संख्या लिखने से यह जाना जा सकता है कि किसने किसको मत दिया। इसलिए यह पद्धति छोड़ी जा रही है और संख्या नहीं लिखी जाया करेगी। उसके स्थान पर मतपत्र की प्रतिपर्ची पर हस्ताक्षर अथवा निशान-अंगूठा लिया जाता है। इससे यह नहीं जाना जा सकेगा कि उन्होंने किसको मत दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कैसे?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न था कि क्या यह पद्धति जारी रखी जायेगी अथवा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उत्तर नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रति पर्ची पर हस्ताक्षर ले कर गोपनीयता बनाये रखते हैं। यह कैसे सम्भव है ? यदि प्रतिपर्चियों की परीक्षा की जाती है तो उससे पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने किसे मत दिया है ?

श्री नानू भाई एन० पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विरोधी नेता निर्वाचन आयोग के कार्य की इसलिये आलोचना कर रहे हैं क्योंकि यह उनके संकेतों पर कार्य नहीं कर रहा ? यदि हां, तो विरोधी नेताओं को संतुष्ट करने के लिये भारत सरकार के पास क्या उपाय हैं ?

श्री समर गुह : जैसे कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि गोपनीयता मुक्त तथा निष्पक्ष निर्वाचनों का अनिवार्य अंग है। क्योंकि हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं अतएव अंगूठा लगाने का अभिप्राय है उनकी सनाख्त करवाना। क्या सरकार का ध्यान बंगला देश के हाल के निर्वाचनों की ओर दिलाया गया है जिसमें गणना मतदान केन्द्र वार और केन्द्रों पर ही की गई ? परिणामस्वरूप गणना एक ही दिन में समाप्त हो गयी तथा अगले दिन परिणाम घोषित कर दिये गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही प्रक्रिया अपने देश में भी अपनायी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विधिवत् विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इसे एक प्रश्न में नहीं लिया जा सकता।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : ऐसा समझा जाता है कि उद्देश्य मतदान की गोपनीयता बनाये रखना है। परन्तु मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हस्ताक्षर अथवा निशान-अंगूठा मतपत्रों पर नहीं लिया जाता जिन्हें पुनर्गणना के लिये खोला जा सकता है। यह प्रति पर्ची पर लिया जाता है जिन्हें पुनर्गणना के समय खोला नहीं जा सकता।

मेरे मित्र ने बंगला देश के अनुभव के बारे में उल्लेख किया है। हमारे यहां गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है जो हर मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंच सकता। इसलिये मतदान पेटियों को गिनती के लिये एक स्थान पर ले जाना होता है।

श्री समर गुह : तब तो कानून को बदल दीजिये ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : निर्वाचन में निष्पक्षता ही सही निर्वाच का मूल सिद्धान्त है । कई आरोप लगाये गये हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को उनकी जानकारी होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अशिक्षित मतादाता अधिक हैं, सरकारी अधिकारी तथा शिक्षक जो मतदान कार्यों पर नियुक्त किये जाते हैं; मतदातों को प्रभावित करते हैं और यदि ऐसा है तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : हम उन लोगों की नियुक्ति करते हैं जिनकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती और शिकायतें मिलने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या हस्ताक्षर और निशान-अंगूठे की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के बाद उनके पास कई स्थानों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि आम और अशिक्षित लोगों को भय है कि इससे गोपनीयता पर असर पड़ सकता है, गोपनीयता भंग हो सकती है और इसलिये वे लोग मतदान केन्द्रों में नहीं गये तथा उनके मत अन्य व्यक्तियों द्वारा डाले गये ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

औषध निर्माता फर्मों को क्षमता के उल्लेख के बिना जारी किये गये अनुमति पत्र

*1006. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में कुछ औषध निर्माता फर्मों को कुछ औषधियों और फार्मास्यूटिकल वस्तुओं के निर्माण के लिये कुछ अनुमति पत्र जारी किये गए हैं जिनमें क्षमता का उल्लेख नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक अनुमति पत्र के अन्तर्गत निर्माण की क्या क्या वस्तुएं आती हैं ;

(ग) क्या कुछ फर्मों ने इन अनुमति पत्रों का जिनमें क्षमता का उल्लेख नहीं है, अनुचित लाभ उठाया है और फर्मुलेशन क्षमता का अनधिकृत विस्तार कर लिया है ; जो कि भारतीय फर्मास्यूटिकल औद्योगिक विकास के हित में नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान डी जीटी डी द्वारा औद्योगिक लाइसेंस तथा पंजीकरण के सिवाय कोई अनुमति पत्र जारी नहीं किये गये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1952 से (जब औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 लागू हुआ था) 1965 तक कुछ अनुमति पत्र औषध निर्माता फर्मों का कुछ औषधिया और भेषजो के निर्माण के लिये जारी किये गये थे जिनमें क्षमता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून का सहारा लिये बिना ही जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ऐसे अनुमति पत्रों को शीघ्र ही वापिस लेंगे अथवा रद्द करेंगे । क्या मंत्री महोदय हमें फर्मों के नाम बतायेंगे तथा प्रत्येक अनुमति पत्र में उल्लिखित वस्तुओं के नाम बतायेंगे ?

श्री देवकान्त बरुवा : मुझे पत्र कल दोपहर बाद ही मिला है । मूल प्रश्न मात्र तीन वर्ष के लिये था । अब कल मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ है और वह 1952 से जानकारी चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता होना चाहिए कि कुछ छुट्टियां थी ।

श्री के० एस० चावड़ा : जब मैं आप से मिला था तो कोई छुट्टी नहीं थी । तुरन्त ही मैंने पत्र का मसौदा तैयार किया और आपके कार्यालय को दे दिया ।

अध्यक्ष महोदय : यह उनके पास अगले दिन जाना था जोकि छुट्टी का दिन था ।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं पूरा सूची पेश करने का वचन देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस जानकारी के लिये वे बहुत उत्सुक हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : इन अनुमति-पत्रों का हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा ? वे भारी लाभ कमा रहे हैं तथा धन विदेशों में ले जा रहे हैं और अपने देश में भारी सम्पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं । इस प्रकार हम मूल्यवान विदेशी मुद्रा गवां रहे हैं ।

श्री देवकान्त बरुआ : मुझे इसका पता है । समुचित उत्तर देने के लिये मुझे समय दिया जाये । परन्तु मैं कुछ कम्पनियों के बारे में उत्तर देना चाहता हूं जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उलंघन किया है : वे हैं :

		लाइसेन्स प्राप्त क्षमता	वास्तविक उत्पादन
साराभाई केमिकल्स	विटामिन सी	120 टन	250 टन
फिजर लि.	ट्रेडासाईक्लीन	14 टन	39 टन
साईनामिड	तदेव	10 टन	16 टन
रोश	विटामिन ए	15एमएमयू	25 एमए मयू
बेयर	क्लोरोक्योब फैक्सफेट	4 टन	22 टन

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे सभा-पटल पर रख दें ।

श्री देवकान्त बरुआ : ये फर्म लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से अधिक निर्माण कर रही हैं इसलिये यह उत्पादन अनधिकृत है । परन्तु हमारे यहां इन दवाइयों की कमी है । इसके अलावा हम आयात भी कर रहे हैं । अतः यह समस्या है जिस पर अच्छी तरह ध्यान देने की आवश्यकता है ।

Shri Hukumchand Kachawai : The firms to which they have given licences, are not producing to their capacity. Similarly there are their finances which are not abiding by the conditions. Do the Government intend to withdraw their licences or whether they sell the raw meterial in black market and other people benefit out of it. Is the Government prepared to take action againest them or not ?

Shri D. K. Boroach : I do not have any such information. But if the hon. member gives same information, I shall certainly take action against them.

मनीपुर में सिचाई की सुविधाएं

***1007. श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर में सिंचाई की इस समय उपलब्ध सुविधाएं वर्षा न होने के कारण उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) गत वर्षा ऋतु में देश में व्यापक अनावृष्टि के सन्दर्भ में कृषि मंत्रालय ने रबी और ग्रीष्म फसलो के दौरान उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम आरंभ किया था। क्षेत्र अधिकारी को सिफारिशो पर जिसने मणिपुर राज्य का दौरा किया और विस्तार एवं व्यवहार्यताओं का स्थल पर मूल्यांकन किया, 57.70 लाख रुपये को लागत के एक विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। इसके प्रति 38.275 लाख रुपये का परिव्यय वास्तव में राज्य सरकार को जारी किया गया है। अनुमोदित कार्यक्रम का स्कीमवार विवरण निम्न प्रकार है :--

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अनुमोदित धन राशि (लाख रुपयों में)
1	500 पम्पसेटों का प्रतिष्ठापन	34.20
2	अस्थायी मिट्टी के बांधों/बंधों का निर्माण . . .	3.50
3	लिफ्ट सिचाई स्कीमें	20.00
	योग	57.70

दीर्घकालीन आधार पर राज्य में मानसून की दया पर कृषि को निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से 4.62 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 24,300 हैक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित् सिंचाई प्रदान करने के निमित्त लोकतक लिफ्ट सिंचाई स्कीम को निर्माणार्थ आरंभ किया गया है। इस परियोजना के लगभग चार साल में पूर्ण हो जाने की आशा है। लेकिन इस परियोजना को दक्षिण उच्च स्तरीय नहर से जून 1974 तक 8000 हैक्टेयर क्षेत्र को सिचाई प्रदान करना संभाव्य होगा।

मणिपुर सरकार का मानसून के अधिशेष प्रवाह को संचय करके और सिंचाई तथा अन्य बहुद्देशीय लाभों के लिये उसको उपयोग करने के निमित्त इम्फाल इरिल ओर थौबल नदियों पर संचय बांधों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। अन्वेषणों में प्रगति हो रही है। राज्य सरकार राज्य में अन्य नदियों पर भी बांध स्थलों के अन्वेषण के लिये विचार कर रही है।

श्री एन० टोम्बी सिंह : विवरण में मंत्री महोदय ने कुल 57.70 लाख रुपये लागत के लघु सिंचाई कार्यक्रम की मंजूरी का उल्लेख किया है। परन्तु इस कार्यक्रम की एक मद लिफ्ट सिंचाई योजनाओं संबन्धी के लिये 20 लाख रुपया अभी दिया जाना है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कब तक यह धन दिया जा सकेगा ?

डा० के० एल० राव : इसका संबंध कृषि मंत्रालय से है क्योंकि ये योजनाएं आपातकालीन खाद्य अभियान के अंतर्गत आती हैं। राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी मिलने पर राशि दे दी जाएगी।

श्री एन० टोम्बी सिंह : विवरण में कहा गया है कि अन्य नदियों पर बांध स्थलों के चयन के कार्य के लिये जांच-कार्य जारी है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कब यह जांच प्रारंभ हुई और यह कब तक पूरी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मनिपुर क्षेत्र में भूमि की सिंचाई के लिये दो नदियों इरील और चौबल —पर जल संग्रह बांधों की आवश्यकता है। इसलिये हमने जांच करने के लिये कहा है और जांच कार्य प्रगति में है और मुझे शीघ्र फल प्राप्ति की आशा है और हमने इंजीनियरों को स्थलों पर जा कर जांच करने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूं कि आगामी छः मास अथवा एक वर्ष में परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी।

पंजाब में ग्रामीण विद्युतीकरण

***1008. श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 तक, पंजाब के कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई तथा कितने गांवों में अब तक बिजली नहीं लगाई गई ?

(ख) वित्तीय वर्ष 1973–74 में, कितने गांवों में बिजली लगाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) पंजाब के सभी गांवों में कब तक बिजली लगा दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) 31-3-1973 तक, पंजाब के 11,947 ग्रामों में से 6,626 ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इस तरह, राज्य में शेष 5,321 ग्राम विद्युतीकृत किए जाने हैं। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 1973-74 के दौरान 1,717 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। यह सम्भावना है कि पंजाब में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी ग्राम विद्युतीकृत हो जाएंगे।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं सरकार से विद्युतिकरण का वास्तविक अर्थ जानना चाहता हू। क्या इस का यह अर्थ है कि यदि कोई पोल किसी गांव से गुजरता है तो उक्त गांव का विद्युतिकरण हो गया अथवा वे ऐसा उस हालत में मानते हैं जब घरों में बिजली दे दी जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा०के०एल० राव) : किसी गांव का विद्युतिकरण उस स्थिति में माना जाता है जब बिजली उस क्षेत्र में पहुंच जाती तथा उसका कुछ उपयोग होने लगता है, चाहे वह पम्प के लिये हो, अथवा उद्योग के लिये हो अथवा घरेलु उपयोग के लिये हो। जबतक इन सेवाओं के लिए कुछ कनक्शन नहीं दिये जाते तब तक हम उस गांव का विद्युतिकरण हुआ नहीं मानते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली बाढ़ नियंत्रण स्कंध के श्रमिकों के मजदूर संघ को मान्यता

***1009. श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण स्कंध में श्रमिकों का पंजीकृत केवल एक मजदूर संघ है ;

(ख) क्या दिल्ली बाढ़ नियंत्रण श्रमिक संघ ने लगभग तीन वर्ष पूर्व मान्यता दिए जाने के लिए मुख्य अभियंता (बाढ़) को प्रार्थना-पत्र दिया था ;

(ग) क्या इस संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) संघ ने मान्यता के लिए 14 नवम्बर, 1970 को आवेदन किया था।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली प्रशासन में, जिसको इस मामले पर निर्णय लेना है, बताया है कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के संबंध में अनुदेशों को जोकि भारत सरकार द्वारा संशोधित किए जा रहे हैं, ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी ।

Increase in goods traffic

1010 **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railways had anticipated an increase of 7.6 million tonnes in goods traffic during 1970-71 ;

(b) whether on the country, the goods traffic decreased by 11.4 million tonnes; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes Sir, the Railways had anticipated an increase of 7.6 million tonnes in originating traffic in 1970-71 over the figure of 1969-70.

(b) Yes Sir, the actual quantum of traffic originated during 1970-71 dropped by 11.4 million tonnes when compared to the figure of 1969-70.

(c) The primary reason for the drop in loading was poor mobility in the Eastern sector and slow releases at terminals in Calcutta and Howrah area as a result of unsatisfactory law and order situation. Inadequate offering of traffic for and from Steel Plants as well as in petroleum products also affected the quantum of loading.

Renovation of Varanasi Cantt. Railway Station

*1011 **Shri Sudhakar Pandey** : will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any scheme of systematic reconstruction or renovation or development of Varanasi Cantt. Railway Station has been approved or is under the consideration of Government ;

(b) if so, the salient features thereof and the expenditure likely to be incurred on it and

(c) the date by which the work is likely to be started?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes Sir. The work for construction of a new Station Building at Varanasi has been approved and included in the Budget for 1973-74.

(b) The work costing Rs. 65.00 lakhs includes provision of a spacious III class waiting hall, concourse, booking offices, parcel office, claims office, foot-over-bridge and retiring rooms. Accommodatin for other services like Railway Proptection Force, Government Railway Police, Railway Mail Service etc. also is provided.

(c) The work is likely to be started in October 1973.

Burning of Locos nos 245, 248 and 730 of Tata Electrical Loco Shed of south Eastern Railway

*1012 **Dr. Laxminarayan Pandeya**
Shri Onkar Lal Berwa

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether three Loco bearing numbers 245, 248 and 730 of Tata Electrical Loco Shed of South Eastern Railway have been completely burnt during the last two months ;

(b) if so, the names of persons due to whose negligence these locos were burnt ; and

c) the estimated amount of loss suffered as a result thereof and the action taken against the persons held resposnible therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No Sir. The three electric locomotives were not completely burnt but sustained partial damages of varying extent in fire accidents during 1972-73 and are being repaired and re-commissioned.

(b) Investigations carried out so far into the causes of accidents have not been able to pin-point the responsibility on any individual. However, further investigations are in progress.

(c) The cost of recommmissioning of the three locomotives is expected to be of the order of approximately Rs. 14 lakhs. Question of taking action would arise after further inquiries are completed.

दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों द्वारा मार्च, 1973 में हड़ताल

*1013. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1973 को दक्षिण रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और क्या उसके परिणामस्वरूप मद्रास में रेल सेवाएं अव्यवस्थित हो गई थी ;

(ख) हड़ताल का कारण क्या था ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाई की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक परेषण से चोरी के आरोप ने रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक द्वारा एक खलासी की गिरफ्तारी के बाद हड़ताल हो गयी।

अन्तर्गस्त कर्मचारियों द्वारा यह आरोप लगाने पर कि रक्षक ने खलासी पर प्रहार किया था, जांच के आदेश दे दिये गये और रक्षण को निलंम्बित कर दिया गया।

प्रहार का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। खलासी के विरूद्ध चोरी के आरोप में विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

बन्देल-बरहरवा तथा बन्देल-कटवा सैक्शनों (पूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण

*1014. **श्री सरोज मुखर्जी** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार आगामी वर्ष के कार्यक्रम में पूर्व रेलवे के बन्देल-बरहखा और बन्देल कटवा सैक्शन का विद्युतीकरण करने का है ; और

(ख) क्या विशेषज्ञों की जांच से पता लगा है कि भाप इंजन से चलने वाली रेल गाड़ियां पूर्व रेलवे के विद्युतीकृत हावड़ा-बन्देल सैक्शन में नहीं चल सकती और इस सैक्शन का विद्युतीकरण करना अब आवश्यक हो गया है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) पूर्व रेलवे द्वारा की गयी एक प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि बंडेल-कटवा खण्ड पर परि-चालन के विचार से भाप कर्षण के बदले बिजली कर्षण चालू करना पड़ सकता है। पूर्व रेलवे की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बडेंल-बड़हरवा खण्ड के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गयी है।

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और उसके हड़ताली कर्मचारियों के बीच विवाद में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप के लिए अनुरोध

***1015. श्री शशि भूषण :**
श्री बक्शी नायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ ने यह धमकी दी है कि यदि केन्द्रीय सरकार हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड और उसके हड़ताली कर्मचारियों के बीच शीघ्र हस्तक्षेप करके विवाद को हल नहीं करती है तो वे देशव्यापी हड़ताल आरंभ कर देंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव): (क) और (ख) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी उनकी विभिन्न मांगों को पूरा करने हेतु जोर डालने के लिए 3 अप्रैल, 1973 से हड़ताल पर हैं। अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी संघ ने सिंचाई और विद्युत मंत्री को सूचित किया है कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों को संघ का समर्थन प्राप्त है और अनुरोध किया है कि मामले को हल करने के लिए केन्द्रीय मंत्री हस्तक्षप करें। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई है और हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः यह मामला पूर्णतः हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार की सक्षमता के अन्तर्गत है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को धक्का लगना

***1016. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए पैसा देना बन्द करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय के कारण पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को अप्रत्याशित धक्का लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण करने के लिए राज्य योजना परिव्ययों के अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा योगात्मक धन देने के लिए 190 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है। अभी तक, निगम ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की 31 स्कीमों स्वीकृत की हैं जिनमें 5516 गांवों के विद्युतीकरण, 21338 पंप सेटों के ऊर्जन और 16757 लघु उद्योगों और कृषि उद्योगों को बिजली प्रदाय करने के लिए 2143.909 लाख रुपये की ऋण सहायता देनी परिकल्पित है। इन स्कीमों को 3 से 5 वर्षों में पूरा करने के लिए चरणबद्ध किया गया है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण सहायता किश्तों में दी जाती है जोकि स्कीम की चरणबद्धता पर निर्भर करती है। ऋण-करार करने संबंधी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने, राज्य सरकार द्वारा गारंटी देने और पंपसेटों के संबंध में पर्याप्त भू-जल की उपलब्धता के संबंध प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर कार्यान्वियन के लिए स्कीम को प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम किश्त दे दी जाती है। दूसरी किश्त देने के लिए स्कीम के प्रथम

वर्ष के लिए अनुसूचित कार्य का 50 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूरा किया जाना चाहिए तथा उन्नतिशील क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्र के आधार पर प्रथम वर्ष के लक्ष्यों के 25 प्रतिशत या 10 प्रतिशत सर्विस सम्बंधन कर दिए गए हों। तीसरी किश्त तभी दी जा सकती है जबकि प्रथम वर्ष के लक्ष्यों का 100% या प्रथम दो वर्षों के लक्ष्यों का 50%, जो भी अधिक हो, कार्य पूर्ण कर लिया हो और प्रथम वर्ष के लक्ष्यों के 100% या प्रथम दो वर्षों के लक्ष्यों का 25%, जो भी अधिक हो, सर्विस संबंधन किए जा चुके हों, पिछड़े हुए क्षेत्रों के संबंध में प्रथम दो वर्षों के लक्ष्यों के 10 प्रतिशत तथा सर्विस सम्बंधन दिए जा चुके हों।

1972-73 तक पश्मि बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को 756.770 रुपये दिए जा चुके हैं। 30 स्कीमों के लिए प्रथम किश्त निर्मुक्त कर दी गई है और एक स्कीम के संबंध में अदायगी के लिए भू-जल की उपलब्धता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति की प्रतिक्षा की जा रही है। 4 स्कीमों के सम्बन्ध में दूसरी किश्त दे दी गई है तथा 8 स्कीमों के संबंध में दूसरी किश्त इसलिए नहीं दी जा सकी क्योंकि कार्यों तथा सर्विस सम्बधनों के संबंध में वास्तविक प्रगति अभी तक निर्धारित स्तर तक नहीं पहुंची है। तीसरी किश्त की अदायगी 4 स्कीमों के संबंध में इसलिए नहीं की गई क्योंकि वास्तविक निष्पादन निर्धारित स्तर तक नहीं हो पाई है। इन किश्तों की अदायगी निगम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर कर दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के लिए स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अदायगी बन्द करने संबंधी कोई निर्णय निगम ने नहीं लिया है।

दक्षिण एक्सप्रेस रेलगाड़ी के यात्रियों का घायल होना

*1017. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 27 मार्च, 1973 को पत्थर फैंकने की घटना के परिणामस्वरूप दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ी के 25 से अधिक यात्री घायल हो गय थे;

(ख) क्या इनमें दो स्वतंत्रता सेनानी 59 वर्षीय श्री रामधर और 60 वर्षीय श्री फकीर चन्द भी घायल हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो घटना सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मदशफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

निर्वाचनों के खर्च के बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री का वक्तव्य

*1018. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में यह सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों के निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे सरकार द्वारा वहन किये जाने चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 12 मार्च, 1973 के "स्टेट्स मेन" के दिल्ली संस्करण में इस आशय की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने रीवां में कांग्रस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने भाषण में अन्य बातों के साथ यह विचार व्यक्त किया था कि निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा उपगत खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में को औपचारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, (ख) और (ग) का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में विद्युत विशेषज्ञों का सम्मेलन

*1019. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1973 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में विद्युत विशषज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा क्या सिफारिशें की गई और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ ने 14 और 15 अप्रैल, 1973 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

(1) एक केबिनेट मंत्री के कार्य भारत के अंतर्गत 'विद्युत' के लिए एक पृथक् मंत्रालय का गठन होना चाहिए ।

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन रेलवे बोर्ड के पैटर्न पर एक उच्चशक्ति प्रदत्त संख्या के रूप में होना चाहिए जो क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के जरिए देश में विद्युत विकास कार्यक्रम के नियोजन, अभिकल्प, निर्माण एवं कार्यान्वियन पर प्रभावशाली नियंत्रण करते हुए अपने कार्य में अधिकतम स्वायत्तता का उपयोग कर सके ।

(3) क्षेत्रीय बिजली बोर्डों का क्षेत्र में बृहत् उत्पादन यूनिटों एवं पारेषण स्कीम के आयोजन, अभिकल्प, निर्माण, कार्यान्वियन, प्रचालन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियंत्रण में पूर्णरूपेण स्वायत्त संस्थाओं के रूप में पुनर्गठन किया जाना चाहिए ।

(4) समस्त जलविद्युत एवं इंधन संसाधनों को समेकित विद्युत विकास के लिए इष्टतम समुपयोजन के निमित्त राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में माना जाना चाहिए ।

(5) उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 को उचित रूप से संशोधित किया जाए । सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा ।

उर्वरक उद्योग में अधिकाधिक पूंजी लगाए जाने के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सार्थसमूह की स्थापना

*1020. **श्री रानेन सेन : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्म निर्भरता के द्वारा औद्योगिक प्रगति संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी ने उर्वरक उद्योग में अधिकाधिक पूंजी लगाये जाने के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सार्थसमूह की स्थापना करने का सुझाव दिया है जिससे अपेक्षित क्षमता उत्पन्न की जा सके तथा आयात में कमी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने सुझाव नोट कर लिया है ।

Demurrage earned from the Indentors of Wagons containing Boring Pipes at Barauni sent by Rourkela Steel Plant

9457. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 18 wagons containing boring pipe reached Barauni Railway junction on 30th November, 1972 from Rourkela Steel Plant for onward transportation to various places in North Bihar;

(b) whether nobody turned up for taking delivery of these pipes for about 15 days ; and

(c) the revenue earned by Railways therefrom in the form of demurrage?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, 18 wagons containing boring pipes were placed for un-loading at Barauni on 30-11-72. It is, however, not known to the Railway Administration whether the consignee wanted to despatch them further to any other place.

(b) The wagons were un-loaded and removed by the consignee on different dates as indicated below :—

No. of wagons	Date on which delivered
4	5-12-72
2	6-12-72
2	7-12-72
3	8-12-72
1	11-12-72
2	12-12-72
2	14-12-72
2	15-12-72

(c) Demurrage charges amounting to Rs. 74,451 were realised from the Consignee

औद्योगिक अलकोहल की कमी दूर करने के लिए अमरीका से कच्चे माल का आयात

9458. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक अलकोहल की गम्भीर कमी के लिये मद्यनिषेध की समाप्ति मुख्य रुप से जिम्मेदार है और इस वर्ष सरकार का विचार औद्योगिक अलकोहल का अमरीका से आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत वर्ष में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मद्यनिषेध में छूट ने अलकोहल किण्वन की मांग में कुछ सीमा तक वृद्धि की है। किन्तु अधिकांश तौर पर औद्योगिक एवं अन्य विविध प्रयोगों की आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण मांग में भी वृद्धि हुई। अलकोहल की समस्त कमी देश के कुछ हिस्सों में सूख की परिस्थितियों के कारण हुई ; जिसके परिणामस्वरूप चीनी एवं सीरे का कम उत्पादन हुआ। इस कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष में अलकोहल के आयात का सहारा लेना पड़ा।

(ख) वर्तमान शर्करा वर्ष 1972-73 (नवम्बर, 1972 अद्यतन) के दौरान सरकार ने अमरीका से 16,500 मीटरी टन अलकोहल के आयात की अनुमति दी है।

महाराष्ट्र में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं

9459. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की है; और

(ख) वर्ष 1973-74 में कितनी नई परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) महाराष्ट्र की निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं चतुर्थ योजना के अंतिम चार वर्षों के दौरान राज्य की विकासात्मक योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है :–

बृहत्	अपर तापी
मध्यम	गोडागाड
	अम्बावैल्ली
	हरणबारी
	कैलज़ार

(ख) यह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं को जांच के परिणामों और नई परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए उपलब्ध होने के लिए सम्भावित संसाधनों पर निर्भर करेगा।

नागपुर के रास्ते बम्बई और कलकत्ता के बीच एक जनता एक्सप्रेस गाडी चलाना

9460. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के रास्ते बम्बई और कलकत्ता के बीच एक जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गाड़ी कब तक चलाई जायेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) नागपुर के रास्ते बम्बई और कलकत्ता के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना, इस समय, परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मार्ग में पर्याप्त लाइन क्षमता की कमी है तथा बम्बई और हवड़ा में आवश्यक टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है।

महाराष्ट्र के बुलडेना और अकोला जिलों में गांवों का विद्युतीकरण

9461. **श्री अर्जुन श्रीपत कस्तूरे :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1972-73 में महाराष्ट्र के बुल्डेना तथा अकोला जिलों के किन-किन गांवों में बिजली लगाई गई तथा वर्ष 1973-74 के दौरान किन-किन गांवों में बिजली लगाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 1972-73 वर्ष के दौरान बुलदेना और अकोला जिलों में विद्युतीकृत किए गए ग्रामों के नामों का विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5004/73**।] 1973-74 वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में लगभग 1000 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है। विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामों का जिले वार ब्यौरेंको अभी तक, अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वी रेलवे के हावड़ा-कटवा सुबर्बन सेक्शन के यात्री संघ द्वारा ज्ञापन

9462. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के हावड़ा-कटवा सुबर्बन सेक्शन के चार यात्री संघों ने 17 मार्च, 1973 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या पूर्वी रेलवे के जनरल-मैनेजर, संघों के उन प्रतिनिधियों से मिलने से इन्कार कर रहे हैं जो यात्रियों की कठिनाइयों से उन्हें अवगत करवाने के लिये उन्हें मिलना चाहते हैं; और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यात्री संघ से प्राप्त 17-3-1973 के ज्ञापन की एक प्रतिलिपि अनुबन्ध 'ए' के रूप में संलग्न है (अंग्रजी में)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5005/73।**]

(ख) जी नहीं।

मरकारा होते हुए मैसूर से तेल्लीचेरी तक रेलवे लाइन

9463. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरकारा होते हुए मैसूर से तैलीचरी तक एक रेलवे लाइन के लिए कुछ वर्ष कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला है कि यह रेल सम्पर्क बहुत ही अलाभकर होगा और इससे रेलवे को भारी हानि होने की संभावना है।

रेलवे के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी का अध्यापन

9464. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर हिन्दी भाषी रेल कर्मचारीयों की संख्या कितनी है और क्या उन्हें हिन्दी पढ़ाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या रेलवे कोड मैनुअल का अभी तक हिन्दी में रूपान्तर नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) शायद माननीय सदस्य उन अहिन्दी भाषी रेल कर्मचारियों की संख्या जानना चाहते हैं जिनके लिए हिंदी में सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है और जिन्हें अभी हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना है। तीसरी श्रेणी और इससे ऊपर के ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,10,895 है। रेल कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण, गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा योजना के अधीन दिया जाता है।

(ख) कुल 48 रेलवे संहिताए/नियमावलीयां हैं जिनका रेल मंत्रालय द्वारा अनुवाद किया जाना है। इनमें से पांच छपायी जा चुकी हैं और 27 का अनुवाद हो चुका है। शेष संहिताओं/नियमावलियों का अनुवाद हो रहा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाएं

9465. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में सरकार ने कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की हैं; और

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कितनी नयी परियोजनाओं के मंजूर किए जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चौथी योजना के अंतिम चार वर्षों में राज्य को विकास योजना में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग ने तमिलनाडु को निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की है :—

1. पारापलार जलाशय ।
2. चिन्नार परियोजना
3. पालार पोरन्डाला
4. थन्डाराय एनकोट
5. नन्दन चैनल का पुनर्नवीकरण
6. कारूप्पन्धी
7. पिलाबुक्कल परियोजना
8. पेन्नोयर
9. भरुधानधी

(ख) यह केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

कलकत्ता में बिजली-संकट

9466. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में गत डेढ़ महीने से बिजली संकट आया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए उस राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बृहत कलकत्ता क्षेत्र में 60 मैगावाट तक की विद्युत की कमी है जिसके कारण पीक भार घंटों के दौरान लोड-शैडिंग करना पडा ।

(ख) कलकत्ता में विद्युत सप्लाई स्थिति में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उत्पादन सेटों, जो आऊटेज के अन्तर्गत थे, ठीक हालत में करने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य हाथ में लिया गया है।

(2) काफी मात्रा में अच्छी किस्म के कोयले का प्रबन्ध करके तथा पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य फालतू पुर्जों का प्रबन्ध करके विद्युत केन्द्रों के प्रचालन में सुधार लाया जा रहा है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में पैट्रोलियम कोक के भंडार का उपयोग किया जाना

9467. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान बरौनी तेल शोधक कारखाने में कितने पेट्रोलियम कोक का उत्पादन हुआ और 1973-74 के दौरान कितना उत्पादन होने की आशा है;

(ख) 31 मार्च, 1973 को बरौनी तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम कोक का कितना भंडार था; और

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित भंडार तथा आगामी वर्ष के उत्पादन को किस प्रकार उपयोग में लाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बरौनी निस्तापन यूनिट को सप्लाई किये जाने वाले संभारण माल को छोड कर, वर्ष 1972–73 के दौरान बरौनी शोधनशाला में पेट्रोलियम कोक कच्चे माल का उत्पादन 58,035 मीटरी टन था। वर्ष 1973–74 के दौरान 98,000 मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है।

(ख) 31–3–1973 को बरौनी शोधनशाला के पास 33,925 मीटरी टन कच्चे पेट्रोलियम कोक का स्टाक था।

(ग) 31–3–73 को इतिशेष स्टाक्स और वर्ष 1973–74 में अनुमानित उत्पादन का जोड 1,31,925 मीटरी टन है। इस में से 59,000 मीटरी टन की वर्ष 1973–74 में शोधनशाला के कोक निस्तापन प्लांट में तयार करने एवं परिचालन वस्तु सूचियों को बनाये रखने के लिए आवश्यकता होगी। शेष मात्रा को भारतीय तेल निगम द्वारा कारबाइड विनिर्माताओं, अल्युमिनियम विनिर्माताओं, इंडियन कार्बन लिमिटेड एवं अन्य उपभोक्ताओं को देने का विचार है।

औषधियों के फुटकर मूल्यों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता

9468. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्न के उत्तर में जो आंकडे दिये गये हैं क्या वे थोक मूल्यों के सम्बन्ध में है अथवा फुटकर मूल्यों के; और

(ख) यदि वृद्धि थोक मूल्यों के सम्बन्ध में है तो उक्त प्रश्न में उल्लिखित उन्हीं वर्षों के दौरान फुटकर मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) दिनांक 10–4–1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6774 के उत्तर में बताये गये आंकडे थोक मूल्यों से संबंधित हैं।

(ख) औषधों एवं दवाइयों के फुटकर मूल्यों के लिये आंकडे नही रखे जाते हैं।

रसायनों की खरीद तथा बिक्री के सम्बन्ध में मैसर्स फिजर लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही

9469. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फिजर लिमिटेड फर्म प्रति वर्ष दो सौ टन रसायनों की खरीद करती है तथा उन्हें बेचती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी फर्मों को व्यापारिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने की अनुमति है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायगी ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा एम्पीसीलिन का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग

9470. **श्री खेमचन्द भाई चावडा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा एम्पीसीलिन का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) सहयोग की मुख्य शर्तें क्या हैं और क्या इसमें विदेशी सहयोगकर्ताओं की एक सहायक कम्पनी मैसर्स जोन वाइथ इण्डिया को कुछ एम्पीसीलिन सप्लाई करने की व्यवस्था है ;

(ग) क्या सहयोग की शर्तों के बारे में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के उस भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक ने बातचीत की थी और शर्तों को लगभग अन्तिम रूप दे दिया था, जिसने जोन वाइथ इण्डिया में नौकरी कर ली है ;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने ने इस बीच एम्पीसीलिन निर्माण के लिए तकनीक का विकास कर लिया है और इसके उत्पादन के लिए उस कारखाने को लाइसेंस दे दिया गया है, उस का पंजीकरण कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करार की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने अथवा उसे रद्द करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा मेसर्स अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कारपोरेशन, यू० एस० ए०, के बीच हुये सहयोग की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(i) करार में एच० ए० एल० को ए० एच० पी० सी० की जानकारी के अनुसार एम्पीसिलिन को शामिल करते हुये सेमी-सिन्थैटिक पेनिसिलिन के उत्पादन के लिये ए० एच० पी० सी० प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की इजाजत है ।

(ii) किसी भी एक यौगिक के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिये तैयार उत्पादों के शुद्ध विक्रय मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से रायल्टी की अदायगी । यह रायल्टी प्रतिवर्ष 5,000 किलोग्राम जमा 25 प्रतिशत अधिक तक सीमित है ।

(iii) सहयोगियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों को प्रपुंज सप्लाई पर कोई रायल्टी देय नहीं है ।

(iv) करार के अन्तर्गत एच० ए० एल० किसी दूसरी भारतीय पार्टी को तकनीकी जानकारी के लिये शिकमी लाइसेंस देने में स्वतन्त्र है, यदि आवश्यक हो तो संबंधित पार्टियों द्वारा पारस्परिक मान्य शर्तों पर ।

करार में ए० एच० पी० सी० और/अथवा भारत में स्थित इस की सहायक कम्पनियों को एम्पीसिलिन की सप्लाई करने के लिये भी व्यवस्था है । एच० ए० एल० द्वारा सप्लाई की जाने वाली एम्पीसिलिन की मात्राओं तथा मूल्य पर एच० ए० एल० तथा सप्लाई किये जाने वाली पार्टी की आपस में सहमत होना पड़ेगा ताकि उचित आधारों पर एच० ए० एल० के साथ प्रतियोगिता करने की इजाजत दी जाए ।

(ग) एच० ए० एल० के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक जो 30 सितम्बर, 1969 को रिटायर हो गये थे, ने विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्ताव 1969 में दिया था। लेकिन सरकार ने उसका जनवरी, 1971 अर्थात् भूतपूर्व प्रबंध निदेशक के रिटायर होने के बहुत बाद, में अन्तिम रूप से अनुमोदन किया था। बताया जाता है कि वे अब मैसर्स वैयथ लेबोरेटोरीज में एक सलाहकार की हैसियत से नियुक्ति हो गये हैं।

(घ) और (ड.) मैसर्स यूनिकैम लेबोरेटोरीज लि०, बम्बई ने एम्पीसिलिन के निर्माण के लिये एक देशी प्रक्रिया विकसित कर लेने का दावा किया है। इस दावे पर आधारित होते हुए, डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकरण के लिये पार्टी के प्रपुंज एम्पीसिलिन तथा इसके सूत्रयोगों के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र को मई, 1972 को निम्नलिखित शर्तों पर दर्ज कर लिया गया है :—

(i) पार्टी द्वारा उपलब्ध किये गये उत्पादन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के बाद प्रपुंज एम्पीसिलिन के लिये क्षमता निर्धारित की जाएगी।

(ii) पार्टी को देश में अन्य असम्मिलित निर्माताओं को प्रपुंज एन्टीबायोटिक्स, अर्थात् इस के उत्पादन के 30 प्रतिशत तक एम्पीसिलिन, की सप्लाई करनी पड़ेगी।

इसी प्रकार की शर्तों के अन्तर्गत, मैसर्स कैमिकल, इन्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटोरीज, बम्बई की ओर से एम्पीसिलिन के निर्माण के लिये डी० जी० टी० डी० में एक दूसरे प्रस्ताव का पंजीकरण किया गया है।

क्योंकि एच० ए० एल० तथा ए० एच० पी० सी० के बीच विदेशी सहयोग संबंधी करार लागू हो चुका है क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन के लिये उपरोक्त देशीय प्रक्रियाओं को अभी स्थापित करना है, एम्पीसिलिन के निर्माण के लिये एच० ए० एल० के विदेशी सहयोग संबंधी प्रबन्धों के पुनरीक्षण रद्द/किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

लाइसेंसों की मदों का निर्माण न करने के लिये औषध निर्माता फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही

9471. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध निर्माता फर्मों के पास जिनको औद्योगिक लाइसेंस दिये गये है; लाइसेंस की मदों के निर्माण के लिए संयंत्र तथा मशीनरी नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं प्रबन्धों द्वारा प्रश्नाधीन मदों का निर्माण अन्य लोगों के संयंत्रों तथा मशीनों में किया जाता है और यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन के लिये सिद्धदोष फर्मों/व्यक्तियों के नाम

9472. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 25 फर्मों/व्यक्तियों के नाम क्या है जिन का औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उल्लंघन के बारे में दोष सिद्ध हुआ था ; और

(ख) क्या उपभोक्ताओं की जानकारी तथा उनके मार्गदर्शन के लिए सरकार दोषसिद्ध के तथ्य का उचित रूप से प्रचार करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। उसमें आवश्यक जानकारी भी दी जायेगी

Upward Revision of Commission Rates of Stall-Keepers and Vendors

9473. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rates of commission offered to the Stall-keepers and vendors at Railway Stations in various railway divisions in the country;

(b) the category in which the stall-keepers and vendors have been included by the Railways and whether they are provided with uniforms and other facilities;

(c) whether the rate of commission offered in Ratlam Division has been reduced from 12 per cent to 10 per cent and if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to consider upward revision of commission rates in view of increasing prices?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The rates of commission paid to Stall Keepers and vendors are fixed by each Railway. based on local conditions and these vary from station to station and commodity to commodity

(b) Except some stall keepers engaged in catering units worked departmentally who are railway employees, stall keepers and vendors engaged on commission basis in departmental catering establishments and those employed by private catering and vending contractors are not railway employees and hence are not entitled to free uniforms and other facilities applicable to railway employees.

(c) and (d) To ensure uniformity in the rates of commission paid in contiguous areas the rates of commission offered in the Ratlam Division have been reduced from 12 per cent to 10 per cent. It is, however, proposed to review the rates of commission generally at the end of the current year.

पैट्रो-रसायन लघु उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करना

9474. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे के :

(क) क्या पैट्रो-रसायन लघु उद्योगों को निर्माताओं से अपेक्षित कच्चा माल, प्राप्त नहीं होता :

(ख) यदि हां, तो किस किस कच्चे माल की सप्लाई कम है ; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए माल तैयार करने वाले उद्योगों को कच्चे माल के वितरण के लिए क्या नए प्रबंध किये जा रहे है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) देश में थरमों प्लास्टिक कच्चे माल की व्यापक कमी है और इस का प्रभाव प्रोसैसिंग एककों, जिन में लघु क्षेत्र के एकक भी सम्मिलित है, द्वारा प्रतीत किया जा रहा है ।

(ख) पोलीएथिलीन (हाई डेन्सिटी और लो डेन्सिटी) और पी० वी० सी० ।

(ग) सरकार थरमोप्लास्टिक रेसीनों के उचित वितरण के उपायों पर विचार कर रही है । कमी को पूरा करने के लिये इन तीन रेसीनों में से प्रत्येक के 5,000 टन के आयात के लिय एस० टी० सी० को स्वीकृति दी गई है ।

मुजफ्फरनगर में न्यू मण्डी और सिटी ऐरिया के बीच ऊपरी पुल का निर्माण

9475. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मण्डी और सिटी एरिया के बीच रेलवे लाइन पर पैदल चलने वालों के लिए ऊपरी पुल न होने के कारण न्यू मण्डी, मुजफ्फरनगर (उतर रेलवे) के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो न्यू मण्डी बाजार और सिटी को रेलवे रोड को जोड़ने के लिए कब तक पैदलवार ऊपरी पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी):(क) जी नहीं, रेलवे लाइन के पार आने-जाने के लिए जनता की सुविधा की दृष्टि से दो समपार एक दूसरे से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर पहले से मौजूद है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Railway Accidents on Western Railway

9476. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents registered on Western Railway during the last five months ;

(b) the number of accidents caused as a result of acts of sabotage; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the increasing number of accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the period 1-11-1972 to 31-3-1973 there were 54 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Western Railway.

(b) None.

(c) As failure of railway staff is the largest single factor responsible for accidents, safety organisations set up on the railways have been engaged in inculcating safety consciousness amongst staff connected with the running of trains and in ensuring that they have a proper understanding of prescribed safety rules. Further spot checks are made to see that staff do not violate safety rules and indulge in shortcut methods. Inquiries are held into all accidents and those held responsible are dealt with appropriately. In addition, if an inquiry reveals any other shortcomings or lapses, steps are taken with a view to preventing their recurrence. Technological improvements in the nature of improved signalling and interlocking, track circuiting, etc. have also been made to the extent feasible to improve safety.

Platform without shed on Central Railway

9477. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of Railway stations on the Central Railway at present where sheds have not been provided at platforms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

431.

Loss to Southern Railway due to Floods from 1st July to December, 1972

9478. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the estimated amount of loss suffered by the Southern Railway as a result of floods between the period from 1st July, 1972 to December, 1972?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): The estimated loss suffered by Southern Railway as a result of floods from 1st July, 1972 to December, 1972 is Rs. 28.62 lakhs.

अहमदाबाद स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के वाणिज्यिक लिपिक द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस

9479. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1972 में पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद स्टेशन के एक वाणिज्यिक लिपिक ने रेल प्रशासन तथा अन्य सभी सिविल प्राधिकरणों को स्टेशन सुपरिनटैन्डेंट अहमदाबाद के दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया था ;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अहमदाबाद के वाणिज्यिक क्लर्क ने 5-9-72 को पश्चिम रेलवे प्रशासन को इस आशय का नोटिस दिया था कि अहमदाबाद के मुख्य बुकिंग क्लर्क द्वारा उसे राष्ट्रीय छुट्टियों में ड्यूटी के लिए बुक न किये जाने के विरोध में वह 2-10-72 से भूख-हड़ताल करेगा।

जब उसे यह बताया गया कि अत्यावश्यक कार्य होने पर ही कुछ कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों काम करने के लिए बुक किया जाता है, तो उक्त क्लर्क ने नोटिस वापिस ले लिया।

कम माल निकलने के कारण मुगलसराय स्टेशन पर गुड्स क्लर्कों के नाम डाली गई राशियां

9480. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सील लगे माल डिब्बों से गन्तव्य स्टेशनों पर कम माल निकलने पर पूर्वी रेलवे के मुगलसराय स्टेशन पर काम करने वाले जिन गुड्स क्लर्कों के नाम बहुत अधिक राशियां डाली गई है, उनके नाम क्या है ;

(ख) इस कारण प्रत्येक के नाम कितनी राशि डाली गई और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य रेलवे जोनों में भी इसी प्रकार राशियां नाम डाली जाती हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफीकुरेशी) : (क) और (ख) 1970, 1971 और 1972 के दौरान माल की हानि के लिए जिम्मेदार ठहराये गये व्यक्तियों के नाम और उनसे वसूल की गयी राशि नीचे दी गयी है :

	कर्मचारियों के नाम	वसूल की गयी राशि	
		रुपये	पैसे
1970	श्री जी० पी० सिंह, भूतपूर्व यानांतरण क्लर्क . . .	200	..
	श्री आर० बी० लाल, यानांतरण क्लर्क	50	
	श्री परमेश्वर सिंह, यानांतरण क्लर्क	50	
1971	श्री एन० आर० मिस्की, यानांतरण क्लर्क . . .	100	
	श्री मनोहर लाल	100	
	श्री इतवारी लाल	50	

	कर्मचारियों के नाम	वसूल की गयी राशी
		रुपये पैंसे
1972	श्री ए० एन० सिंह	100
	श्री डी० पी० कैसियर	52–40
	श्री एम० एच० मल्लिक	35
	श्री एन० के० ओझा	150
	श्री एन० के० ओझा	250
	श्री एन० के० ओझा	150
	श्री एस० बी० राय	100
	श्री आर० एन० राय	160
	श्री सुरेन्द्र सिंह	150
	श्री सुरेन्द्र सिंह	200
	श्री आर० बी० सिंह	150

(ग) जिन मामलों में माल की हानि के लिये कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है उनमें वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा भी इसी प्रकार की वसूली की जाती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई तथा विद्युत के कार्यकरण पर निबन्ध

9481. श्री वाई० एस० महाजन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय ने मंत्रालय के कार्यकरण पर कौन-कौन से निबन्ध निकाले हैं जो सामान्य जनता के लिए हितकर हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (1970, 1971 और 1972) के दौरान मंत्रालय के कार्यकरण से संबंधित तथा सामान्य जनता की रूचि के प्रकाशित निबन्ध को दिखाने वाला विवरण

1970

1. भारत—सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं (पंचवर्षीय योजनाएं)
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सिंचाई और विद्युत की प्रगति
3. भारत को विद्युत एटलस
4. भागीरथ—केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग रजत जयंती अंक
5. रजत जयंती स्मारिका—1945 से 1970 (केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के 25 वर्ष)

1971

1. सिंचाई और विद्युत विकास (राज्य-वार)
2. भारत के ग्रामों के लिए अधिक विद्युत्

3. 1971-81 दशाब्दी के लिए विद्युत (उत्पादन) योजना
4. ग्राम विद्युतीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्क्षेत्रीय विचार गोष्ठी
5. भारत की बाढ़ एटलस

1972

1. लघु कृषि पंपसेटों के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए मार्गदर्शन तथा अनुदेश
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सिंचाई और विद्युत की प्रगति
3. 1972-73 के लिए विद्युत विकास कार्यक्रम
4. भारत में ग्राम विद्युतीकरण
5. दामोदर घाटी निगम
6. जल तथा विद्युत विकास सलाहकारी सेवाएं (वैपकोज) ।

रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध

9482. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय ने मंत्रालय के कार्यकरण पर कौन-कौन से निबन्ध निकाले है जो सामान्य जनता के लिए हितकर है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : रेलवे इंजीनियरी से संबंधित तकनीकी निबन्ध, जिनमें केवल रेल कर्मचारियों की रुचि होती है, रेल मंत्रालय के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा प्रकाशित किये जाते है । पिछले तीन वर्षों में ऐसे 6 निबन्ध प्रकाशित किय गये है ।

जनसाधारण की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए रेल मंत्रालय प्रतिवर्ष एक लोकप्रिय पुस्तिका 'भारतीय रेल' का प्रकाशन कर रहा है जिसका नवीनतम अंक वर्ष 1971-72 से संबंधित है । इसके अलावा यह मंत्रालय पिछले तीन वर्षों से एक संक्षिप्त किन्तु बहुत सूचना-प्रद पुस्तक प्रकाशित कर रहा है जिसका नाम है 'भारतीय रेलें'—महत्वपूर्ण और प्रमुख समस्याएं और यह भी सामान्य पाठकों के लिए है । इन दोनों प्रकाशनों की बहुत बड़ी वितरण सूची है और संयोग से ये रेलवे बजट प्रलेखों के अंग हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के कार्यकरण पर निबन्ध

9483. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय ने मंत्रालय के कार्यकरण पर कौन-कौन से निबन्ध निकाले हैं जो सामान्य जनता के लिए हितकर हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): गत तीन वर्षों के दौरान पैट्रोलिय और रसायन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गये थे :—

(1) मंत्रालय की वर्ष 1970-71 की वार्षिक रिपोर्ट
(2) मंत्रालय की वर्ष 1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट
(3) मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की वार्षिक रिपोर्ट
(4) औषधि मूल्य नियन्त्रण उद्देश्य एवम् उपलब्धियां (मार्च, 1971 में प्रकाशित)
(5) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े, 1969
(6) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े, 1970
(7) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े, 1971

4—12 L.S.S./73

(8) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–अप्रैल-जून, 1970
(9) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-सितम्बर, 1970
(10) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-दिसम्बर, 1970
(11) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-मार्च, 1970
(12) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-जून, 1971
(13) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-दिसम्बर, 1971
(14) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-जून, 1972
(15) भारतीय पैट्रोलियम एवं रसायन आंकड़े–जनवरी-दिसम्बर, 1972

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कार्य सम्बन्धी विनिबन्ध

9484. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित मंत्रालय के कार्य से सम्बन्धित विनिबन्धों के नाम क्या हैं और उनमें से कौन-कौन से सर्व-साधारण की रुचि के हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कामकाज से सम्बन्धित निम्नलिखित विनिबन्ध, जो आम जनता के फायदे के लिए है, पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए हैं :—

(क) 1970-71 की विधि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ख) 1971-72 की विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ग) 1972-73 की विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट ;

(घ) 1970-71 की कम्पनी कार्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ङ) 1971-72 की कम्पनी कार्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट ; और

(च) कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्टें ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्पनी कार्य विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित दो प्रकाशन निकाले हैं :—

(छ) 1 जून, 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम, 1969 के कार्यकरण और प्रशासन पर रिपोर्ट ; और

(ज) 6 अगस्त, 1970 से 21 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिए एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापार पद्धति आयोग के कार्यकरण पर वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

9485. **श्री दीनेश सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वर्ष में आन्तरिक स्रोतों से गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितना पूंजीनिवेश हुआ है ; और

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में यह कितना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रहीत की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

सराय रोहिल्ला स्टेशन, दिल्ली के हैल्थ इंस्पेक्टर के विरुद्ध ज्ञापन

9486. **श्री झारखण्डे राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सराय रोहिल्ला स्टेशन दिल्ली (एम० जी०) के हैल्थ इन्स्पेक्टर के विरुद्ध अस्पृश्यता का पालन करने और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नीच जाति का कहकर गाली आदि देने पर कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) इस शिकायत की जांच की जा रही है ।

चीनी उद्योग में आवश्यकता से कम पूंजी वाली कम्पनियां

9487. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग की कुछ फर्मों में आवश्यकता से कम पूंजी लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग में उन फर्मों के नामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं, जिनमें आवश्यकता से कम पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) ऐसी फर्मों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

उड़ीसा से हावड़ा के लिए विशेष गाड़ियां

9488. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हाल के दंगों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे ने उड़ीसा से हावड़ा के लिए विशेष गाड़ियां चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) उनमें से कितनी गाड़ियां हावड़ा से उड़ीसा के लिए चलाई गई और उन पर क्या व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक ।

(ग) हावड़ा से उड़ीसा को कोई स्पेशल गाड़ी नहीं चली ।

सिंचाई के लिए गुरपुर नदी पर बांध

9489. **श्री पीलू मोदी :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई के लिए गुरपुर नदी पर पूर्ण बांध बनाने के संबंध में विचार करने का कार्य पांच वर्ष तक किन कारणों से निलम्बित पड़ा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैसूर सरकार ने सूचित किया है कि गुरपुर एनीकट के अन्तर्गत 1098 एकड़ के कुल आयाकट में से 500 एकड़ की सिंचाई दूसरी फसल

के दौरान की जा रही है तथा आयाकट को नदी में पानी की कमी के कारण पूरी तरह विकसित नहीं किया गया था जो एनीकट की प्रतिप्रवाह दिशा में निजी पम्प सेटों द्वारा पानी निकालने के कारण था। राज्य सरकार का विचार है कि एनीकट को ऊंचा करने तथा विस्तार से समस्या हल नहीं होगी क्योंकि कठिनाई जल की अनुपलब्धता है।

Supply of Electricity to Tehsils from Rajasthan Atomic Power Station, Kotah

9490. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the District-wise names of the Tehsils which have been approved for electrification with the electricity generated at first unit of Rajasthan Atomic Power Station set up in Kotah, Rajasthan in 1972; and

(b) the District-wise names of Tehsils which are under consideration?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Atomic Power will be fed into the grid in parallel operation with the existing system. The approval for electrification of the various Tehsils in the State is a separate matter under the purview of the State and is not connected with the commissioning of 1st unit of the Rajasthan Atomic Power Plant.

इंजीनियरिंग तथा एस० एण्ड टी० इन्सपेक्टरों को दिए गए पुरस्कारों का सेवा रिकार्डों के लिए गिना जाना (उत्तर रेलवे)

9491. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में इंजीनियरिंग और एस० एण्ड टी० इंसपैक्टरों को इनाम दिये जाते हैं और क्या इन इनामों पर विभागीय चयनों में इन्सपैक्टरों को सेवा के रिकार्ड के लिए अधिक नम्बर देने के लिए विचार किया जाता है ;

(ख) क्या इन विभागों में 'मेन्टेनेंस और कन्सट्रक्शन' दोनों शाखाओं में इन्सपैक्टरों को यह इनाम प्राप्त करने के समान अवसर होते हैं और यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक विभाग में कन्सट्रक्शन इन्सपैक्टरों की तुलना में जनरल मैनेजर द्वारा 'मेन्टनेंस' इन्सपैक्टरों को बहुत कम संख्या में क्यों इनाम दिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस विभिन्नता का विभागीय चयन में 'मेन्टेनेन्स' इन्सपैक्टरों पर कोई प्रभाव पड़ता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन असमानताओं को दूर करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। विभागीय प्रकरणों में अधिक अंक दिये जाने के लिए इन पुरस्कारों की अनिवार्यतः गणना नहीं की जाती, लेकिन उन्हें ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी हां। पुरस्कार पाने के लिए अनुरक्षण और निर्माण शाखाओं में कार्य कर रहे निरीक्षकों के बीच कोई अनुपात निश्चित नहीं है। पुरस्कार सामान्यतः सराहनीय सेवा, उत्कृष्ट कार्य आदि करने वाले व्यक्तियों को दिये जाते हैं।

(ग) और (घ) पुरस्कार न पाने वालों पर विभागीय प्रवरणों में इसका प्रभाव पड़ना जरूरी नहीं है क्योंकि इसके लिए गोपनीय रिपोर्टों पर आधारित उनके समग्र कार्य, प्राप्त पुरस्कारों, दण्डों आदि को ध्यान में रखना होता है।

इंस्पैक्टर टेलीग्राफ ट्रैफिक मद्रास सैन्ट्रल के विरुद्ध शिकायत की जांच

9492. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के सतर्कता संगठन ने इन्सपैक्टर टेलीग्राफ ट्रैफिक, मद्रास सेन्ट्रल के विरुद्ध विभिन्न कर्मचारियों की मारपीट, झूठे यात्रा भत्ते क्लेम करने, कदाचार और सरकारी रिकार्डों में गड़-बड़ी करने संबंधी अनेक शिकायतों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायत पर सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, दक्षिण रेलवे के सतर्कता संगठन ने अभी हाल में निरीक्षक, तार यातायात, मद्रास सेंट्रल के विरुद्ध कर्मचारियों को मारने पीटने, झूठे यात्रा-भत्ते का दावा करने, सरकारी रिकार्डों में गड़बड़ी करने आदि के सम्बन्ध में कुछ शिकायतों की जांच की है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें निरीक्षक, तार यातायात के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों और जांच के परिणाम का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--5006/73 ।**] जांच के परिणाम के प्रकाश में उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है ।

दक्षिण रेलवे में विधि स्नातकों की भर्ती

9493. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के लिए रेलवे सेवा आयोग द्वारा विधि सहायकों की भर्ती की जा रही है जबकि लम्बी सेवा तथा अनुभव वाले लगभग 50 विधि स्नातक दक्षिण रेलवे की विभिन्न शाखाओं में उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या गत दस वर्षों में सीधे भर्ती किए उम्मीदवार अपने पदों पर जमे नहीं रहते जैसा कि इस प्रकार भर्ती किये गये उन लोगों के अनेक त्यागपत्रों से पता लगता है, जो उन नौकरियों को रेलवे की दक्षता को हानि पहुंचा कर रेलवे की लागत पर कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए अन्तरकालीन प्रबन्ध के रूप में स्वीकार कर लेते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी):(क) से (ग) 305-425/- रुपये वेतन-मान में विधि सहायकों के एक तिहाई खाली पद रेल सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । शेष दो-तिहाई पद सेवारत कर्मचारियों में से चुनाव करके भरे जाते हैं । जो कर्मचारी पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों और विधि स्नातक हों वे भी रेल सेवा आयोग को आवेदन भेज सकते हैं ।

पिछले दस वर्ष में सीधे भर्ती किये गये केवल दो विधि स्नातकों ने त्यागपत्र दिया है ।

मद्रास और मद्रास एगमोर में सिग्नेलरों के विरुद्ध सतर्कता का मामला

9494. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के सतर्कता संगठन ने मद्रास और मद्रास-एगमोर में सिग्नेलरों के विरुद्ध सन्देशों पर गलत समय दिखा कर रिकार्ड को झूठा बनाने के लिए मामले की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास सेंट्रल और मद्रास एषम्बूर के कुछ तारबाबुओं के बारे में यह पता चला था कि उन्होंने अपैल, 1972 में कुछ सन्देशों के मिलने और भेजने का लगत समय रिकार्ड किया है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

रबड़ कारखाना स्थापित करने के लिये भारत और कनाडा के बीच करार

9495. **श्री एम० एस० संजीवीराव :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ कारखाना स्थापित करने के लिए भारत और कनाडा के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि० कोयाली (गुजरात) में 20,000 मीटरी टन वार्षिक क्षमता के एक पोलीवियूटाडीन रबड़ संयंत्र की स्थापना कर रहा है। इस प्रयोजना के लिय आवश्यक विदेशी मुद्रा केनेडीयन इन्टर नेशनल डेवलपमेन्ट एजन्सी के द्वारा कैनाडा सहायता से प्राप्त की जायगी। 7.50 मिलियन कैनाडा डालर (5.25 करोड़ रुपये) के लिये एक ऋण समझौते पर 16 मार्च 1973 को हस्ताक्षर किये गय हैं। टेकनोलाजी सेवाओं, संयंत्रों और सामग्री की विदेशी मुद्रा लागत इ ऋण के अन्तर्गत पूरी की जायेगी। यह ऋण केनाडा से प्राप्त सहायता पर लागू सुलभ शर्तों पर है ; वह 10 वर्षों की माफी-अवधि के साथ 50 वर्षों में वापस किया जाना है और इस पर कोई ब्याज या सेवा प्रभार नहीं है।

तट-दूर तेल की खोज के कार्य में विदेशी सहयोग के बारे में मालवीय समिति की चेतावनी

9496. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समिति ने चेतावनी दी थी कि देश को ऐसे विदेशी सहयोगकर्ता का प्रस्ताव अधिक आशा रख कर शीघ्र ही मान लेना चाहिय जो भारत में आधारित न हो क्योंकि वह अपने हिस्से के तेल के लिए दुर्लभ मुद्रा की मांग कर सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने तट-दूर क्षेत्रों में तेल का पता लगाने के लिए विदेशी फर्मों से सहयोग प्राप्त करने सम्बन्धी नई नीति के निर्धारण में समिति की चेतावनी की उपेक्षा क्यों की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अपतटीय अन्वेषण में विदेशी सहयोग पर अपनी नीति बनाते समय सरकार ने समिति के मतों तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा है। देश के कुछ चुने हुये अपतटीय क्षेत्रों में "सामान्य ठेकेदार" किस्म के प्रबन्ध के आधार पर विदेशी पार्टियों के साथ सहयोग करने का सरकार का विचार है। इन प्रबन्धों के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है किन्तु ऐसा करते समय देश के हितों को ध्यान में रखा जाएगा

दमदम क्षेत्र में डायनामाईट के बड़े भंडार का पता लगाना

9497. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल ने पश्चिम बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस की सहायता से हाल ही में दमदम क्षेत्र से ारी मात्रा में डायनामाईट का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

जामनगर के प्लास्टिक उद्योग में कच्चे माल की कमी

9498. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर के प्रसिद्ध उद्योग में कच्चे माल की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो जामनगर में प्लास्टिक के कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि यह उद्योग बन्द न होने पाए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बताया जाता है कि जामनगर में छोटे पैमाने पर बटन बनाने वाले एकक पीअरलाइज्ड ऐक्रीलिक शीटें जो उद्योग के लिये आवश्यक हैं, प्राप्त करने में कठनाई का सामना कर रहे हैं ।

(ख) इस कच्चे माल के आयात नीति में परिवर्तन का प्रश्न लघु उद्योग विकास कमिश्नर के साथ उठाया जा रहा है ।

उत्तर रेलवे के ए० पी० डब्ल्यू० आईज की वरिष्ठता निर्धारित करना

9499. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर रेलवे के ए० पी० डब्ल्यू० आईज की वरिष्ठता निर्धारित करने सम्बन्ध में दिनांक 14-3-73 का पत्र संख्या एम० एम०/14 तथा 15 प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 14-3-1973 के पत्र सं० एम० एम०/14 का उत्तर दे दिया गया है । 14-3-1973 के पत्र सं० एम० एम०/15 में उठाये गये मुद्दों की जांच की जा रही है ।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के परामर्श से समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन के बारे में अध्ययन

9500. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के परामर्श से देश में समुद्री लहरों से विद्युत उत्पादन करने के संबंधी अध्ययन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी हां । गुजरात में कैम्बे की खाड़ी में और अन्य किसी उपयुक्त स्थलों में ज्वारीय विद्युत उत्पादन की तकनीकी

व्यवहार्यता और आर्थिक पहलुओं की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के ग्राम्य कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करना प्रस्तावित है ।

फैजाबाद छावनी क्षेत्र में गुप्ता घाट पर बिजली का प्रबंध

9501. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद छावनी क्षेत्र में गुप्ता घाट पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और इस सुविधा के अभाव के कारण गुप्ता घाट की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) फैजाबाद में गुप्ता घाट इस समय विद्युतीकृत नहीं है । बहरहाल, विद्युतीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने फैजाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड से इनके कार्यान्वयन के लिए अनुमानित राशि जमा कराने का अनुरोध किया है ।

अयोध्या के पुल पर रोशनी का प्रबंध

9502. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या के पुल पर रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वहां पर बिजली का प्रबंध करने के संबंध में गोंडा और फैजाबाद में कोई मतभेद है ; और

(घ) केन्द्र ने वहां पर बिजली का प्रबन्ध करने के लिए क्या उपाय किए हैं और वहां पर बिजली का प्रबंध कब तक हो जाने की संभावना है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) अयोध्या के पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था जिन्होंने पुल पर तार लगाए थे । पुल पर बिजली 10 अप्रैल, 1973 से दे दी गई है ।

Cancellation of Merit List for Posts of Assistant Inspectors for Battalion No. 2, R. S. F.

9503. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether selection for the posts of Assistant Inspectors for Battalion No. 2 of RSF was made in Gorakhpur during the period from 29th July, 1967 to 31st July, 1968; and

(b) whether the selection list was subsequently cancelled; and if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) The selection for the posts of Assistant Sub-Inspectors for the Railway Protection Special Force was held from 29th July, 1968 to 31st July, 1968 at Gorakhpur—the Headquarters of No. 2 Battalion, Railway Protection Special Force.

(b) After the selection was over, it was found that the same was not held in accordance with the RPF Rules/Regulations. The selection in question was, therefore, cancelled and no merit list drawn.

बीरामंडी रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गोली चलाने से श्री विनोददास की मृत्यु

9504. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 28 फरवरी, 1973 को लगभग 10-30 बजे प्रातः रेलवे सुरक्षा दल द्वारा 27 वर्षीय श्री विनोद दास को उसके घर से कथित घसीट कर बाहर लाया गया और दिन दहाड़े उस पर पुरुलिया जिला (पश्चिम बंगाल) में बीरामंडी रेलवे स्टेशन पर गोली चलाई गई जिसके परिणामस्वरूप उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) 28-2-73 को लगभग 11-15 बजे रेल सुरक्षा दल का एक सशस्त्र गश्ती दल जिसमें एक वरिष्ठ रक्षक और तीन रक्षक थे बड़ाभूम की दिशा से बीरमडोह लौट रहा था। उसने बीरमडोह स्टेशन के होम सिगनल के पास स्थित 'लोकेशन बाक्स' के निकट कुछ आदमियों को सन्दिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा। वरिष्ठ रक्षक और एक रक्षक 'लोकेशन बाक्स' की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि उसका दरवाजा खुला है और शरारती व्यक्ति उसकी तारें और दूसरे उपकरण काट रहे हैं। वे लोग तीर-कमान, कुल्हाड़ी और छैनी से लैस थे। रेलवे सुरक्षा दल के अग्रिम दस्ते द्वारा ललकारे जाने पर एक बदमाश ने अपनी कमान पर तीर चढ़ा कर उनकी ओर निशाना साधा। वरिष्ठ रक्षक और एक रक्षक ने रेल सम्पत्ति और अपनी जान को खतरे में देख कर आत्मरक्षा के अधिकार से अपनी बन्दूकों से एक-एक गोली चलायी। इसके फलस्वरूप विनोद दास नामक एक बदमाश गिर गया और मर गया। दूसरे बदमाश भाग खड़े हुए और गायब हो गये। रेलवे सुरक्षा दल की रिपोर्ट पर राज्य रेलवे पुलिस/पुरुलिया द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/511/307 के अन्तर्गत 28-2-73 को केस नं० 4 के रूप में एक मामला दर्ज कर लिया है। मृतक विनोद दास की माता द्वारा 12-3-1973 को रेलवे सुरक्षा दल के विरुद्ध शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364/302/109/195 के अन्तर्गत राज्य रेलवे पुलिस ने एक जवाबी मामला दर्ज कर लिया है। दोनों मामलों की जांच हो रही है। पुलिस ने रेलवे सुरक्षा दल के उपर्युक्त दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा बीरमडोह स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर ने पुरुलिया के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है।

Action against pick-pockets active on Railway Stations on Kasganj-Mathura and Hathras-Aligarh Sections

9505. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether gangs of pick pockets are active at each of the Railway stations from Kasganj to Mathura and Hathras to Aligarh;

(b) whether three members of that gang were caught red-handed on the night of March 15th/16th and were handed over to C.R.P., Hathras;

(c) whether the S.H.O. of Hathras Railway police station is alleged to be in collusion with this gang; and

(d) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 3 cases of pick pocketing occurred on 16-3-73 between stations Hathras city and Hathras Junction on the Kasganj and Mathura Section. No case is reported to have occurred between Hathras and Aligarh.

(b) Yes.

(c) Enquiries into the allegations of collusion of Station House Officer, GRP, Hathras with the criminals are being made. Assistant Sub-Inspector, Government Railway Police, Hathras has been transferred.

(d) Necessary action against him will be taken by Government Railway Police authorities on finalization of the enquiry if the allegations are proved.

Unemployed Engineers in Madhya Pradesh given Agencies for Petrol Pumps and Gas during 1972

9506. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

The number of the unemployed engineers in Madhya Pradesh who applied for agencies of petrol pumps and gas during 1972 and the number of persons out of them, who have been given agencies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : The Indian Oil Corporation an autonomous public sector undertaking, introduced in December, 1971 a Scheme whereby all the Corporation-owned Retail Outlets and other agencies are awarded preferentially to the disabled defence personnel, widows/dependants of those killed or missing in action and ex-Servicemen on the basis of the specific recommendations made by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence. Where the Director General of Resettlement is unable to recommend any candidate for any particular dealership/agency the same is offered to unemployed graduates/engineers from the low income group families etc.

In view of the above policy of the IOC, no offers of dealerships either in respect of Retail Outlets or in respect of Indane Agencies were made by the Corporation during the year 1972 to unemployed graduates and therefore no applications were received in that regard. However, the Corporation issued appointment letters in respect of two Retail Outlets to unemployed graduates in the State during 1972 against commitments made prior to the introduction of the above Scheme.

लखनऊ बेंच को पुनः लखनऊ में रखने के लिए अवध के वकीलों का प्रधान मंत्री से अनुरोध

9507. **श्री विभूति मिश्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवध के वकीलों ने प्रधान मंत्री से मिल कर उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच को पुनः लखनऊ में रखने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अवध बार एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की अधिकारिता के संबंध में प्रधान मंत्री से मिले थे ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा मामला तय कर दिया गया है ।

1952 से अब तक कराए गए साधारण और मध्यावधि निर्वाचन

9508. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1952 से अब तक भारत में मध्यावधि निर्वाचनों सहित कितने साधारण निर्वाचन कराये जा चुके हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक साधारण और मध्यावधि निर्वाचन पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 1952 से अब तक हुए साधारण और मध्यावधि निर्वाचनों की कुल संख्या 15 है।

(ख) प्रत्येक साधारण और मध्यावधि निर्वाचन के संबंध में उपगत कुल व्यय सभी 15 निर्वाचनों की बाबत तुरंत उपलभ्य नहीं है। सात निर्वाचनों के बारे में उपलभ्य जानकारी निम्नलिखित है :–

निर्वाचन का स्वरूप	वर्ष	कुल व्यय
		रुपये
1. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन	1951-52	10,45,47,099
2. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन	1957	5,90,21,786
3. केरल विधान सभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन . .	1960	26,92,430
4. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन	1962	7,31,58,000
5. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन	1967	10,95,33,772
6. लोकसभा और उड़ीसा, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन . .	1971	14,43,04,626
7. कतिपय राज्यों और संघ राज्यों तथा दिल्ली महानगर परिषद के लिए साधारण निर्वाचन . . .	1972	13,72,28,192

शेष निर्वाचनों के संबंध में जानकारी संबंधित राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल सम्बन्धी खोज के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाना

9509. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय समिति ने, जिसने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की परीक्षा की थी तेल सम्बन्धी खोज कार्य के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सिफारिश की जांच कर ली थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश की रुई मिलों में कोयले के स्टाक की गम्भीर स्थिति

9510. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इंदोर, उज्जैन तथा रतलाम की रुई मिलो में कोयले के स्टाक की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है ;

(ख) क्या इसका मुख्य कारण यह है कि फरवरी, 1973 मास के लिए नियत वैगन कोठे में से इन स्थानों पर कोयले का कोई भी वैगन नहीं मिला ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा स्थापित अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र वेधशालायें

9511. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ संबंधी चेतावनी संबंधी समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के लिए भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा स्थापित अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्रों वेधशालाओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): बाढ़ चेतावनी की समस्याओं का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने हेतु भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा कोई ऐसे अध्ययन-मय-अनुसंधान केन्द्र/वेधशाला स्थापित नहीं की गयी है ।

पश्चिम बंगाल की कुछ फर्मों में से श्री हरिदास मूंदड़ा द्वारा धोखे से कथित धन निकाला जाना

9512. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में यह आरोप लगाया गया था कि श्री हरिदास मुंदडा ने पश्चिम बंगाल की पांच फर्में यथा, एंग्लोब्रदर्स, स्मिथ सैनीस्ट्रीटी लिमिटेड, एंलाक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लोढ़ना कोलियरी (1920) लिमिटेड और शालीमार वर्क्स लिमिटेड से दिल्ली की कुछ संस्थाओं में शेयर खरीदने के लिए धोखे से बहुत बड़ी धनराशि निकाल ली थी ; और

(ख) धोखाधड़ी के इस सौदे को रोकने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की थी, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण): (क) और (ख) सरकार के नोटिस में आया कि ये कम्पनियां कतिपय समव्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से शंकायुक्त और सम्बन्धित कम्पनी के हितों में नहीं था, में सम्मिलित हुई थी। तदनुसार, यथा निम्नांकित प्रत्येक पृथक-पृथक मामले में अनुवर्ती कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। प्रारम्भ की गई कार्यवाही के अन्तिम परिणामों के ज्ञात होने के पश्चात् ही केवल उन समव्यवहारों के दोषों के विषय में निश्चित परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। जहां तक, मैसर्स लोढ़ना कौलिरी (1920) लिमिटेड और मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड का सम्बन्ध है, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एफ० आई० आर० के आधारों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, उनके अभिलेखों को अपने अधिकार में ले लिया। कम्पनियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में लिखित याचिकाएं प्रस्तुत की और न्यायालय नियम प्रेषित हुआ तथा अन्तरिम व्यादेश स्वीकृत किया गया। इस परिणाम के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आगे जांच जारी नहीं रख सका ।

2. मैसर्स एंजलो ब्रोस लिमिटेड के सम्बन्ध में, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम की धार 233क के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया। कम्पनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका प्रस्तुत की, जो अभी भी अनिर्णीत है। उच्च न्यायालय ने व्यादेश को 4 मई, 1972 को समाप्त कर दिया, लेकिन भूतपूर्व प्रबन्ध के असहयोग के कारण, विशेष लेखा-परीक्षक आगे कार्य नहीं कर सका। कम्पनी विधि बोर्ड ने विशेष लेखा-परीक्षक को लेखा-परीक्षा करने के लिए लेखा-बहियों को प्रस्तुत न करने वाले दोषी निदेशकों के चालान की स्वीकृति दी।

3. मैसर्स एंजेलो ब्रोस लिमिटेड और मैसर्स लोडना कोलिरी कम्पनी (1920) लिमिटेड के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अन्तरिम प्रबन्ध मंडल नियुक्त किया है। मैसर्स एंजेलो ब्रोस लिमिटेड के नये प्रबन्ध मंडल की नियुक्ति के पश्चात उसने कार्य ग्रहण किया, विशेष लेखापरीक्षक को लेखा-परीक्षा करने के लिए लेखा-बहियां दी गई तथा कम्पनी की लेखा-बहियों को विशेष लेखों परीक्षा प्रारम्भ कर दी गई है।

4. जहां तक मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट लिमिटेड का सम्बन्ध है, कम्पनी के कार्यों में कुप्रबन्ध की निम्नलिखित रिपोर्टों पर, भारत सरकार ने औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत, एक समिति के माध्यम से जांच का आदेश दिया। समिति की रिपोर्ट पर ध्यान पूर्वक विचार किये जाने के पश्चात्, यह निर्णय लिया गया था कि मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के समस्त उपक्रमों के प्रबन्ध को, 4-5-1972 से दो वर्ष की अवधि हेतु, कथित अधिनियम की धारा 18क के अन्तर्गत, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। इस कम्पनी की लेखा-बहियों का भी, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण ने साथ-साथ यह प्रगट किया कि प्रबन्ध ने इण्डियन मैटालाजिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जिसका उचित संचालन नहीं किया जा रहा था, के 10 रु० प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 40,000 हिस्सों को 7 रु० प्रति श्री एच० डी० मूंदडा से खरीदा है। इण्डियन मैटालजिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की लेखा-बहियों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नवम्बर 1970 में लिखित शिकायत की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल चालू है।

5. मैसर्स अलकोक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत, कम्पनी की लेखा-बहियों के निरीक्षण का आदेश दिया गया था और 26-6-1971 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा भी कम्पनी के कार्यों का औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत जांच का आदेश दिया गया था। बाद में, बम्बई उच्च न्यायालय ने कम्पनी को बन्द किये जाने और सरकारी समापक की नियुक्ति के आदेश पारित किये। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सरकारी समापक को, उसमें उल्लिखित सूचना के आधार पर, जो सम्भव हो, ऐसी कार्यवाही करने के लिए, अग्रेषित की गई थी। सरकारी समापक द्वारा कार्यवाही न्यायालय के बन्द किये जाने के निर्देशों पर निर्भर करेगी।

Setting up of a Caustic Soda Factory in Sanchi (M.P.) by D. C. M.

9513. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether D.C.M. team has selected a site near Sanchi in Madhya Pradesh for setting up a caustic soda factory; and

(b) the main features of the factory?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) and (b) M/s. D.C.M. have not been granted any letter of intent for setting up a caustic soda factory in Madhya Pradesh. However, the Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam Limited, a State Public Sector Undertaking has been granted a letter of intent for setting up a caustic soda factory in Madhya Pradesh. A proposal received from them for collaboration with M/s. D.C.M. for putting up the project in the joint sector is under consideration. The final site for location of the project has not yet been intimated.

भारत में ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनियों के शेयर खरीदने पर श्री कल्याण बसु पर प्रतिबन्ध

9514. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग के आदेश से, स्विटजरलैंड में रह रहे एक भारतीय नागरिक, श्री कल्याण बसु पर भारत में कुछ ब्रिटिश स्वामित्व वाली कम्पनियां खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ख) क्या श्री बसु के विरुद्ध जांच अब पूरी हो गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) कंपनी विधि बोर्ड को आरोप प्राप्त हुए थे कि श्री कल्याण बसु, मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में निगमित चार विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित हिस्सों के अभिग्रहण का प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रसंग में, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250(4) के अन्तर्गत मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में सम्मिलित चार संस्थाओं नामशः आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, शॉ डर्बी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, शॉ स्काट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि०, लन्दन द्वारा धारित हिस्सों के सम्बन्ध में एक आदेश पारित किया।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो जांच सम्पन्न की जा रही है अभी पूर्ण नहीं हुई है।

श्री कल्याण बसु पर कलकत्ता से बाहर जाने पर प्रतिबंध

9515. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्पनी कार्य विभाग के अभ्यावेदन पर न्यायालय के आदेश के अनुसार श्री कल्याण बसु पर कलकत्ता से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण): नहीं, श्रीमान। इस विभाग ने श्री कल्याण बसु के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये किसी न्यायालय में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

बर्दवान-कटवा और कटवा-अहमदपुर नेरोगेज लाइनों (पूर्वी रेलवे) की रेलवे भूमि के रेलवे कर्मचारियों में वितरित करना

9516. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-74 के दौरान पूर्वी रेलवे की बर्दवान-कटवा और कटवा-अहमदपुर नैरोगैज लाइनों पर गरीब रेलवे कर्मचारियों (नैमितिक कर्मचारी) के बीच कुल कितनी एकड़ काश्त की गई और काश्त योग्य भूमि अबांटित की गयी और क्या भूमि का यह आबंटन कर्मचारी के आवास की निकटता के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या रेलवे भूमि पट्टे पर दी जाती है और उपज में वास्तविक काश्तकार और लाइसेन्स होल्डर दोनों भागीदार होते हैं ; और यदि हां, तो इस प्रणाली को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) :(क) बर्दवान-कटवा और कटवा-अहमदपुर छोटी लाइन पर उपलब्ध कृषि योग्य जमीन का कुल रकवा 214 एकड़ है। इसमें से स्टेशन सीमाओं के अन्दर पड़ने वाली 49 एकड़ जमीन रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर दे दी गयी है और स्टेशन सीमाओं से बाहर की 74 एकड़ जमीन वर्तमान नीति के अनुसार कृषकों को आबंटित करने के लिए राज्य सरकार को सौंप दी गयी है।

रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर जमीन देते समय कर्मचारियों के निवास स्थान से सामीप्य के सिद्धान्त का पालन तब किया जाता है जब जमीन के एक ही प्लाट के लिए एक से अधिक आवेदनकर्ता होते हैं ।

(ख) रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर जमीन देते समय एक वचन लिया जाता है कि उस जमीन पर वे और उनके परिवार के सदस्य मजदूरों की सहायता से खेती करेंगे और इस प्रकार लाइसेंस पर मिली जमीन को लगान पर न चढ़ायेंगे अथवा फसल की बटाईदारी पर बाहरी व्यक्तियों से न जुतवायेंगे । जमीन को लगान पर चढ़ाने का कोई मामला रेल प्रशासन के ध्यान में नहीं आया है ।

गुजरात के तट पर विदेशी सहायता से तट-दूर टर्मिनल बनाना

9517. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के तट पर विदेशी सहायता के साथ एक तट-दूर टर्मिनल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम ने मथुरा शोधनशाला एवं विस्तृत कोयाली शोधनशाला के लिए अपेक्षित आयातित अशोधित तेल को प्राप्त करने के लिए कच्छ की खाडी में एक तट-दूर टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है । तट-दूर टर्मिनल को तट-टैंकों के साथ मिलाने के लिए, तट-दूर टर्मिनल, अतः समुद्री पाइपलाइन के साथ एक एकाकी पाइन्ट लंगर यन्त्र से निर्मित होगा । क्योंकि इस प्रकार का कार्य देश में अभी तक नहीं हुआ है, इस सम्बन्ध में एक योग्य विदेशी परामर्शदाता से सहायता प्राप्त की जायेगी । इस सुविधा कार्य पर अनुमानित लागत 620 लाख रुपये होगी जिसमें लगभग 400 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा अंश शामिल होगा ।

औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि

9520. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अल्कोहल की भारी कमी है तथा प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपए के मूल्य के इस महत्वपूर्ण कच्चे माल का अमरीका से आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने तथा इसकी लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अल्कोहल वर्ष 1971-72 में तथा चालू वर्ष 1972-73 में अल्कोहल की कमी अनुभव की गई । चालू वर्ष की इस कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने 1.72 करोड़ रुपये के मूल्य का 16,500 मीटरी टन अल्कोहल आयात करने की अनुमति दी है । यह आयात अमेरिका से किया जा रहा है ।

(ख) मूल रूप से अल्कोहल का देशीय उत्पादन गन्ने की खेती से सम्बन्धित है क्योंकि चीनी तथा सीरे की मात्रा की उपलब्धि इसी पर आधारित होती है । तथापि सीरे की वर्तमान उपलब्ध सप्लाई को बनाये रखने के लिए, सरकार ने भण्डार सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाये हैं । सरकार द्वारा निर्धारित कार्य-पद्धति के अनुसार सीरे तथा अल्कोहल के मूल्य निर्धारित करने वाले कानूनी आदेश के अन्तर्गत धन राशि का कुछ अंश श्रेष्ठ भंडार सुविधाओं के निर्माण के लिए अलग से रखना पड़ता है । इस उपाय से यह आशा की जाती है कि आसवन हेतु सीरे की उपलब्धि में वृद्धि होगी ।

अल्कोहल की उपलब्ध-मात्रा का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को इसके प्राथमिक आधार पर उपयोग करने के बारे में मांग निर्देशन जारी किए हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम के माध्यम से उर्वरक का आयात

9521. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उर्वरक निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे आयात करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं जबकि आयातित उर्वरकों जैसी वस्तुओं के अधिकांश भाग का विपणन उनके माध्यम में ही किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : उर्वरक की एक छोटी सी मात्रा के अलावा जो उर्वरक निर्माताओं के बीच कार्यक्रम आदि के लिए आबंटित की जाती है, आयातित उर्वरक का वितरण केन्द्रीय उर्वरक पूल (सेन्ट्रल फर्टिलाइजर पूल) द्वारा राज्य सरकारों/संघ के राज्य क्षेत्रों, तथा कामोडीटी बोर्डों द्वारा किया जाता है ताकि भारतीय उर्वरक निगम जैसे सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय का केन्द्रीय उर्वरक पूल आयातित उर्वरक की प्राप्ति, वितरण आदि के सब कार्यों का समन्वय करने की उपयुक्त एजेन्सी है ।

केरल में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत

9522. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कुछ रेलवे स्टेशनों का विस्तार करने एवं उनकी मरम्मत करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किन-किन स्टेशनों को सम्मिलित किया जायेगा ; और

(ग) उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों की आवश्यकतानुसार मरम्मत/उनका विस्तार एक सतत प्रक्रिया है । 1973-74 में 4.59 लाख रुपये की कुल लागत से एरणाकुलम, पुनलूर, ओटट्क्कोविल, एडपालयम और कण्णानूर में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । इसके अलावा तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल-एरणाकुलम मीटर लाइन खण्ड को बडी लाइन में परिवर्तन के एक अंग के रूप में पांच स्टेशनों अर्थात् तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल, मुरुवकटपुरम, कडक्काबूर, वर्कला और कोल्लम में सुधार किया जायेगा और 1975 तक यह काम पूरा हो जायेगा ।

उच्चतम न्यायालय की एक बेंच दक्षिण भारत में स्थापित करना

9523. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में किसी सुविधाजनक स्थान पर उच्चतम न्यायालय की **एक** बेंच स्थापित करने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एस्सो द्वारा कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग

9524. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो ने भी अपने आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में और वृद्धि करने की मांग की है और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा रहा है और सरकार मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बिहार में फाल्गु नदी पर उधारा अस्थान बांध से नहर निकालने के बारे में योजना

9525. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में फाल्गु नदी के उभारा-अस्थान बांध से निकट भविष्य में नहर निकालने (केनाल एक्सटेंशन) के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तब क्रियान्वित कर दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा):(क) बिहार सरकार ने बताया है कि फालगु नदी पर उधारा–अस्थान बराज से वर्तमान नहरों के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्थित बदरपुर बिजली घर में आग

9526. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अप्रैल, 1973 को बदरपर बिजली घर दिल्ली में आग लग गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने आग लगने के कारणों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) मामला पुलिस को सौंप दिया गया था जिसने मामले की जांच–पड़ताल पूरी कर ली है। इस उद्येश्य के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत स्कन्ध) ने एक विभागीय जांच समिति भी गठित की है।

(ग) विभागीय जांच समिति तथा पुलिस से रिपोर्टें प्रतिक्षित हैं।

Railway Wagons for Transportation of Foodgrainst

9527. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the daily requirements of Railway wagons for transportation of foodgrains, zone-wise and the likely demand thereof in the coming week ;

(b) the steps being taken to meet the demand fully; and

(c) if there is any difficulty in arranging wagons at any particular place, what steps are being taken to overcome the difficulty immediately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The movement of Rabi foodgrains is mainly concentrated in the three surplus States of Punjab, Haryana and U.P. The forecast of daily wagon requirementss furnished by the Ministry of Agriculture for the month of May 1973 for movement of foodgrains from the different zonal railways is indicated in the following table :

Railway	Daily wagon requirements		
	Broad gauge	Metre gauge	Narrow gauge
Northern	1300 (Inter-State) 100 (Intra-State)	150	..
Western	45	95	..
Eastern	50	..	..
Central	165		..
North Eastern	..	70	..
Southern	60	35	
South Central	60		
South Eastern	210	..	40
	1,990	350	40

(b) Necessary arrangements have been made to ensure supply of wagons for movement of foodgrains as per demands placed by the Food Corporation of India.

(c) Normally inward released wagons are utilised for backloading foodgrains offering at a particular station. When these are not found adequate to meet the requirements, arrangements are made to work empty wagons from nearby sources.

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन

9528. **श्री के० एम० चावड़ा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली अधिकतर औषध निर्माता फर्में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक में कितना अधिक उत्पादन किया है ; और

(ग) सरकार का उक्त फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथा समय रखी जायेगी।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों को दिए गए प्रत्येक सी० ओ० बी० लाइसेंस की क्षमता और बिक्री मूल्य

9529. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री 27 मार्च, 1973 प्रश्न संख्या 4880 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषध निर्माता फर्मों को दिये गये प्रत्येक सी० ओ० बी० लाइसेंस की क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक सी० ओ० बी० लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों का बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) सरकार के पास सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई उचित जांच की गई थी कि विदेशी फर्मों द्वारा की गई अनियमितताएं उनको जारी किये गये सी० ओ० बी० लाइसेंस से नियमित न बन जायें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5007/73**]

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिये 6 प्रार्थना-पत्र सरकार के पास पड़े हैं जिन में से तीन उन कम्पनियों के हैं जिन की 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी है।

(घ) जी हां। जैसा कि संदर्भित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, इस विषय पर सरकार के अनुदेशों के आधार पर सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये हैं।

मणिपुर और त्रिपुरा की बार एसोसिएशन द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन के फलस्वरूप उन राज्यों में न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन के समय संरक्षण के लिए अनुरोध

9530. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर और त्रिपुरा की बार एसोसिएशनों ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पुनर्गठन के परिणामस्वरुप राज्यों की न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन के अवसर पर कुछ संरक्षण देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के संरक्षण की मांग की गई और अब इस मामले की वास्तविक स्थिति क्या है ;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में बार एसोसिएशनों का तुलनात्मक दर्जा क्या है ; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय को देखते हुए विभिन्न राज्यों में बार एसोसिएशनों के संबंध में कोई एक केन्द्रीय समन्वयकारी एजेंन्सी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर०गोखले) :(क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन के समय मणिपुर और त्रिपुरा की किसी भी बार एसोसिएशन से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 34 भूतपूर्व न्यायिक आयुक्त के न्यायलयों में विधि–व्यवसाय करने के हकदार अधिवक्ता के लिए इस रूप में उपबंध करती है कि वह सामान्य उच्च न्यायालय में विधि–व्यवसाय करने का हकदार है वही धारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में भी आवश्यक परिवर्तन करती है। मणिपुर (न्यायालय) अधिनियम, 1955 और त्रिपुरा (न्यायालय) अधिनियम, 1950 में सभी परिणामिक और आवश्यक संशोधन पूर्वोत्तर क्षत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की नवीं और दसवीं अनुसूचियों के साथ पठित धारा 76 के अनुसार किए गए हैं।

आसाम मेल तथा अन्य रेलगाड़ियों में मनीपुर के लिये विशेष बोगिय जोड़ना

9531. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दीनापुर (मनीपुर रोड) को आने–जाने वाली रेलगाड़ियों में मनीपुर आने–जाने वाले यात्रियों के लिये वर्तमान व्यवस्था नितांत अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम मेल जैसी कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में मनीपुर के लिये विशेष बोगियाँ जोड़े जाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं, वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दीनापुर क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा मनीपुर के यात्रियों को तंग किया जाना

9532. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर से बहुत से यात्रियों की असुविधाओं का पता है, जिन्हें दीनापुर क्षेत्र में तथा उसके आसपास रलवे कर्मचारियों द्वारा तंग किय जाने के समाचार मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की जाएगी और यदि हां, तो कब और किस स्तर पर ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अब तक इस तरह की कोई शिकायत रेल प्रशासन को नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी कर्मचारियो के वेतनमान तथा उन्हें स्थायी बनाना

9533. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उनके मंत्रालय में काम कर रहे हिन्दी कर्मचारियों, जैसे हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों, तकनीकी सहायकों अनुसन्धान सहायकों आदि की कुल संख्या और उनके वेतनमानों का विभागवार और श्रेणी वार ब्यौरा क्या है ।

(ख) उनमें स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे हिन्दी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने पदों पर गत तीन वर्षों अथवा उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं, किन्तु फिर भी अस्थायी हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उन्हें कब तक स्थाई किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के हिन्दी कर्मचारियों के बारे में सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	पद नाम	पदों की संख्या	क्या पदधारी स्थाई है या अस्थाई	वेतनमान
1	हिन्दी अधिकारी (श्रेणी I राजपत्रित)	1	अस्थाई	रु० 350–25–500–30–590–दक्षता रोध 30–800–दक्षता रोध 830–35–900
2	वरिष्ट हिन्दी अनुवादक (श्रेणी–II अराजपत्रित)	1	स्थाई	रु० 325–15–475–दक्षता रोध –20–575
3	हिन्दी सहायक (श्रेणी –II अराजपत्रित)	1	अस्थाई	रु० 210–10–270 –15–300– दक्षता रोध –15–450–दक्षता रोध–20–530
4	निजी सहायक हिन्दी (श्रेणी–II अराजपत्रित)	2	अस्थाई	—वही—

(ग) एक हिन्दी सहायक पद का पदधारी इस पद पर 3 वर्ष के अधिक समय से कार्य कर रहा है। वह एक स्थायी अपर डीवीजन क्लर्क है और यदि वह अपर डीवीजन क्लर्क के पद पर अपना ग्रहण अधिकार (लियन) त्यागने को तैयार हो जाए तो उसे हिन्दी सहायक का स्थायी पद दिया जा सकता है।

(घ) हिन्दी अधिकारी तथा निजी सहायक (हिन्दी) के पदों को स्थायी पदों में परिवर्तन करने की आवश्यकता का पुनरीक्षण इन पदों के तीन वर्ष से भी अधिक अवधि तक चालू रहने के बाद किया जाएगा। हिन्दी सहायक की स्थाई नियुक्ति उसके द्वारा इस पद पर नियमित रूप से नियुक्त किये जाने की इच्छापर निर्भर करती है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में कार्य कर रहे हिन्दी कर्मचारी

9534. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कार्य कर रहे हिन्दी सहायक, हिन्दी अनुवादक तकनीकी सहायक, अनुसंधान सहायक जैसे हिन्दी कर्मचारियों की, विभाग तथा श्रेणीवार पृथक–पृथक कुल कीतनी संख्या है तथा उनके वेतनमान क्या हैं ;

(ख) उनमें से पृथक–पृथक स्थायी और अस्थायी कर्मचारियो की संख्या कितनी है ;

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों अथवा अधिक समय से अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक अस्थायी हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) और (घ) केवल एक ही हिन्दी अनुवादक ग्रेड–दो हैं जो कि तीन साल से अधिक समय से अस्थायी आधार पर प्रतिनियुक्ती पर है। हिंदी अनुवादक के पद पर स्थायी करने संबंधी प्रश्न पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने पर, विचार किया जाएगा।

विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या			वेतनमान	पदधारी स्थायी है अथवा अस्थायी
	स्थायी	अस्थायी	योग		
हिंदी अनुवादक ग्रेड–एक	2	..	2	रु० 320–15 –425–द० रो० 15–530	अनुवादक ग्रेड़–एक का एक पद स्थायी रूप में धारण किया तथा पदधारी तदर्थ आधार पर हिंदी अधिकारी की क्षमता में स्थानापन्न है। परिणामी रिक्ति तथा अन्य पद, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा केडर के दो स्थायी निम्न श्रेणी लिपिकों की प्रतिनियुक्ती द्वारा भरे हुए हैं।
हिंदी अनुवादक ग्रेड–दो	1	2	3	रु०210–10 –290–15 320–द०रो० 15–425	भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, ये पद इस समय, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे हुए हैं। इनमें से दो अधिकारी सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा केडर के स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक हैं, और तिसरा पदधारी अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतनमान

9535. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हिन्दी सहायक, हिन्दी अनुवादक, तकनीकी सहायक, अनुसंधान, सहायक हिन्दी अधिकारी आदि जैसे हिन्दी कर्मचारियों की विभागवार तथा श्रेणीवार कुल कितनी संख्या है और उनके वेतनमान क्या हैं ;

(ख) उनमें स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ; और

(ग) उन अनुवादकों, हिन्दी सहायकों आदि की संख्या कितनी है जो अपने पदों पर गत तीन वर्षों अथवा उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक अस्थायी हैं, इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक स्थायी किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5008/73**।]

रेल मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारियों के वेतनमान

9536. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हिन्दी सहायक, हिन्दी अनुवादक, तकनीकी सहायक, अनसंधान सहायक, हिन्दी अधिकारी जैसे हिन्दी कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है तथा उनक वेतनमान क्या है ;

(ख) उनमें से स्थायी, अस्थायी कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने पदों पर गत तीन वर्षों से अथवा उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं किन्तु अभी तक अस्थायी है और इसके क्या कारण है ; और

(घ) उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे बोर्ड कार्यालय के हिन्दी निदेशालय में नीचे लिखे राजपत्रित और अराजपत्रित पद हैं ; पदों के सामने उनकी संख्या और वेतनमान भी बताया गया है :—

कोटि	वेतनमान	पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
राजपत्रित			
1. संयुक्त निदेशक (राजभाषा) .	1300–1600 रु० या 1600–1800 रु० + 200 रुपये विशेष वेतन	..	1
2. हिन्दी अधिकारी . .	700–1250 रु०	..	1
3. सहायक हिन्दी अधिकारी .	350–900 रु० + 150 रुपये विशेष वेतन	..	2
4. अनुभाग अधिकारी . .	350–900 रु०	2	2

कोटि	वेतनमान	पदो की संख्या	
		स्थायी	अस्थाई
अराजपत्रित			
5. हिन्दी सहायक .	210—530 रु०	16	7
(ख) संयुक्त निदेशक		1*	..
हिन्दी अधिकरी		1*	..
सहायक हिन्दी अधिकारी . .		2*	..
अनुभाग अधिकारी . . .		4*	..
हिन्दी सहायक		16*	7

*पांच हिन्दी सहायकों को छोड़कर इन पदों पर लगे हुए सभी व्यक्ति स्थायी कर्मचारी हैं जनका लियन दूसरे पदों पर है।

(ग) सात अस्थायी हिन्दी सहायकों में से किसी ने भी इस ग्रेड में 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है। लकिन इन्होंने निचले ग्रेड़ों में की गयी सेवा को मिला कर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

(घ) यह बताना संभव नहीं है कि कथित अधिकारा इन पदों पर कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे क्योंकि यह बात वर्तमान अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदले जाने पर तथा स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

Decrease in Income From Trasportation of Coal

9537. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased be state :

(a) whether transportation of coal is the main source of income of the Railways;

(b) whether income from this source which was 86% during 1965-66 decreased to 85% during 1970-71; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to ensure continuous supply of railway wagons so as to increase the percentage of income from transportation of coal?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Kureshi) : (a) No, sir.

(b) The percentage of freight on coal to total freight was 17.42 in 1965-66 and this has gone up to 17.54 in 1970-71.

(c) Does not arise.

News report entitled Political Backing for Corrupt Railway Official

9538. **Dr. Laxmi Naryan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased of state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report published under the caption "Political backing for Corrupt Railway Official" published in the Blitz dated the 24-3-1973; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise. However as the matter has now been brought to notice the same is being examined.

Theft of Coal at Mon-Nagar Railway Station (Eastern Railway)

9539. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a case of thefts of coal at Mon-Nagar Railway Station on Eastern Railway has come to light recently ;

(b) whether loss to the tune of Rs. one crore is suffered as a result of such thefts every month ;

(c) whether 14 wagons of such coal have been intercepted recently ; and

(d) if so, the facts of the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Kureshi): (a) to (d) No such case of theft of coal at Sone Nagar (not Mon-Nagar) station involving loss of Rs. 1 crore has come to notice. However, on a surprise check conducted by the Vigilance Organisation of the Eastern Railway at Sone Nagar station on 1-4-73 and 5-4-73, it was found that 23 wagons were loaded with coal as 'smalls', in excess of the booked quantity the extent of excess loading varying from 0.8 tonne to 12.7 tonnes per wagon. The freight on the unbooked excess coal works out to approximately Rs. 10,000/-. Destination stations have been advised of the quantity of unbooked coal loaded in the wagons checked, so that under-charges may be realised at the time of delivery. The check also revealed that coal was booked as 'smalls' (as distinet from wagon loads) in excess of the quota permitted by the Railway Administration.

The relevant records of the case have been taken over by the Special Police Establishments Patna, for further investigation. The Yard Master and Assistant Goods Clerk, Sone Nagar have been placed under suspension. As a preventive measure, the Vigilance has been intensified to guard against such irregular bookings and loadings.

इन्डियन आयल कम्पनी के डिलर के पास जमा की गई जमानत राशि पर व्याज का भुगतान

9540. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडेन कुकिंग गैस लेने वाले व्यक्ति को इंडियन आयल कम्पनी डीलर के पास जमानत के रूप में 100 रुपये जमा कराने पड़ते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन 100 रुपयों पर कोई व्याज न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि यह राशि इंडियन आयल कम्पनी के पास तब तक जमा रहती है जब तक वह व्यक्ति कुकिंग गैस का इस्तेमाल करता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम की ओर से वितरक प्रत्यक उपभोक्ता से जमानत के रुप में रु० 100.00 प्रति सिलिण्डर और रेग्युलटर, जो कि निगम वास्तव में उधार देता है, वसूल करता है। इस जमा राशि को वितरक अपने पास नहीं रखता बल्कि भारतीय तेल निगम को देता है, क्योंकि वास्तव में इन सिलिनडरों तथा प्रेशर रेग्युलटरों को भारतीय तैल निगम उपभोक्ताओं को उधार देता है। भारतीय तेल निगम द्वारा रखे जाने वाले सिलिन्डरों और प्रेशर रेग्युलेटरों का वास्तविक मूल्य रु० 100.00 प्रति उपभोक्ता से कहीं अधिक है क्योंकि निगम को प्रति उपभोक्ता एक सिलिंडर से अधिक रिफाइनरी फिलिंग प्लाण्ट्स 'गोदामों' मार्ग इत्यादि में काफी मात्रा में स्टाक बनाये रखने के लिये प्रबन्ध करना पडता है।

निगम, उपभोक्ताओं को उधार दिये गये सिलिंडरों और प्रैशर रेग्युलेटरों के लिये कोई किराया भी नहीं लेते। अतः भारतीय तेल निगम उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि पर कोई व्याज नहीं देता।

"टेम्पोरेरी आफीसर्स वूज में हिट रेलवे वर्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9541. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1973 के 'स्टेटमैन' में 'टैम्पोररी आफीसर्स दूज में हिट रेलवे वर्क" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफीकुरेशी : (क) और (ख) (i) इस समय अस्थायी अधिकारियों का श्रेणी I में स्थायी रूप से समावेश अलग से निर्धारित किये गये कोटा के अनुसार किया जाता है। इस कोटा में समय-समय पर, उत्तरोत्तर वृद्धि की गयी है। कोटा में आगे और वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ii) अस्थायी अधिकारी अवर्गित हैं—अर्थात् न श्रेणी I और न श्रेणी II यद्यपि वे समान वेतनमान में होते हैं तो भी वे श्रेणी I के अधिकारियों में समस्तर नहीं होते ।

वरिष्ठ वेतनमान के पद श्रेणी--I अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं और अस्थायी अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान पदों पर स्थानापन्न रूप से केवल तभी लगाया जाता है जब श्रेणी--I के अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं होते।

(iii) अस्थायी राजपत्रित पदों को स्थायी बनाने के उद्येश्य से, आवधिक तौर पर उनकी समीक्षा की जाती है। नवीनतम समीक्षा का काम पहले से ही चल रहा है।

(iv) अस्थायी अधिकारी जब रेलों पर लगाये जाते हैं तो उन्हें संरक्षा विभाग सहित किसी भी विभाग में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते वे उन पदों के काम की अपेक्षाओं को पूरा करते हो।

(v) सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों आदि के अधीन पदो के लिए निवेदन भेजने के बारे में अस्थायी अधिकारियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और यदि वे समावेशन के लिए उपयुक्त तथा पात्र हैं तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ऐसे अधिकारियों को अपने यहां स्थायी रुप से समाविष्ट करने के प्रश्न पर निस्सन्देह विचार करेंगे।

रामनौमी उत्सव पर अयोध्या में रेलवे का कथित कुप्रबन्ध

9542. **श्री शशि भूषण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 1973 के नवभारत टाइम्स में 'रेलवे की कुव्यवस्था से दो मरे और अनेक यात्री जख्मी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां। 10-4-73 को फैजाबाद स्टेशन पर उस समय तीन यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गय और तीन को मामूली चोटें पहुंची जब उन्होंने गाड़ी नं० 3 ए एफ इलाहाबाद-फैजाबाद सवारी गाड़ी से जो कि अभी चल ही रही थी, उतरने की कोशिश की।

चलती गाड़ी के किसी डिब्बे में चढ़ने या उससे उतरने का प्रयास करना भारतीय रेल अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

मेले के दिनों में अतिरिक्त भीड़ को सम्हालने के लिए होने वाले यातायात को देखते हुए, विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं और अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगातार, सामान्य गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ऐसी व्यवस्था इस मेले पर भी की गयी थी।

मुर्शिदाबाद जिला 'डाउन स्ट्रीम गंगा बैरेज' और औरंगाबाद में गंगा द्वारा भू-कटाव

9543. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्शिदाबाद जिला 'डाउन स्ट्रीम गंगा बैरज' और औरंगाबाद में गंगा द्वारा भू–कटाव के परिणामस्वरूप 50,000 से अधिक व्यक्ति पहले ही बेघरबार हो चुके हैं और एक अन्य महत्वपूर्ण शहर आगामी मानसून के दौरान बाढ़ के पानी के तेज बहाव का मुकाबला नहीं कर सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार द्वारा 63 करोड़ को अनुमानित लागत पर फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा के दायें किनारे के कटाव से क्षेत्रों को सुरक्षा के लिये तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 25 वर्षों में कटाव से 85,000 लोग बेघर हो गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण नगर जैसे धुलियन को खतरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि औरंगाबाद के क्षेत्र में नदी की धारा किनारे से दूर है और इस नगर के लिये निकट में खतरा नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई स्कीम में नैनसुख और लालगोला के बीच 51 मीटर की पहुंच में ठोकरों के निर्माण से सुरक्षा प्रस्तावित की गई है। चूंकि यह एक बृहत् स्कीम है और योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विस्तृत जांच की अपेक्षा रखती है तथा स्वीकृति की आवश्यकता रखती है जिसमें समय लगेगा और नाजुक पहुंचों में अगामी बाढ़ों से पहले कुछ कार्यों को तत्काल कार्यान्वित किया जाना है। इस लिए राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि कार्यान्वित किए जाने वाले तत्काल कार्यों के लिये कार्यक्रम को बताते हुए स्कीमें तैयार करें। अप्रैल, 1973 के प्रारम्भ में केन्द्रीय और राज्य के तकनीकी अधिकारियों की एक बैठक में तत्काल हाथ में लिए जाने वाले कार्यों की प्रकृति पर विचार-विमर्श किया गया और अंतिम रूप दिया गया।

रेलवे उपकरण खरीदने के लिये भारत को दिये गये आई० डी० ए० ऋण का उपयोग

9544. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अप्रैल, 1973 प्रथम सप्ताह में राजधानी की यात्रा करने वाले अमरीकी व्यापार मिशन को यह संकत दिया था कि अब जब कि अमरीकी डालर का अवमूल्यन हो चुका है और अमरीकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक है, वे आई० डी० ए० के भारत को अगले ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अमरीकी व्यापार मिशन 2 अप्रैल, 1973 को रेलवे बोर्ड से मिला था और वार्ता के दौरान उन्होंने आई० डी० ए० के वर्तमान ऋण की स्थिति जाननी चाही थी। उन्हें बताया गया था कि आई० डी० ए० के 750 लाख डालर के वर्तमान ऋण के बारे में पहले से ही, पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और यह कि वे आई० डी० ए० के आगामी ऋणों क संदर्भ में रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों के संबंध में बोली दे सकते हैं। उन्हें यह भी बताया गया था कि अन्तर-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के सिद्धातों का कड़ाई के अनुसरण किया जायगा और केवल

न्यूनतम और तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य प्रस्तावों को मंजूर किया जायगा। प्रसंगवश यह भी बता दिया गया था कि जापान और जर्मनी जैसे देशों से प्राप्त पिछले प्रस्ताव अमरीका के प्रस्तावों से बेहतर थे और यह क़ी अमरीकी डालर के अभी हाल में किये गये अवमूल्यन के फलस्वरूप अमरीका की दरें प्रतिस्पर्धात्मक हो जाने की संभावना है।

फरक्का बांध अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति

9545. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना के अस्पताल में बड़ी संख्या में चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं और क्या सभी अथवा उनमें से अधिकांश चिकित्सक पश्चिम बंगाल सरकार के संवर्ग के हैं;

(ख) क्या उनको गैर-प्रैक्टिस भत्ता नहीं दिया जाता है तथा उन्हें नीजी प्रैक्टिस भी करने की अनुमती नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वर्तमान नियोक्ता द्वारा उनकी स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) पश्चिम बंगाल सरकार के केडर का एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पांच चिकित्सा अधिकारी इस समय प्रतिनियुक्त पर फरक्का बराज परियोजना अस्पताल में नियुक्त है।

(ख) और (ग) गर-प्रैक्टिस भत्ता, जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत समक्ष-ग्रेडों के अधिकारियों को लागू है, जैसे लाभ फरक्का बराज परियोजना अस्पताल के इन चिकित्सा अधिकारियों को भी लागू हैं। इन्हें निजी-प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है।

न्यू फरक्का बैरज रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म

9546. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू फरक्का बैरेज रलवे स्टेशन का प्लेटफार्म इसकी उचित ऊंचाई तक ठीक तरह से नहीं बनाया गया है;

(ख) क्या प्लैटफार्म की कम ऊंचाई के कारण यात्रियों तथा आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो वहां उचित ऊंचाई तक प्लैटफार्म न बनाने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, पटरी की सतह वाला एक प्लेटफार्म मौजूद है, जो पर्याप्त समझा जाता है। इस स्टशन के प्लटफार्म को ऊंचा करने के संबंध में भविष्य में वहां होने वाले यातायात को ध्यान में रखकर और रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति से विचार-विमर्श करने के बाद, विचार किया जायगा।

Increase in Reservation charges for journey in fast trains like Frontier Mail, Janata and Deluxe Trains

9547. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Railways have started charging Rs. 4.50 as reservation charges from 1st April, 1973 for journey in fast trains like Frontier Mail, Janata and Deluxe trains; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) No. However, a supplementary charge at a uniform rate of Rs. 1.50 per third class passenger, Rs. 3/- per A.C. Chair Car and Second Class passenger, Rs. 5/- per first class passenger and Rs. 10/- per Air-conditioned class passenger has been introduced from 1-4-1973 for travel in certain fast Mail/Express trains in respect of reserved accommodation only.

(b) Does not arise.

उच्च न्यायालयों मे पड़े अनिर्णीत मामले और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

9548. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों के न्यायाधिशों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे संस्थित किए गए, निपटाए गए और बकाया मामलों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीशों की संख्या का पुर्नविलोकन करें और उसमें आवश्यक सीमा तक वद्धि करने के लिये प्रस्ताव भेजें।

विवरण

उच्च न्यायालयोंमें 1972 के अन्त तक लम्बित मामलों को दर्शाने वाला विवरण

उच्चन्यायालय	
1. इलाहाबाद	78,617
2. आन्ध्र प्रदेश	19,527
3. बम्बई	41,442
4. कलकत्ता	70,820
5. दिल्ली	16,761
6. गोहाटी (भूतपूर्व आसाम और नागालैंड)	5,796

उच्चन्यायालय	
7. गुजरात	12,560
8. हिमाचल प्रदेश	1,564
9. जम्मू-कश्मीर	1,726
10. केरल	29,353
11. मध्य प्रदश	20,653
12. मद्रास	32,678
13. मैसूर	10,727
14. उड़ीसा	6,470
15. पटना	23,704
16. पंजाब और हरियाणा	25,150
17. राजस्थान	13,359

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माल डिब्बों की आवश्यकता

9549. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवार्षीय योजना के दौरान माल डिब्बों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दो वैकल्पिक अनुमान लगाये गये है। पिछले रुखों के आधार पर रेलवे का अनुमान यह है कि पांचवी योजना के अन्त तक माल यातायात 28 करोड़ मीटरिक टन के आसपास हो सकता है जिसके लिए 1.09 लाख माल डिब्बों की जरूरत होगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों ने जो चित्र खींचा है उसके अनुसार यह यातायात लगभग 33.5 करोड़ मीटरिक टन होगा जिसके लिए 2.04 लाख माल डिब्बों की जरूरत होगी। योजना आयोग द्वारा माल यातायात का लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाने के बाद इस संबंध में अन्तिम राय कायम की जायेगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों की यात्रा करने के लिए रेल यात्रा-रियायतें देने के लिए मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत सोसायटियों द्वारा आवेदन-पत्र देना

9550. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों की यात्रा करने हेतु रेल यात्रा–रियायतें देने के लिए रजत जयंती वर्ष में आज तक रेल मंत्रालय को मान्यताप्राप्त एवं पंजीकृत सोसायटियों से कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को रियायतें दी गई है ; और

(ख) रेल यात्रा–रियायतों के लिए दिए गए आवेदन–पत्रों और मंजूर किए गए आवेदन–पत्रों में अलग-अलग कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बलिदान स्थलों को देखने के लिए जाने वाले व्यक्तियों को रियायत देने के लिए दो संगठनों से आवेदन पत्र मिले थे। उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। इस बात की जानकारी नहीं है कि ये संगठन पंजीकृत और मान्यताप्राप्त समितियां है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Attaching of Mhow-Udaipur Bogie to Khandwa-Ajmer Train

9551. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the public has been making demand for the last many years that a Mhow-Udaipur bogie may be attached to Khandwa-Ajemer train keeping in view the day to day increase of traffic in this train ; and

(b) if so, the action taken by Government so far in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) No such representation has been received. However, there is already a composite I, II & III class through service coach running between Mhow and Udaipur City by 71/72 Ajmer Khandwa and 15/16 Chetak Expresses/Fast Passengers.

Conversion of M. G. Lines into Broad Guage Lines and Benefit to Madhya Pradesh

9552. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri Chhatrapati Ambesh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3128, dated the 5th December, 1972 and state :

(a) whether Central Government have prepared a scheme to convert some more metre gauge lines into broad gauge lines in the coming years;

(b) if so, the length and names of metre gauge kilines in lometeres likely to be converted into broad gauge lines, Zone-wise;

(c) whether Madhya Pradesh would also be benefited by the said scheme; and

(d) if so, the length of metre gauge lines in kilometres likely to be converted into broad gauge lines in Madhya Pradesh and the names thoereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) A statement is attached.

(c) & (d) Though not included in the proposals so far, a reconnaissance survey for parallel BG line from Indore to Mhow (21 kms.) (as straight conversion will disrupt the North & South MG link), has been carried out and the report is under examination.

STATEMENT

(b) In addition to gauge conversion schemes in progress and under active consideration in respect of which information was given on earlier occasions, the following sections are included in the perspective plan of gauge conversions to be implemented in the next 10 to 15 years :

Sl. No.	Name of Section	Railways	Length (in Kms.)
1	Varanasi-Bhatni	N. E.	161.00
2	Karur-Dindigul-Tuticorin (including new BG line between Karur and Dindigul and parallel BG line between Dindigul and Madurai and conversion of Madurai-Tuticorin and Maniyachi-Tirunelveli sections).	Southern	324.00
3	Samastipur-Raxaul (*vai* Muzaffarpur or *vai* Darbhanga).	N. E.	188.00
4	Miraj-Londa-Hospet, Londa-Mormugao and Alnaver-Dandeli.	S.C.	565.00

Outside the perspective plan, another gauge conversion scheme, namely Delhi-Ahmedabad (1066 kms. ; Western Railway) is also under consideration.

Recently, conversion of another section from MG to BG—Manmad-Purli (354 kms. S. C. Rly.) has been approved and earthwork on this project has also been taken up as a drought relief work.

हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली परियोजनाओं के लिए राशि का विशेष आबंटन

9553. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि राज्य में बड़ी पन–बिजली परियोजनाएं आरंभ करने के लिए राशि का विशेष आबंटन किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है, और इन परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करने के लिए अपेक्षित राशि का आबंटन कब तक हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पांचवी और छटी योजना अवधियों के दौरान लाभ के लिए सुझाई गई बृहत् परियोजानएं उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता और प्रत्याशित लागत नीचे दी जाती है :–

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापति क्षमता (मैगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1. पारबती	1,900	300
2. कोल	1,250	200
3. नथपान्झकरी	1,000	130
4 वापस	400	40
5. चमेरा	400	70
6. ददाहू	100	45

नथपान्झकारी और पारबती चरण–एक परियोजनाओं को छठी योजना के आरंभ की अवधि में लाभ प्राप्त करने हेतु पांचवीं योजना के प्रारुप में केन्द्रीय सेक्टर में शामिल कर लिया गया है। इस समय, पांचवीं योजना में अन्य परियोजनाओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चार पंचवर्षीय योजनाओं में हिमाचल प्रदेश में बिछाई गई रेलवे लाइनें

9554. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पंचवर्षीय योजनाओं की सम्पूर्ण अवधि में हिमाचल प्रदेश (नए क्षेत्रों सहित) में कोई नई लाईन बिछायी गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं, सिवाय युद्ध के दौरान उखाड़ दी गयी नगरोटा–जोगिन्दर नगर खण्ड की 54 कि० मी० लाइन के। यह लाइन पहली योजना के दौरान फिर से चालू कर दी गयी थी।

(ख) रेलव विकास के बारे में राज्यवार या क्षेत्रवार की धारणा पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के समग्र पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। चूंकि नयी रेलवे लाइनों को सामान्य राजस्व से ऋण ली गयी पूंजी से बनाना होता है, जिसमें लाभांश दायित्व का भुगतान भी शामिल है, इसलिए आमतौर पर केवल ऐसी ही लाइनों के निर्माण पर विचार किया जाता है जिनके वित्तीय दृष्टि से सक्षम होने की सम्भावना हो अन्यथा उनके अनुरक्षण पर बहुत अधिक धन खर्च होगा।

तेउनी होकर जमनानगर से रोहरू तक (हिमाचल प्रदेश) होकर रेलवे लाइन

9555. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में तेउनी (तहसील चकौता) होकर जमनानगर से रोहरू तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यहि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे द्वारा जयपुर में कर्मचारियों के सामने दिया गया भाषण

9556. **श्री पन्नालाल बारूपाल** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 में जयपूर में रेलवे अधिकारियों के सामने भाषण देते हुए महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे ने अधिकारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान लाइन कर्मचायरयों से निकट सम्पर्क रखने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) क्या 14 नवम्बर, 1972 को साबरमती माल गोदाम के दौरे के दौरान बड़ौदा डिवीजन के डिवीजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने साबरमती माल गोदाम के गुड्स क्लर्कों की शिकायतें सुनने से इन्कार किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने दिसम्बर, 1972 के महीने में जयपुर मण्डल का मुआयना नहीं किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में मंजूर की गई सिंचाई परियोजनाएं

9558. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री बरके जार्ज :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में कौन-कौन सी नई सिंचाई परियोजनाएं मंजूर किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : केरल सरकार ने निम्नलिखित नई सिंचाई परियोजनाएं अपनी विकास योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है :–

परियोजना का नाम :

बृहत्

एडामलयार, बाणासुर सागर, तिरुनेल्ली, केरल भवानी (टेल रेस समुपयोजन)

मध्यम

कारापुझा, अट्टाप्पडी, नूलापुझा, मंजात, थेंडार

इन नई परियोजनाओं को 1973–74 के दौरान स्वीकृति परियोजनाओं को जांच के परिणाम तथा उनके कार्यान्वियन के लिए संसाधनों को संम्भावित उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भीलवाड़ा जिला (राजस्थान) में सिंचाई परियोजनाओं को सहायता

9559. **श्री हेमेन्द्र सिंह वनरा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कितनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) मार्च, 1972 तक इन परियोजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है और कितनी धनराशि व्यय गई है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सिंचाई एक राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं को रूप–रेखा के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जा रही है तथा यह किसी पृथक स्कीम, स्कीमो के समूह अथवा विकास शीर्ष से संबंधित नहीं होती।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वियन किया जा रहा है :

स्कीम	अनुमानित लागत लाख रुपये	72–73 तक व्यय	अन्तिम लाभ हैक्टेयर
1. जैसपुरा	97	45.61	2,000
2. मेजा फोडर . . .	401	108.21	3,600

स्कीमों के पांचवीं योजना में पूर्ण हो जाने की प्रत्याशा है।

चेतक एक्सप्रेस में वातानुकूलित कोच सेवा का बंद किया जाना

9560. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेतक एक्सप्रेस में वातानुकूलित कोच सेवा हुआ करती थी; और

(ख) इसे बंद किये जाने के क्या कारण हैं और क्या इसे पुनः शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 25–5–1972 से 15/16 चेतक एक्सप्रेस गाड़ियों से अंशतः वातानुकुल डिब्बे को हटा दिया गया है क्योंकि यात्रियों द्वारा इसका उपयोग कम किया जा रहा था। इस डिब्बे को फिर से लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में भीलवाड़ा के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

9561. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा जिले (राजस्थान) के लिए यदि कोई ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधी योजनाएं बनाई गई है, तो वे क्या हैं और उस पर प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय क्या है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : ग्राम विद्युतीकरण निगम, जो केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किया गया है, उनको ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निगम ने अब तक राजस्थान को 30 स्कीमें स्वीकृत कीं हैं जिसमें 1587.049 लाख रुपये की ऋण सहायता से 1790 गांवों का विद्युतीकरण तथा 38,484 पम्प सेटों का उर्जन शामिल है। इन 30 स्कीमों में से 2 स्कीमें भीलवाड़ा से संबंधित हैं। इन दो स्कीमों में 90 गांवों के विद्युतीकरण तथा 3,580 पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए 117.58 लाख रुपये की ऋण सहायता शामिल है।

अजमेर के उपनगरीय क्षेत्र में रह रहे रेल कर्मचारियों को निःशुल्क आवासीय कार्ड पास

9562. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में अर्थात् दिल्ली किशनगंज तिलक ब्रिज और शकूरबस्ती दिल्ली के लिए रेल कर्मचारियों (केवल प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारियों) के लिए निःशुल्क आवासीय कार्ड पासों की सुविधा है ;

(ख) क्या मध्य रेलवे में अर्थात् बम्बई क्षेत्र और मध्य रेलवे के आगरा–दिल्ली खण्ड पर सभी रेल कर्मचारियों को अपने काम पर जाने के लिए निःशुल्क आवासीय कार्ड पास की सुविधा दी जाती है ;

(ग) क्या काम की शर्तें समान होने पर भी विभिन्न रेल विभाग में नियुक्त और उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य स्टेशनों से दिल्ली आने वाले कर्मचारियों को निःशुल्क पासों की समान सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली डिवीजन में भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मध्य रेलवे पर, बम्बई या बम्बई उपनगरीय खण्डों में रहने वाले सभी रेल कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्यस्थान तक के लिए मुफ्त आवासीय कार्ड पास दिये जाते हैं।

आगरा–दिल्ली खण्ड पर इस तरह के पास केवल मथुरा और दिल्ली स्टेशनों के बीच जाती किये जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार की नीति उन खण्डों पर आवासीय कार्ड पास सुविधा के विस्तार की नही है जहां यह सुविधा इस समय प्रचलित नहीं है।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के इंजन परिचालक वर्ग द्वारा भूख हड़ताल

9563. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के इंजन परिचालक वर्ग ने मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में डिवीजनल सुपरिटेंडेण्ट, दिल्ली को अपनी मांगों के बारे में एक ज्ञापन दिया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप डिवीजनल सुपरिन्टेंडेण्ट कार्यालय के समक्ष प्रभावित कर्मचारियों ने एक सप्ताह तक भूख हड़ताल की थी;

(ग) क्या इंजन परिचालक वर्ग ने सामूहिक रूप से बीमारी की भी छुट्टी ली थी जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली डिवीजन के कई रेल इंजन–घर (लोको शेड) बन्द हो गए थे तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों ने भी उनकी हड़ताल में भाग लेने का निर्णय कर लिया था; और

(घ) क्या प्रशासन ने उक्त अवधि में वैगनों के बुकिंग पर रोक लगा दी थी और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहमद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) माल डिब्बे रुके न रहें, इसलिए कुछ यातायात पर दो दिन के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

कम्पनियों के प्रबन्ध मंडल

9564. **श्री सतपाल कपूर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत जिन कम्पनियों के मामलों को मंजूरी दी गई है क्या सरकार ने उनके प्रबन्ध के ढांचे पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने कम्पनियों पर पारिवारिक नियंत्रण को कम करने और प्रबन्ध के व्यवसायीकरण और कम्पनियों के प्रबन्ध मंडल में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21,22, तथा 25 के अन्तर्गत विषयों के संव्यवहार में, इन धाराओं में उल्लिखित, कसौटियों, तथा इस अधिनियम की धारा 28 में दिये गये मानदंड के संदर्भ से कम्पनियों पर पारिवारिक नियंत्रण को कम करने तथा प्रबन्ध का व्यवसायीकरण करने के प्रश्न पर विचार करती रही है । प्रत्येक विषय पर गुणावगुण के आधार पर विचार हुआ है । यही दष्टिकोण पब्लिक लिमिटड कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशकों पूण-कालिक निदेशकों की नियुक्ति, एवं उनके पारिश्रमिक के निश्चय, का कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन करते समय भी ध्यान में रखा जाता है । कम्पनियों के प्रबन्धक-मंडल में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा के अन्तर्गत आवेदन–पत्रों के संव्यवहार में, विचार नहीं किया गया है ।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम केवल 1 जून 1970 से लागू किया गया है अतः इसकी नीतियों के परिणाम का एक उचित निर्धारण रुपित करना, अति शीघ्रता है ।

'करप्शन इन कोर्ट्स इन इण्डिया' नामक पुस्तक

9565. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती नाई पयो, अनाज मंडी रोहतक के प्रेजिडेन्ट सागरचन्द जैन नामक एक व्यक्ति ने प्रधान मंत्री को 63 पृष्ठों वाली 'करप्शन इन कोर्ट्स इन इंडिया' नामक पुस्तक की 24 प्रतियां भेजी थीं ;

(ख) क्या इस पुस्तक में 18 न्यायाधीशों या भूतपूर्व न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) इस पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कतिपय आरोप हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

Share-Holders of Maruti Ltd., Haryana

9566. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the names of companies in which each Shareholders of Maruti Limited, Haryana, who has invested a capital of Rupees 10 thousand or more therein, has partnership?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri D. R. Chavan): There are 90 shareholders of Maruti Ltd., Haryana who hold shares of the value of Rs. 10 thousand or more in the company. The information about the shares held by these shareholders in other companies is not available as the same is not required to be filed by the companies under the Companies Act.

रेलवे में नई आरक्षण प्रणाली को आरम्भ करना

9567. श्री एम० एस० पुरती :

श्री के० मालन्ना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षणात्मक तौर पर रेलवे द्वारा हाल में नई आरक्षण प्रणाली आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) आरक्षण और बुकिंग समिति जो इस समय रेलवे में आरक्षण और बुकिंग की प्रणाली की जांच कर रही है, से प्राप्त एक सुझाव के अनुसार, 15-4-1973 से तीन महीने की अवधि के लिए, अर्थात् 14-7-1973 तक, निम्नलिखित परीक्षण किये जा रहे हैं :—

(क) 15-4-73 से 14-5-73 तक एक महीने के लिये सभी दर्जों में अग्रिम आरक्षण की समयसीमा बढ़ा कर 30 दिन कर दी गयी है। अगले दो महीनों के लिए, अर्थात् 15-5-73 से 14-7-73 तक इस प्रकार की कोई समय सीमा नहीं रहेगी और सभी दर्जों में किसी भी गाड़ी से या किसी भी तारीख के लिए अग्रिम आरक्षण निर्बाध रूप से कराये जा सकेंगे।

(ख) उपर्युक्त तीन महीने की अवधि में सभी दर्जों की प्रतीक्षा-सूची में व्यक्तियों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

(ग) परीक्षण की अवधि में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के आरक्षण कार्यालय रात 9 बजे तक खुले रखे जायेंगे ।

Constitution of Zonal Users' Consultative Committee of Railways

9568. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Zonal Consultative Committees of Railways are constituted by including only the Zonal members therein ;

(b) if so, the manner in which these members are selected; and

(c) the number of members from Madhya Pradesh included in the Zonal Committee of the South-Eastern Railway and the manner in which they have been selected?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Normally members/interests functioning in the States served by the Railway are given representation on the Zonal Railway Users' Consultative Committee of that Railway.

(b) The information is furnished in the statement attached. [**Placed in Library.** *See* **No. L.T.—5009/73.**]

(c) Eight. The manner in which they have been selected is given in the statement referred to in reply to part (b) above.

Expansion of South Eastern Railway in Madhya Pradesh

9569. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total length in kilometres of South Eastern Railway ;

(b) the total length in Madhya Pradesh out of that ;

(c) whether there is any scheme to extend it during Firth Five Year Plan; and

(d) if so, the outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) The route kilometres of South Eastern Railway are 6,842, out of which 1,993 kilometres are in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is, however, served by four other Railways also and the route length of all Railways in Madhya Pradesh comes to 5,755 kilometres.

(c) & (d) The Fifth Plan proposals for new lines have not yet been formulated and it is not possible, at present, to indicate the new lines that will be taken up for construction during this period.

Setting up of a Plant to Produce white Oil

9570. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Indian Petroleum Institute has acquired the know-how of production of white oil ;

(b) whether Government have formulated any scheme to set up a plant for its production; and

(c) if so, its location and the time by which it is likely to be set up?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Sigh) : (a) The Indian Institute of Petroleum has developed know-how for the manufacture of white oils from petroleum feedstocks.

(b) & (c) Since manufacture of white oil can be taken up in the small scale sector, Government do not propose to set up any plant for production of white oil in the public sector.

Selection of Sites for Irrigation Projects

9571. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to select 20 other projects in the country for irrigation ;

(b) whether sites for these projects have been selected ; and

(c) if so, the names of the places which have been selected for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The question of providing some special central assistance to selected irrigation projects in the country, the accelerated construction of which can give significant benefits in the next three years, is being looked into by the Planning Commission.

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादकों द्वारा अमोनियम सल्फेट की ऊंची उत्पादन लागत

9572. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादकों को अमोनियम सल्फेट की ऊंची उत्पादन लागत और इस पौधा-पोषक के नियंत्रित मूल्य बहुत कम होने के कारण भारी हानि हो रही है ;

(ख) क्या अमोनियम सल्फेट के क्षेत्र में गैर-सरकारी उत्पादकों के न होने के कारण इस पौधा-पोषक का उचित विक्रय मूल्य बनाए रखने में असफलता मिली है ; और

(ग) क्या उनको मंत्रालय ने इस मामले को अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के पास भेजा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कच्चे माल आदि की लागत में वृद्धि एवं अन्य तथ्यों के कारण गत कुछ वर्षों में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के मूल्य की वृद्धि हो गई है जब कि इसका नियंत्रित मूल्य न्यूनाधिक संतोषजनक रहा है। इसमें निःसंदेह अमोनिया सल्फेट का उत्पादन करने वाले यूनिटों की व्यवहारिकता पर कुप्रभाव डाला है।

(ख) जी नहीं। अमोनियम सल्फेट जी एस एफ सी बरौदा एवं ई आई डी पैरी, मद्रास जैसी प्राइवेट क्षेत्रीय कंपनियों द्वारा भी विनिर्मित किया जाता है।

(ग) सरकार सभी संबद्ध के परामर्श से उन उपायों, जो सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य के लिये अपनाने पड़ेंगे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा भारतीय उर्वरक निगम के संवर्धन कार्य की सराहना

9573. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उर्वरक वितरण संबंधी प्रतिवेदन में भारतीय उर्वरक निगम के संवर्धन कार्य की सराहना की है ;

(ख) क्या उर्वरक उत्पादकों को वितरण की स्वतंत्रता देने का निर्णय सरकार का नीति निर्णय है ; और

(ग) क्या मंत्रालय ने उर्वरक निगम को पहले ही यह निदेश दे दिये हैं कि वह वितरण कार्य कृषि मंत्रालय को सौंप दे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने 'उर्वरक वितरण' पर अपनी रिपोर्ट में भारतीय उर्वरक निगम एवं अन्य उत्पादन कर्ताओं द्वारा किये गये उन्नत कार्यों की सामान्यतः प्रशंसा की है।

(ख) उर्वरक विनिर्माताओं को वितरण की स्वतंत्रता प्राप्त है।

(ग) ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई धनराशि

9574. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा चालू वर्ष में तथा आगामी वर्ष आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि की मंजूरी दी है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की अन्य क्या सहायता दे रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) बाढ़-नियंत्रण राज्य योजना का भाग है। वर्तमान कार्यविधि के अनुसार, राज्यों को योजना स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा उन्हें किसी विशिष्ट स्कीम अथवा विकास-शीर्ष से संबद्ध नहीं किया जाता। अतः, राज्य योजना की स्कीमों की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होती है। बहरहाल, भारत सरकार, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के अंतर्गत कराला व्यपवर्तन स्कीम के शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को चौथी योजना के

अंतिम दो वर्षों में विशेष वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गई है। इस स्कीम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष 1973–74 के लिये प्रस्तावित परिव्यय 60 लाख रुपये हैं, जिसमें से 40 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में होंगे।

उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के अंतर्गत स्कीमों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने 1973–74 के बजट में 272 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष 1974–75 के लिए परिव्यय के बारे में निर्णय, 1974–75 के लिए वार्षिक योजना के 1973 के अंत में किसी समय तैयार हो जाने पर किया जायगा।

विशिष्ट स्कीमों के लिए दी गई विशेष आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार आवश्यकता पड़ने पर उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के विशेष अनुरोध पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

न्यू कूच बिहार से गीतलदाह और बामनहाट तक मीटर गेज लाइन को बदलना

9575. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार न्यू कूच बिहार से गीतलदाह और बामनहाट तक मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने का है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार भी उत्तर सीमांत रेलवे में गीतलदाह और बामनहाट सीमा से बंगलादेश तक रेलवे सेवा बढाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) गीतलदाह—मुगलहाट—लालमुनीरहाट खण्ड (मीटर लाइन) जनवरी 1972 में पुनः स्थापित किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Attachment of an Additional Third Class Coach from Sikar to Delhi

9576. **Shri Shiv Nath Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of passengers for whom accommodation is available in both reserved and unreserved third Class direct coach between Sikar and Delhi ;

(b) whether a large number of passengers who catch the train from any one of the Stations between Sikar and Loharu for Delhi and beyond have to face great inconvenience every day due to non-availability of seats and repeated demands are being made for an additional third class coach ; and

(c) if so, whether an additional coach from Sikar to Delhi is proposed to be sanctioned at early date in order to remove the difficulties of the passengers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) At present two through coaches—one partial III class sleeper and one composite first-*cum*-third— are running between Sikar and Delhi with the following accommodation :—

	Partial III Class sleeper		First-*cum*-third composite
	Berths	Seats	III seats
Reserved . .	24	32	. .
Unreserved . .	. .	. .	34

(b) It is not true that passengers are inconvenienced for want of accommodation. Demands were made in the past for additional III class coach but on examination, these were not found justified.

(c) No. There is no such proposal.

आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का एक केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के लिए अनुरोध

9577. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि एक पूर्ण केन्द्रीय विद्युत् मंत्रालय अलग से होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालयों का पुनर्गठन और उनसे संबद्ध मामलों पर निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा लिये जाते हैं।

मध्य रेलवे में खामगांव के निकट रेल-बस दुर्घटना

9578. **श्री वसन्त साठे :**

श्री ए० एस० कस्तूरे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में खामगांव के निकट हाल ही में रेल बस दुर्घटना हुई थी जिसके परिणाम-स्वरूप 14 व्यक्तियों की घटनास्थल पर मत्यु हो गई और कुछ अन्य घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना कैसे हुई और मृत/घायल व्यक्तियों के परिवारों को राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) एसी दुर्घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह दुर्घटना 10-4-1973 को जालम्ब और खामगांव स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले फाटक मं० जे के-2 पर हुई। इस दुर्घटना में बस के 16 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी जिनमें से 10 की घटनास्थल पर और शेष 6 की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में अथवा अस्पताल में मृत्यु हुई।

(ख) रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई है और उसकी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु प्रत्यक्षतः, दुर्घटना का कारण यही प्रतीत होता है कि बस का ड्राइवर आती हुई गाड़ी के सामने से समपार को पार करने की कोशिश कर रहा था।

अनुग्रह भुगतान के रूप में 16 मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक के निकटतम सम्बन्धी को 500 रुपये और बस में यात्रा कर रहे गंभीर रूप से घायल 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 400 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से इस समपार पर चौकीदार रखने के प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

कोयाली में पेट्रो-रसायन अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

9579. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयाली में पैट्रो-रसायन अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड, जो पूर्ण स्वामित्व वाला केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, और जो गुजरात पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह की सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जवाहर नगर (कोयाली) में एक अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिये कदम उठा रहा है।

(ख) पैट्रो-रसायन शास्त्र के निम्नलिखित पहलुओं पर अनुसन्धान एवं विकास कार्य शुरू करने के लिये सुविधाएं स्थापित की गई हैं :—

(क) इंजीनियरिंग—ओरियन्टेड रिसर्च

(ख) केटेलिस्टस पर अनुसन्धान

(ग) उपोत्पादों का प्रयोग

(घ) पौलिमर्स और

(ङ) नान-सेल्लुलोसिक सिन्थेटिक फाइबर्स

गंगा तथा पद्मा नदियों के पानी से गांवों को डूबने से बचाने के लिए योजना

9580. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंगा तथा पद्मा नदियों के पानी से गांवों तथा वाणिज्यिक केन्द्रों को डूबने से बचाने के लिये 25 करोड़ रुपये की पूंजी पुश्ता बांधने एवं सुधार करने की योजना आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर फरक्का बराज के अनुप्रवाह में गंगा नदी के दायें किनारे पर कटाव से सुरक्षा के लिये एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में 800 मीटर के अन्तराल से तीन जलप्लावित ठोकरों के बीच 90 मीटर लम्बी पत्थर की ठोकरों के निर्माण की व्यवस्था है। मुर्शिदाबाद जिले में लालगोला और नैनसुख के बीच इस तरीके से 51 किलोमीटर के टुकड़े को सुरक्षित करने का प्रस्ताव है ।

स्कीम रिपोर्ट जांच के लिये तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में केन्द्र को प्राप्त हो गई है। चूंकि यह एक वृहत् स्कीम है और योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के विस्तृत जांच करने और स्वीकृति की अपेक्षा रखती है जिसमें कुछ समय लगगा और नाजुक पहुंचों में आगामी बाढ़ों से पहले तत्काल कुछ कार्यों को कार्यान्वित किया जाना है, राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वे तत्काल कार्यों के लिये कार्यक्रम को निर्धारित करते हुए स्कीमों को तैयार करें। तत्काल किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति पर केन्द्रीय और राज्य तकनीकी अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में विचार-विमर्श भी किया गया है और इसे अंतिम रूप दिया गया है।

शॉ वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की आर० जी० शा एण्ड कम्पनी की बिक्री

9581. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुक्तियार सिंह मलिक :

क्या विधि, **न्याय एवं कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि शॉ वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने निजी तौर पर बातचीत करके अपने शेयर आर० जी० शाह एण्ड कम्पनी लिमिटेड को बेच दिये हैं जिससे कम्पनी को लगभग दो करोड़ रुपयों की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) :(क) से (ग) शॉ वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने 1971 में आर० जी० शाह एण्ड कम्पनी लिमिटेड में अपनी धारिता बेच दी थी। इस प्रश्न, कि क्या यह बिक्री युक्त संगत मूल्यों पर की गई थी, की जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्पादित उर्वरक तथा गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से उनका वितरण

9582. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कुल कितने मूल्य के उर्वरक का उत्पादन किया गया तथा गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरक का वितरण किया गया;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम के भ्रष्ट व्यापारियों पर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र आदि राज्यों तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा मुकदमें, चलाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मुकदमों तथा उर्वरक व्यापारिकता के निलम्बन एवम् रदद् किये जाने के मामलों संबंधी राज्य-वार आंकडे क्या हैं; और

(घ) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह एमोनियम सल्फेट तथा कैलशियम सल्फेट नामक अत्यन्त लोकप्रिय उर्वरकों के काले-बाजार को रोकने के लिये या तो उनके ऊंचे मूल्य निर्धारित करे अथवा उनके मूल्यों पर कड़े प्रतिबन्ध न लगाये,और यदि हां तो तत्सम्बन्धी अभ्यावेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1972–73 के दौरान, भारतीय उर्वरक निगम ने 71.36 करोड रुपये के मूल्य के लगभग 9.94 लाख मीटरी टन उर्वरकों का उत्पादन किया। इसी अवधि के दौरान प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से 42.27 करोड रुपये मूल्य के 6.03 लाख मीटरी टन उर्वरकों (कुछ आयातित सामग्री को शामिल करते हुए) का वितरण किया गया था।

(ख) और (ग) राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1. पश्चिमी बंगाल	3
2. बिहार	2
3. पंजाब	5
4. हरियाणा	2
5. राजस्थान	1
6. आन्ध्र प्रदेश	5
7. तमिल नाडू	1
	19

इन सभी मामलों में डीलरशिप निगम द्वारा समाप्त की गई थी।

(घ) जी हां। भारतीय उर्वरक निगम ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि अमोनिया सल्फेट एवं कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्यों से, जैसे अब नियत हैं, कच्चे माल के बढ़ते हुए मूल्य एवं अन्य तथ्यों के कारण पर्याप्त लाभ प्राप्त नही होता है। सभी सम्बद्ध तथ्यों (देश के कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के अनुसार उर्वरकों के उच्चतर मूल्यों के प्रभाव को शामिल करते हुए) को ध्यान में रखते हुए, सरकार उन उपायों, जिन्हें इस सम्बन्ध में अपनाना पडेगा, पर ध्यान पूर्वक विचार कर रही है।

भारतीय उर्वरक निगम के ढांचे, कृत्य तथा उपलब्धियों के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति की सिफारिशें

9583. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी कार्यवाही समिति ने भारतीय उर्वरक निगम के ढांचे, कृत्य तथा उपलब्धियों की जांच की है और उनमें सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) कार्यवाही समिति में केन्द्रीय प्रशासन, सरकारी क्षेत्र के निकायों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों के व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या उर्वरक उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने समिति के प्रतिवेदन की जांच की है और यदि नहीं तो कार्यवाही समिति की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी उद्यमों पर कार्यवाही समिति (एक्शन कमेटी आन पब्लिक इन्टरप्राइजेज) ने भारतीय उर्वरक निगम के कार्य का निरीक्षण किया है और इसके कार्य-निष्पादन के सुधार हेतु कुछ सुझाव दिये हैं।

इस कमेटी के निम्न लिखित सदस्य हैं :—

(1) श्री एम० एस० पाठक, मेंबर, योजना आयोग	अध्यक्ष
(2) श्री वी० जी० राजाध्यक्ष, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	सदस्य
(3) श्री के० एम० जोर्ज, मैनेजिंग डाइरेक्टर, ए० सी० सी० विकर्स बैबकोक लि०, दुर्गापुर।	सदस्य
(4) श्री सी० पी० श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारतीय जहाजरानी निगम, बम्बई	सदस्य
(5) प्रोफेसर नितीश आर० डे इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मेनेजमेंट, कलकत्ता.	सदस्य

कार्यवाही समिति (एक्शन कमेटी) की रिपोर्ट अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा कैटेलिस्ट के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी का विकास

9584. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट डिवीजन ने कैटेलिस्ट के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी, डिजायन और इंजीनियरिंग तकनीक तथा रासायनिक प्रक्रिया तथा उर्वरको के उत्पादन तथा प्रयोग के बारे में कृषि अनुसन्धान और सस्य विज्ञान संवर्द्धन में सफलतापूर्वक विकास किया है;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम नें देश के आर्थिक विकास के बारे में सरकार की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अर्जित साख को देखते हुए सरकार ने इसको एक हजार करोड रुपये के अनुमानित व्यय से अनेक नये उर्वरक कारखाने लगाने का कार्य सौंपा है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह):(क) से (ग) आत्म निर्भरता द्वारा अधिकाधिक देशीयकरण किये जाने की घोषित नीति को बढ़ावा देने के लिए प्लानिग एण्ड डेवलपमेंट डिवीजन, जिसका विशाल क्षेत्र है, की स्थापना की गई, गत वर्ष में इस डिवीजन ने उर्वरक प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के विकास में कई प्रकार का विशेष योगदान दिया है। उर्वरक क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था होने के नाते, भारतीय उर्वरक निगम को हमारे उर्वरक कार्य क्रम के विकास में एक बडा भागीदार बनना है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विकसित नाइट्रो फास्फेट उर्वरक के उत्पादन की तकनीक

9585. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने वाणिज्यिक उपयोग के लिये नाइट्रो-फास्फेट के उत्पादन के तकनीक का सफलता पूर्वक विकास किया है;

(ख) क्या इस भारतीय तकनीक से गंधक तथा फास्फेरिक एसिड का आयात बन्द करने तथा विदेशी मुद्रा की बचत में सहायता मिलेगी;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित एक विचार गोष्टी में हमारे कृषि कार्यों के विकास के लिये नाइट्रोफास्फेट उर्वरक की उपयोगिता को स्वीकार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उन उर्वरक परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो ऐसे उर्वरकों का निर्माण करते हैं अथवा अथवा करेंगे; और

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक कार्यों की सराहना की है; और यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) व्यापारिक समुपयोजन के लिये भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विकसित प्रविधि को इस्टैमीकार्बन की जानकारी से पूरा किया जा रहा है। जहां तक नाइट्रोफास्फेट का प्रयोग किया जायेगा सल्फर और फोस्फरिक ऐसिड का आयात उतना ही कम होगा।

(ग) हाल ही में आयोजित फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंड़िया गोष्टी में सामान्य सहमत था कि कुछ फसलों के लिये नाइट्रोफास्फेट का लाभपूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

(घ) इस समय नाइट्रोफास्फेट का उत्पादन ट्राम्बे में किया जाता है। नाइट्रोफास्फेट का उत्पादन हल्दिया और नंगल (विस्तार) प्रयोजनाओं में भी किया जायेगा।

(ङ) ऐसे सभी उपायों को, जिन का उद्देश्य आत्म-निर्भरता की घोषित नीति का पूरा किया जाना है, सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

शाहबाद, वाडी, चितापुर और सडम (मैसूर) की खदानों के लिए वैगनों की सप्लाई

9586. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहबाद, वाडी चितापुर और सडम (मैसूर) में कुछ पत्थर खदानें हैं जहां पर लगभग 10 से 15 हजार मजदूर काम कर रहे हैं परन्तु वैगना की सप्लाई न होने के कारण बंद कर दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन खदानों की वैगनो की मांग की पूर्ति करने का है; और यदि हां, तो कब?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) शाहबाद, वाडी, सेरम और चित्तापुर में पत्थर का खदानें हैं लेकिन उनके कथति बन्द हो जाने के बाद में इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(ख) पत्थरों का न्यूनतम प्राथमिकता अर्थात् मद "ई" के अन्तर्गत ढुलाई होने और नवम्बर, 1972 से फरवरी 1973 तक का अवधि में "मुल्की कानून" आंदोलन होने के कारण रेल परिचालन के अस्त व्यस्त हो जाने के बावजूई शाहबाद, वाडी, सेरम और चित्तापूर स्टेशना से हर महीने 454 मालडिब्बों में पत्थर का लदान हुआ। मार्च, 1973 में लदान में और वृद्धि हुई और 747 मालडिब्बों में पत्थर लादा गया।

गुलबर्गा स्टेशन (मैसूर) का नवीकरण

9587. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा स्टेशन (मैसूर), जो दक्षिण मध्य रेलवे में यात्री यातायात की दृष्टि से प्रथम रहता है, का नवीकरण करने की वर्ष पहले मंजूरी दी जा चुकी थी किन्तु अब तक यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) गुलबर्ग स्टेशन के लिए 1969–70 में अनुमोदित मूल प्रस्ताव में 1.60 लाख रुपये की लागत से मुख्यत: ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार किया गया था। लेकिन तीसरे दर्जे के यात्रिया के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से वर्तमान सुविधाओं की समीक्षा करने के बाद इस योजना को अशोधित किया गया और 1.55 लाख रुपये की लागत से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को मंजूर किया गया :—

(i) प्लेटफार्म नं० 1 पर वर्तमान प्लेटफार्म छत का विस्तार।

(ii) ऊपरी पैदल पुल पर छत की व्यवस्था।

(iii) प्लेटफार्म नं० 1 पर प्लेटफार्म छत का विस्तार तथा फर्श को पक्का करना।

(iv) प्लेटफार्म नं० 2 पर प्लेटफार्म छत का विस्तार तथा फर्श को पक्का करना।

मद (i) और (ii) के निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं और शेष कार्यों के शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है। उपर्युक्त के अलावा गुलबर्ग स्टेशन पर 46,000 रु० की लागत से 18-बोगी की लम्बाई वाली गाडियों को खडा करने के लिए मुख्य प्लेटफार्म का विस्तार भी किया जा रहा है और आशा है कि यह काम शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बमसागर परियोजना का निर्माण

9588. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नदी के जल का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों द्वारा उपयोग करने के बारे में मतभेदों को दूर करने के लिए हाल ही में मंत्रीस्तर पर कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हो गया है; और

(ग) मध्य प्रदेश में सोन नदी पर प्रस्तावित बमसागर परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सोन नदी पर बमसागर परियोजना राज्य को विकास योजना में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित की है।

उत्तर प्रदेश सरकार अनुरोध करती रही है कि मिर्जापुर जिले में अकाल ग्रस्त पठार क्षेत्र के लिए बनसागर परियोजना एक मात्र सिंचाई का साधन है तथा मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बमसागर में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसमें इस क्षेत्र के लिए भी सिंचाई का प्रावधान किया जाए।

बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित बमसागर परियोजना का विरोध किया है जिसमें सोन नदी के जल का दूसरे बेसिन, टोंस नदी में व्यपवर्तन सम्मिलित है। उनका विरोध इस तर्क पर है कि इससे बिहार में सोन के निचले भागों में बृहत् सिंचाई प्रणाली प्रभावित हो जायगी जहां सप्लाई की स्थिति पहले ही शोचनीय है। तीनों राज्यों के साथ परियोजना पर विचार-विमर्श किया गया है तथा ऐसे प्रस्ताव ढूंढने के प्रयत्न जारी हैं जो सभी तीनों राज्यों को स्वीकार्य हों आशा है कि निकट भविष्य में राज्यों के बीच समझौता हो जाएगा।

बड़े तापीय बिजलीघरों के लिए स्थान का चुनाव

9589. **श्री नरेन्द्र सिंह** :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडे तापीय बिजलीघरों के लिये स्थानों का चुनाव कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां लगाये जाने हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) ताप विद्युत-केन्द्रों के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपना कार्य पहले से ही आरंभ कर दिया है परन्तु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जसे ही रिपोर्ट तैयार होंगे स्थलों का पता चल जाएगा।

रेलवे द्वारा बिजली के जेनेरेटरों का लगाया जाना

9590. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री जे० जी० कदम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के आपने जेनरेटर हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां स्थापित हैं और उनकी क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या रेलवे का विचार और अधिक जेनरेटरों को लगाने का है; और यदि हां, तो वे कहां लगाये जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) ठाकुर्ली में मध्य रेलवे का एक बिजली घर है जो उस रेलवे के बिजलीकृत घाट खंडों की कर्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है। इस बिजली घर की संस्थापित क्षमता 96 मेगावाट है।

(ग) दीर्घकालिक उपाय के रूप में, कर्षण प्रयोजनों के लिए बिजली की निर्वाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, रेलों के अपने जनित्रों सहित और बिजलीघरों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

समुद्र तट से दूर छिद्रण के लिए जापानी फर्म से प्राप्त किया गया छिद्रण प्लेटफार्म

9591. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री जे० जी० कदम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्रतट से दूर छिद्रण के लिए जापानी फर्म से प्राप्त किये गये छिद्रण प्लेटफार्म की लागत क्या है और इसकी डिलीवरी में विलम्ब होने से क्षतिपूर्ति के रूप में जापान से कितनी राशि प्राप्त की गई है; और

(ख) तेल के लिए छिद्रण करने में इसका प्रयोग करने हेतु भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने "सागर सम्राट" नामक ड्रिलिंग प्लेटफार्म के लिये 51.68 मिलियन "येन" मूल्य अदा किया। जापानी सप्लायर द्वारा तेल प्राकृतिक गैस आयोग को, प्लेटफार्म की डिलीवरी में विलम्ब के कारण, 182.88 मि० "येन" की परिनिर्धारित हानियां देय हैं।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुल 28 व्यक्ति मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफार्म तथा उसकी मशीन व उपकरण की जानकारी और उसके परिचालन तथा देखभाल के लिये विदेशों में पहले ही प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पहले प्रथम वर्ष में, एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक अपतटीय ड्रिलिंग के ठेकेदारों की एक फर्म, मैं० आफशोर इण्टर्नेशनल एस० ए० की सहायता से "सागर सम्राट" से परिचालन कार्य किया जायेगा। इस दौरान प्रा० तें० और गै० आ० के कार्मिक जो प्लेटफार्म पर आफशोर इण्टर्नेशनल के विशेषज्ञों के साथ कार्य कर रहे होंगे, इस प्लेटफार्म से सम्बन्धित विभिन्न परिचालनों में कार्य करने के साथ साथ प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे

7—12 LS. S./73

तेल शोधक कारखानों के स्थल और उनकी क्षमता तथा विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौतों को रद्द करना

9592. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल शोधक कारखाने कहां-कहां स्थित हैं, प्रत्येक की क्षमता कितनी है और वे किसके नियंत्रण में हैं;

(ख) कौन से नए तेल शोधक कारखाने आरम्भ करने का विचार है, वे कहां स्थापित किए जाएंगे तथा वे किस के नियंत्रण में होंगे:

(ग) तेल शोधक कारखानों पर नियंत्रण करने वाली प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनियों के साथ समझौता कब समाप्त किया जायेगा;

(घ) क्या समझौते में ऐसा खण्ड है जिसके अनुसार सरकार निर्धारित अवधि से पूर्व तेल शोधक कारखानों को अपने नियंत्रण में ले सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस खण्ड का विषय क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) वर्तमान शोधनशालाएं :

शोधनशाला का स्थान	क्षमता (मिलियन मी० टनों में)	नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी
1. अम्बलमुगल, कोचीन (केरल) .	2.5	कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड ।
2. नूनमति, गोहाटी (असम) .	0.75	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० । (रिफाइनरीज़ एण्ड पाइपलाइन्स डिवीजन)
3. बरौनी (बिहार) . .	3.0	,,
4. कोयाली (गुजरात) . .	4.3	,,
5. मनाली (तामिल नाडू) . .	2.5	मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड ।
6. ट्राम्बे (महाराष्ट्र) . .	2.72*	एस्सो स्टैण्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि० ।
7. ट्राम्बे (महाराष्ट्र) . .	3.75*	बर्मा शैल रिफाइनरीज़ लि० ।
8. विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) .	1.25*	कालटैक्स आयल रिफाइनरीज़ (इण्डिया) लि० ।
9. दिग्बोई (असम) . .	0.15	आसाम आयल कम्पनी ।

*वर्तमान परिचालन स्तर ।

(ख) चालू की जाने वाली प्रस्तावित शोधनशालाएं

शोधनशाला का स्थान	क्षमता (मिलियन मी० टनों में)	नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी
1. हल्दिया शोधनशाला (निर्माणाधीन)	2.5	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (रिफाइनरीज़ एण्ड पाइपलाइन्स)।
2. बोंगईगांव रिफाइनरी, बोगईगांव (परियोजना सरकार द्वारा अनमोदित)	1.0	जब तक एक निकाय की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक इसका इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लि० द्वारा प्रबंध किया जायगा।
3. नार्थ वैस्ट रिफाइनरी, मथुरा (उ० प्र०) (सम्भाव्य रिपोर्ट विचाराधीन है)	6.0	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (रिफाइनरी एण्ड पाइपलाइन्स डिवी०)।
4. पश्चिमी तट पर एक उपयुक्त स्थल पर (सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार की जा रही है-स्थान के बारे में अन्तिम रुप में अभी निर्णय होना है)		अभी निर्णय नहीं हुआ प्रारम्भिक कार्य अर्थात सम्भाव्य रिपोर्ट भारतीय तेल निगम (शोधनशाला एवं पाइपलाइन्स प्रभाग) द्वारा तैयार की जा रही है।

(ग) विदेशी तेल कम्पनियों की स्वामित्व वाली तीन तटीय शोधनशालाओं के बारे में शोधन शाला करारों में यह आश्वासन दिया गया है कि शोधन शाला कम्पनी के परिचालनों के प्रारम्भ से लेकर 25 वर्ष की अवधि के लिए, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। एस्सो, बर्मा शैल और कालटैक्स कम्पनियों की यह अवधि क्रमशः 1979, 1980 एवं 1982 में समाप्त होती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में उदयपुर डिवीजन में देवास्योराना परियोजना

9593. **श्री लालजी भाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में उदयपुर डिवीजन में देवास्थोराना परियोजना के तीन चरणों वाली विकास योजना है परन्तु अभी तक इसका केवल एक ही चरण पुरा हुआ है जबकि उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति में यह दावा किया गया था कि 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वाकल नदी घाटी के जल का उत्तरोत्तर समुपयोजन करते हुए सम्पूर्ण स्कीम के चार चरणों में कार्यान्वित होने की सम्भावना है। अभी तक केवल पहला चरण कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया गया है। प्रशासनिक रूप से यह 176.48 लाख रुपये पर स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 117.38 लाख रुपये सिंचाई विभाग द्वारा **बांध** व्यपवर्तन सुरंग, वैनल

आदि के निर्माण के लिए व्यय किए जाएंगे। स्कीम पर कार्य सितम्बर, 1968 में प्रारम्भ किया गया था तथा मार्च, 1973 तक 99.51 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं जोकि निर्माण कार्यो पर सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे कुल व्यय का 80% है।

उदयपुर, राजस्थान में जय समन्द फीडर परियोजना

9594. **श्री लालजी भाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में उदयपुर डिवीजन में जय समन्दर फीडर परियोजना, जो बहुत पहले आरम्भ की गई थी, उस चरण में आगे नहीं बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) राजस्थान सरकार ने राज्य को विकासात्मक स्कीमों में शामिल करने के लिए ऐसी किसी परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भावली जंक्शन (अजमेर डिवीजन) स्थित एक निरामिष जलपान गृह के ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करना

9595. **श्री लालजी भाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में भवाली जंक्शन स्थित एक निरामिष जलपान गृह के ठेकेदार का लाइसेंस किन्हीं अतिविशिष्ट व्यक्ति की शिकायत पर रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या लाइसेंस रद्द करने से पूर्व शिकायत की जांच की गई थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भावली जं० के शाकाहारी भोजनालय के ठेकेदार का लायसेंस उसके असन्तोषजनक काम के बारे में चार संसद् सदस्यों सहित विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के कारण रद्द कर दिया गया था।

(ख) और (ग) ठेका समाप्त करने के सम्बन्ध में कार्रवाई करने से पूर्व ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की गयी थी। परन्तु ठेकेदार ने भोजनालय का कब्जा रेलवे को देने की बजाय भावली के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली और ठेके को चलाता रहा। मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में परिवर्तन

9596. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों पर व्यापार ग्रुपों के नियंत्रण को समाप्त करने और बड़े-बड़े ग्रुपों को विभिन्न एकको में विगत करने हेतु व्यवस्था करने की दृष्टि से कुछ समय से एकाधिकारों के विषय में आमूलभूत कानूनी सुधार करने की बात सोच रही है, जैसा कि 6 अप्रैल, 1973 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसे संशोधी विधान संसद् के समक्ष कब तक लाए जाने की सम्भावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के संशोधनार्थ, माननीय सदस्य द्वारा संदर्भित किये गये कुछ सुझावों सहित, अनेक सुझाव परीक्षान्तर्गत हैं।

(ख) तथा (ग) चूंकि अभी यह विषय परीक्षान्तर्गत है अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं हैं कि इसमें मुख्य विशेषतायें क्या होगी अथवा संशोधनकर्ता विधेयक किस समय संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

राज्यों में कावेरी नदी के जल के बंटवारे पर वार्ता

9598. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी नदी के जल के बंटवारे पर इससे सम्बन्धित राज्यों के बीच 24 अप्रैल, 1973 को हुई वार्ता का क्या परिणाम निकाला है; और

(ख) इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) केरल, मैसूर तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री 29 अप्रैल, 1973 को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री से मिले तथा उन्होंने कावेरी तथ्य अन्वेषणी समिति की रिपोर्ट पर कावेरी के जल का सर्वमान्य समाधान ढूंढने के लिए विचार विमर्श किया।

तथ्य अन्वेषणी समिति को रिपोर्ट में दी गई नदी का कुल लाभों पर आमतौर पर मतैक्य था। मुख्य मंत्रियों के अनुरोध पर कुछ बातों पर स्पष्टिकरण के लिए यदि ऐसे सत्यापन आवश्यक समझे गए, समिति को पुन: रिवाईव किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री विचार-विमर्श जारी रखने तथा समझौते पर पहुंचने की सम्भाव्यताओं को जांच पड़ताल करने के लिए भविष्य में किसी तिथि को मिलने के लिए सहमत हो गए हैं।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में "कैलसीनेटर" की उत्पादन क्षमता और 1972-73 में उत्पादित "कैलसिंड पेट्रोलियम कोक" की कुल मात्रा

9599. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोध कारखाने में "केलसीनेटर" की उत्पादन क्षमता कितनी है और वर्ष 1972–73 में कैलसिंड पैट्रोलियम कोक का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसकी देश की वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ख) क्या बरौनी केलसीनेटर की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने का विचार है, यदि हां, तो विस्तार योजना की रूपरेखा क्या है और विस्तार परियोजना पर कितनी लागत आएगी, उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आएगी और विस्तार कार्य कब तक हो जायेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) बरौनी शोधन शाला के कोक केलसीनेशन संयंत्र का परिकल्पन प्रति वर्ष 42,000 मीटरी टन कैलसीनेड पैट्रोलियम के औंसतन उत्पादन के लिये प्रति वर्ष 60,000 मीटरी टन कच्चा पैट्रोलियम कोक प्रोसेस करने के लिये किया गया है। 1972–73 में 22466 मीटरी कलीस पैट्रोलियम कोक का उत्पादन किया गया। कैलसीनेड पैट्रोलियम कोक के लिये 1973–74 में देश की अनुमानित आवश्यकता लगभग 130,000 मीटरी टन है।

(ख) जी नहीं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोंकण रेलवे परियोजना की क्रियान्विति

9601. **श्री मधु दंडवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोंकण रेलवे योजना की क्रियान्विति के बारे में महाराष्ट्र के एक मंत्री द्वारा बार बार दिया गया वक्तव्य केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुरूप है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया है तथा इस कार्य के लिए बजट में धन की व्यवस्था कर ली गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जहां तक कोंकण रेल परियोजना के क्रियान्वयन का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि आष्टा-दासगांव खण्ड (108 कि० मी०) पर सुखा राहत कार्य के रूप में मिट्टी का काम प्रारंभ किया गया है। दासगांव से मंगलूर तक (लगभग 800 कि० मी०) के बाक़ी हिस्से पर विस्तृत इंजीनियरी सवक्षण किया जा रहा है। योजना आयोग से भी अनुरोध किया गया है कि विकास की दृष्टि से पश्चिमी तट रेल परियोजना सहित नयी लाइनों के निर्माण के लिए पांचवी योजना में अतिरिक्त धन का आवंटन किया जाये।

तमिलनाडू में चेंगलपट से गोंगी होते हुए चाइना सलेम तक रेलवे लाइन

9602, **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चेंगलपट से गोंगी होते हुए चाइना सलेम तक रेलवे लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण समिति ने क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और यह कब प्रस्तृत किया गया था; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस लाइन का एक यातायात सर्वेक्षण 1957 में शुरू किया गया था लेकिन उसे बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इस लाइन को दूसरी योजना में शामिल करने की कोई संभावना नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संवर्द्धन कार्यक्रम की क्रियान्विति

9603. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहरसा, पूर्णिया, सारन और चम्पारन जिले, भारतीय उर्वरक निगम के कारखानों के बहुत निकट हैं और भारतीय उर्वरक निगम वहां चार वर्षों से अधिक से गहन उर्वरक संवर्धन कार्य कर रहा है;

(ख) क्या इन जिलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उर्वरक संवर्द्धन कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग की उस सिफारिश के विपरित है जो कि उसने उर्वरक वितरण सम्बन्धी अपने अन्तरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 35 पर पैरा 4.19 की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1972–73 के लिये उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिये बिहार में सहरसा और पूरनिया जिलों का चयन किया गया है। 1973–74 के दौरान ऐसे प्रोत्साहन कार्य के लिये छपड़ा सरन और चम्पारन

जिलों को चुना गया है। इन जिलों का चयन राज्य सरकार और भारतीय उर्वरक निगम की सलाह से किया गया था। निगम इस बात से सहमत हो गया था कि वह अपने प्रोत्साहन कार्य के लिये सिन्द्री और बरौनी एककों के पास के जिलों में अधिक ध्यान देगा। उर्वरक निर्माताओं और राज्य सरकार द्वारा सन्तुलित उर्वरक उपभोग के लिये चुने गये जिलों में उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम को पूरा प्रभाव उत्पन्न करने के विचार से इस कार्यक्रम की नवस्पना का अनुमोदन किया गया है। निगत से सहरसा और पुरनिया जिलों से हटने के लिये नहीं परन्तु उसकी फैक्टरियों के आस पास और अधिकबल देने के लिये कहा गया है।

Allocation of Funds for According Priority to Irrigation

9604. Shri Bibhuti Mishsra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Planning Commission has allocated funds to his Ministry for according priority to irrigation in the country ;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the names of the irrigation schemes accorded priority?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Bal Govind Verma) : (a) to (c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are implemented by State Governments within the frameworks of their developmental plans. Central assistance to State Plans is in the form of block loans and grants not related to any individual scheme, group of schemes or heads of development. The questions of providing some special central assistance to selected irrigation projects in the country, the accelerated construction of which can give significant benefits in the next three years is, however, being looked into by the Planning Commission.

Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge Lines

9605. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are 25,000 kilometre long metre gauge railway lines in the country and

(b) if so, whether Government have decided in principle to convert them into broad gauge lines within ten years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Kureshi): (a) Yes, Sir. The total route kilometrage of Metre Gauge Railway lines comes to 25,500.

(b) Wholesale conversion of metre gauge lines to broad gauge cannot be considered at present in view of the huge investment involved and the severe dislocation to traffic that it would create during the execution of the work. However, a perspective plan for the conversion to broad gauge of about 3,200 kilometres of some of the arterial high density metre gauge routes in the country in the next 10 to 15 years at a cost of about Rs. 230 crores has been prepared, and out of this, conversion of 1,661.29 kilometres has already been sanctioned at an estimtated cost of Rs. 121 crores. The periority for further lines to be taken up for conversion will depend upon the capacity requirements, operational considerations and financial viability as revealed during surveys.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक संवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलाप समाप्त करना

9606. श्री विभूति मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को उन जिलों से अपने उर्वरक संवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलाप समाप्त करने को कहा गया है जहां उर्वरक संवर्धन योजना को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह बात राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के विरुद्ध नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व की महत्वपूर्ण राजधानियों में 'रेलवे परामर्शदाता'

9607. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रेलवे परामर्शदाताओं की व्यवस्था कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन स्थानों में स्थित हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) परामर्शदाता के रूप में उनको वस्तुतः क्या कार्य करना होता है ; और

(घ) विदेशों में रेलवे परामर्शदाताओं को रखने में भारत सरकार कितना वार्षिक व्यय करती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) इंगलण्ड में लन्दन में और बंगला देश में ढाका में एक-एक रेलवे सलाहकार है, फ्रांस में, पेरिस में स्विटज़रलैण्ड में, बर्न में तथा पश्चिम जर्मनी में बोन में एक-एक उप रेलवे सलाहकार हैं तथा जापान में टोकियो में एक द्वितीय सचिव (वैज्ञानिक और तकनीकी) हैं।

(ग) उनका काम भारतीय मिशनों को रेलवे से संबंधित मामलों में सलाह देना और जिन रेल उपस्करों के लिये विदेशों को आर्डर दिये गये हैं उनका प्रत्यक्ष निरीक्षण करना है।

(घ) इन कार्यालयों के लिये 1973—74 का बजट अनुमान इस प्रकार है :—

	रुपये
योरप में रेलवे सलाहकार संगठन जिस में तीन उप रेलवे सलाहकार शामिल हैं .	3,15,000
जापान में भारतीय मिशन	1,76,000
ढाका स्थित रेलवे सलाहकार पर एक वर्ष का अनुमानित खर्च . .	75,400

रुपये है।

जापान द्वारा येन में ऋण देने से इन्कार किया जाना

9608. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन के सहयोग से इंजीनियर्स इन्डिया लिमिटेड द्वारा सरकारी क्षेत्र में लगायी जाने वाली उर्वरक परियोजनाओं के लिये जापान ने येन मुद्रा में ऋण देने की अनिच्छा व्यक्त की है ;

(ख) इस योजना के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव क्या था ;

(ग) क्या जापान की इस परिवर्तित नीति से हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) से (घ) सरकारी क्षेत्र में पांच उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये येन ऋण की उपलब्धि तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में जापान सरकार के साथ बातचीत करने के लिये एक सरकारी शिष्ट मण्डल हाल ही में जापान गया था ? जापान सरकार की अन्तिम प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ी की सेवाओं का रद्द करना

9609. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के प्रथम तीन महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण कितनी रेलगाड़ियों की सेवाओं को रद्द किया गया है ;

(ख) इसके कारण अनुमानित कितनी हानि हुई है ; और

(ग) रेलगाड़ियों की कमी इस प्रकार फिर न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :(क) 1973 के पहले तीन महीनों में कोयले के कमी के कारण कोई गाड़ी बन्द नहीं हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए केरल, मैसूर और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों की बैठक

9610. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल के वर्तमान और प्रस्तावित उपयोग के बारे में तथ्य का पता लगाने वाली समिति द्वारा एकत्रित आंकड़ों को देखते हुए कावेरी जल विवाद के समाधान पर चर्चा करने के लिये केरल, मैसूर और तामिलनाडु के मुख्य मंत्रियों की कोई शीघ्र बैठक होगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) केरल, मैसूर तथा तामिलनाडु के मुख्य मंत्री 29 अप्रैल, 1973 को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री से मिले तथा उन्होंने कावरी तथ्य अन्वेषणी समिति की रिपोर्ट पर कावेरी के जल का सर्वमान्य समाधान ढूंढने के लिये विचार विमर्श किया।

तथ्य अन्वेषणी समिति की रिपोर्ट में दी गई नदी का कुल लाभों पर आमतौर पर मतैक्य था। मुख्य मंत्रियों के अनुरोध पर कुछ बातों पर स्पष्टीकरण के लिये यदि ऐसे सत्यापन आवश्यक समझे गये, समिति को पुन: रिवाईव किया जा रहा है :

मुख्य मंत्री विचार-विमर्श जारी रखने तथा समझौते पर पहुंचने की सम्भाव्यताओं की जांच पड़ताल करने के लिये भविष्य में किसी तिथि को मिलने के लिये सहमत हो गए हैं।

एकाधिकार आयोग को भेजे गये मामले

9611. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन के मामले एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन स्वीकार किये गये हैं एवं स्वीकृति के लिये कम्पनियों द्वारा क्या शर्तें रखी गई सरकार ने क्या शर्तें स्वीकार कीं और वे कम्पनियां किस ग्रुप से सम्बद्ध हैं ; और

(ख) इन स्वीकृत मामलों में से किन मामलों पर सम्बन्धित कम्पनियों ने और कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी

(ख) अनुमोदित प्रस्तावों का कार्यान्वियन आवेदन उपक्रमों द्वारा किया जाता है और इस सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

4000 रुपये तथा इससे अधिक मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक

9612. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों में प्रबन्ध निदेशकों तथा पूर्णकालिक निदेशकों को 4000 रुपये तथा इस से अधिक मासिक मूल्य पारिश्रमिक दिया गया है ; और

(ख) किन किन प्रबन्ध निदेशकों तथा पूर्णकालिक निदेशकों को 60,000 रुपये तथा इससे अधिक राशि वार्षिक मूल प्रबन्धकीय पारिश्रमिक दिया गया है तथा उन की राष्ट्रीयता, ग्रुप सम्बदधता और परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण):(क) गत तीन वर्षों अर्थात् , 1–1–70 से 31–12–72, के मध्य, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 478 प्रबन्ध निदेशकों, एवं पूर्णकालिक निदेशकों को 4000 रु० व इससे अधिक के मासिक मूल पारिश्रमिक की अनुमति दी गई है ।

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

बर्दवान-कटवा और अहमदपुर-कटवा रेलमार्गों (पूर्वी रेलवे) पर सवारी गाड़ियों में सफाई और प्रकाश का बेहतर प्रबन्ध

9613. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के बर्दवान, कटवा और अहमदपुर-कटवा (नैरोगज लाइन) पर सवारी गाडियों में प्रकाश और सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या गाड़ियां रात के समय में बहुत कम प्रकाश अथवा बिना प्रकाश व्यवस्था के ही चलती है और गाड़ियों के शौचालयों और रेल डिब्बों की सफाई का रख रखाव ठीक से नहीं किया जाता और यदि हां, तो यात्रियों को सुरक्षात्मक और आरामदायक यात्रा के लिये सुविधायें उपलब्ध करने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस खण्ड पर सभी दिनों में अत्याधिक भीड़भाड़ होती है और यात्रियों को अपनी यात्रा के लिये रेलगाड़ियों की छतों पर बैठने के लियें बाध्य होना पड़ता है और प्रथम श्रेणी के डिब्बों में स्थान के अभाव में प्रथम श्रेणी के टिकट वाले यात्रियों को खड़े खड़े ही यात्रा करनी पडती है और यदि हां तो सभी यात्रियों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इन गाड़ियों में सन्निमूत सफाई व्यवस्था करने के पर्याप्त प्रबन्ध है । इन गाड़ियों में धुंधली बत्तीयों में सुधार करने के उद्देश्य से डायनमों विहीन डिब्बों में डायनमों और सेलों की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से बर्दवान और कटवा के बीच 10-5-83 से डीजल रेलकारों-वाली एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ी चालू की जा रही है ।

अहमदपुर-कटवा सेक्शन पर बी० ए० के शटल गाड़ियों का देर से चलना

9614. **श्री गदाधर साहा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेन संख्या बी० ए० शटल (1, 2, 3) 10 ए० के० मिक्स्ड (1, 2, 3) और 6 ए० के० मिक्स्ड (1, 2, 3), जिनका कटवा जंक्शन पर पहुंचने का निर्धारित समय क्रमश: 12.03, 5.50 और 9.30 बजे है, कभी इस स्टेशन पर निर्धारित समय पर नहीं पहुंचती तथा सदा देर से चलती है तथा अरवलग्राम स्टेशन पर सदा लगभग एक घंटा तक रोकी रखी जाती है तथा 8 बी० के० मिक्सड (1, 2, 3) और 10 बी० के० मिक्सड (1,2,3) के लिए कठवा–बर्दवान (नैरोगेज) लाइन के बदले जाने के कारण कटवा और बर्दवान जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा होती है, और

(ख) यदि हां, तो रेल गाडियों को नियमित रूप से चलाने के लिये क्या उपाय किये गये है जिस से 8 बी० के० और बी० के० मिक्सड (1,2,3) के यात्रियों को इन गाड़ियों से असुविधा न हो तथा अहमदपुर-कटवा (नैरोगेज) लाइन पर अरवलग्राम स्टेशन पर उक्त गाडियों खड़ी न रहें ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :(क) और (ख) जनवरी से मार्च 1973 तक की अवधि में इन गाड़ियों का समय पालन संतोषजनक नहीं रहा है, मुख्यत: खतरे की जंजीर का खींचे जाने के कारण कटवा में 10 ए के और 10 बी के गाड़ियों के बीच अधिकृत मेल बनाये रखने का प्रतिमान जनवरी से मार्च, 1973 तक 44 से 52 के बीच रहा। संबंधित अधिकारियों को इस आशय की हिदायतें जारी कर दी गयी है कि इस पर कड़ी निगाह रखी जाये, परिहार्य विलम्ब के विरुद्ध कार्रवाई की जाये और इन गाड़ियों के चालन में सुधार किया जाये ।

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

9615. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1973 तक राजस्थान में जिलावार कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई और अब तक कितने गांवें में बिजली लगाई जानी बाकी है ;

(ख) 1973–74 के वित्तीय वर्ष में जिलावार कितने गांवों में बिजली लगाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) पाली और उदयपुर में सभी गांवों में बिजली लगाने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जैसा कि राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है राजस्थान में 31 मार्च, 1973 तक जिलेवार विद्युतीकृत गांवों की संख्या, अभी तक विद्युतीकृत न किए गए शेष गाँवों की संख्या तथा 1973-74 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले प्रस्ताविक गांवों की संख्या के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	जिले का नाम	गाँवों की कुल संख्या	31–3–73 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत न किए गए शेष गाँवों की संख्या	1973–74 में प्रस्तावित विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
1	अजमेर . .	950	171	779	21
2	अलवर	1,853	304	1,549	167
3	बांसवाड़ा	1,426	112	1,314	30
4	बाड़मेर . .	822	47	775	..

क्रम सं०	जिले का नाम	गाँवों की कुल संख्या	31-3-73 तक विद्युतीकृत गाँवों की संख्या	विद्युतीकृत न किए गए शेष गाँवों की संख्या	1973-74 में प्रस्तावित विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
5	भरतपुर	1,838	236	1,602	105
6	भीलवाड़ा	1,500	292	1,208	65
7	बीकानेर	525	70	455	
8	बूंदी	718	81	637	..
9	चित्तौडगढ़	2,025	313	1,712	48
10	चुरु	843	133	710	
11	दुर्गापुर	816	97	719	..
12	जयपुर	2,694	661	2,033	4
13	जैसलमेर	485	3	482	
14	जालौर	591	106	485	..
15	झुंझुनु	693	235	458	34
16	झालावाड़	1,423	195	1,228	80
17	जोधपुर	716	169	547	
18	कोटा	1,860	250	1,610	64
19	नागौर	1,199	240	959	59
20	पाली	826	193	633	
21	सवाई माधोपुर	1,524	170	1,354	36
22	सीकर	798	172	626	17
23	सिरोही	417	55	362	
24	श्री गंगानगर	1,538	244	1,294	19
25	टोंक	1,002	129	873	33
26	उदयपुर	3,159	379	2,780	45
	कुल	32,241	5,057	27,184	827

(ग) राजस्थान में कुल 32,241 गांवों में से अब तक 5,057 गांव विद्युतीकृत हुए हैं। पाली और उदयपुर जिलों में सभी ग्रामों का विद्युतीकरण राज्य के अन्य क्षेत्रों के विद्युतीकरण के समस्त कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है जो पाँचवीं तथा बाद की योजनाओं के दौरान धन राशि की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर है।

Report on improvements in the Judicial Administration submitted by Shri M.C. Setalvad

9616. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Shri M. C. Setalvad submitted a report in 1958 for improvements in the judicial administration ; and

(b) which of the recommendations were accepted by the Central Government and what steps have been taken to implement them so far?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes, Sir. The Law Commission under the Chairmanship of Shri M. C. Setalvad submitted a report on the Reform of Judicial Administration.

(b) The Report contains numerous recommendations on various matters most of which concerned the State Governments, courts, universities, Bar Councils etc. 'Administration of Justice' is a state subject and it was primarily the responsibility of the State Governments to implement those recommendations of the Law Commission which came within their purview. According to the information made available, the State Governments have by and large adopted the measures recommended by the Law Commission.

The recommendations regarding legal profession have been implemented by the Advocates Act, 1961 (25 of 1961). The recommendations regarding Criminal Procedure were further considered separately by the Law Commission and the 41st Report of the Law Commission on the Code of Criminal Procedure, 1898, took into consideration *inter alia* the 14th Report. To implement these recommendations the Code of Criminal Procedure Bill 1950, was introduced in the Rajya Sabha on 10-12-1970. The Bill has since been passed in the Rajya Sabha and is under consideration of the Lok Sabha.

The recommendations regarding changes in Civil Procedure were further considered separately by the Law Commission and the 27th and 54th Reports of the Commission, took into consideration, *inter alia* the 14th Report.

The recommendations regarding insolvency laws were referred back to the Commission for full examination and the 26th Report of the Commission took into consideration *inter alia* the 14th Report.

Some of the recommendations were only observations or were for the guidance on which no action was required to be taken by the Government of India.

Thus, in so far as the Government of India was concerned, such of the recommendations as could be accepted have already been implemented.

Electrification of Villages in Pali District of Rajasthan

9617. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages electrified so far in Kharchi, Vali, Desauri, Pali and Rohad Development Blocks in Pali District of Rajasthan and the time by which the remaining villages are proposed to be electrified; and

(b) the time by which Kharchi and Rohad, where Development Block offices are located would be electrified?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The number of villages electrified in 4 Tehsils in Pali District is given below :—

Tehsil	No. of villages
Kharchi . .	14
Bali . . .	51
Desuri	16
Pali	9

Rohat is only a village in Pali District and it has not yet been electrified. Kharchi Tehsil Headquarters have already been electrified. The State Electricity Board has not yet chalked out programme to extend electricity to remaining villlages in those Tehsils.

Supply of Electricity to Rajasthan Villages

9618. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of the villages in Kotra, Gagunda and Jharol Adivasi Development Blocks in Udaipur District of Rajasthan State where electricity has been supplied and the time by which electricity would be supplied in the remaining villages?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : The Gogunda Tehsil Headquarter and 5 villages *viz.* Chatiya Kheri, Kachwa, Mejawari, Khakhri and Jaswantgarh have so far been electrified in Gogunda Tehsil. No villages have so far been electrified in Kotra and Jharol Tehsils, which are far away from the existing transmission system. The Electricity Board have stated that substantial expenditure would be invested in electrification of these areas and the extension of electricity to all villages will depend upon the availability of funds in the Fifth Plan.

Supply of Electricity to wells on the Banks of the Bodi river in Pali District of Rajasthan

9619. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the time by which Government propose to supply electricity to hundreds of wells on the banks of Bodi river in Pali District in Rajasthan with a view to increase agricultural production there?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): Rural Electrification Schemes are formulated by the State Electricity Board and implemented by them under the State Plans. Additive finances are provided in the Central Sector through the Rural Electrification Corporation. Schemes to be financed by Rural Electrification Corporation are formulated and submitted by the State Electricity Boards for sanction. No scheme for Pali District has been submitted so far. The Rajasthan State Electricity Board have stated that survey has not been made so far for electrification o the wells on the banks of the Bodi river in Pali District.

तीस्ता बांध परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध

9620. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से तीस्ता बांध परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में आवश्यक अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता बराज स्कीम के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजना के लिए धनसंबंधित राज्य सरकार के सम्पूर्ण विकासात्मक कार्यक्रम में से ही निकालना होता है। अपने सिंचाई कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की असमर्थता के प्रश्न पर पहले भी कई बार विचार-विमर्श किया गया था तथा चौथी योजना के तैयार करते समय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अंतिम रूप से यह निर्णय किया गया था कि सिंचाई परियोजनाएं राज्य योजना का भाग बनी रहेंगी।

अतः, तीस्ता बराज स्कीम को केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित करना संभव नहीं है।

पुरुलिया से हावड़ा, बरास्ता बांकुरा तथा खड़गपुर, तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

9621. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरिलिया तथा बांकुरा के पिछड़े जिलों के निवासियों ने पुरुलिया से हावड़ा, बरास्ता बांकुरा तथा खड़गपुर, तक एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की मांग की है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पुरुलिया से हावड़ा, बरास्ता, बांकुरा तथा खड़गपुर तक एक एक्सप्रैस गाड़ी कब चलायी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) बांकुड़ा और खड़गपुर के रास्ते पुरुलिया और हावड़ा के बीच एक अतिरिक्त एक्सप्रैस गाड़ी चलाना इस समय न तो यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न हावड़ा मे पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक ही है। हावड़ा–पुरुलिय–चक्रधरपुर–सवारी गाड़ी का ठहराव कुछ स्टेशनों पर समाप्त करके उसे एक्सप्रैस गाड़ी बनाना भी यात्रियों के हित में वांछनीय नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर वे इस गाड़ी से बंचित हो जायेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में व्यापक सिंचाई परियोजना

9622. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना जिले में, जहां पर मुख्य रुप से आदिवासी कृषक रहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई सिंचाई परियोजना शुरु कि गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है और इस परियोजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। नौ मध्यम सिंचाई स्कीमों के अतिरिक्त, जिनपर चौथी योजना में भी कार्य चल रहा है, बिहार राज्य के छोटा नागपुर और सन्थाल परगनों में चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में क्रियान्वित करने के लिए पांच और मध्यम सिंचाई स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं।

राज्य सरकार ने भी 1973–74 की अपने वार्षिक योजना में पांच और स्कीमों का प्रस्ताव किया है जिनकी केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है। इन अस्वीकृत स्कीमों के अतिरिक्त फरवरी, 1973 में केन्द्रीय, जल और विद्युत आयोग में राज्य सरकार से एक वृहत और एक मध्यम सिंचाई स्कीम प्राप्त हुई है और इनकी जांच हो रही है।

(ख) इसकी स्थिति, अनुमानित लागत और सिंचाई लाभों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

स्कीम का नाम	स्थिति	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	सिंचाई लाभ अंतिम (क्षेत्र हजार हेक्टर में)
चौथी योजना के दौरान पूर्ण स्कीमें			
बांको लिफ्टज	छोटा नागपुर	78.00	5.87
सोना	छोटा नागपुर	64.46	6.52
काकरीं	छोटा नागपुर	35.33	3.84
बिन्जय	छोटा नागपुर	14.82	3.03
कांची	छोटा नागपुर	152.10	18.22
चौथी योजना में चलने वाली स्कीमें			
रोरो	छोटा नागपुर	124.57	10.93
बक्सा बांध	छोटा नागपर	104.41	3.04
खुदिया	संथाल परगना	58.02	4.73
अनराजा	छोटा नागपुर	40.42	5.42
चौथी योजना में स्वीकृत स्कीमें			
सुन्दर	संथाल परगना	192.06	8.50
ताजना	छोटा नागपुर	52.33	1.91
अंजनवा	छोटा नागपुर	41.18	1.74
जनसौग्रई	छोटा नागपुर	69.67	2.02
बुदानक्षुवा	छोटा नागपुर	32.08	0.90
अस्वीकृत स्कीमें			
गोविंदपुर	छोटा नागपुर	32.00	9.45
बिन्दा	छोटा नागपुर	63.02	2.02
गोबाई	छोटा नागपुर	64.67	4.96
मैला	छोटा नागपुर	222.40	8.26
घाघरा	छोटा नागपुर	71.00	3.64
तोराई जलाशय स्कीम	संथाल परगना	295.90	9.60
सुवर्णरेखा	सिंहभूम	900.30	21.85

नई विद्युत् परियोजनाओं के लिए राज्यों द्वारा अतिरिक्त धन की मांग

9623. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से नई विद्युत् परियोजनाओं को शुरु करने के लिये अतिरिक्त धन मागा है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : जिन राज्यों ने नई विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धनराशि मांगी है, वे निम्नलिखित हैं :—

राज्य का नाम	परियोजना का नाम
1. हरियाणा	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र
2. उत्तर प्रदेश	ओवरा ताप केंद्र विस्तार, ऋषिकेश हरिद्वार परियोजना, टिहरी बांध स्कीम, गोरखपुर में ताप केन्द्र, झांसी में ताप केन्द्र, लखवार परि० और वियासो परि०
3. उड़ीसा	तलचर ताप केन्द्र विस्तार
4. मैसूर	काली नदी जलविद्युत परियोजना चरण-दो।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का विस्तार

9624. श्री राजदेव सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग का कार्य संतोषजनक रहा है जबकि सरकारी क्षेत्र की हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के लाभों में बहुत गिरावट आयी है; और

(ख) क्या इस उपक्रम का विचार विस्तार तथा विविधीकरण कार्यक्रम चलाने का है जिसके कार्यान्वित किये जाने पर लाभ में वृद्धि होने की आशा है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का शुद्ध लाभ जो 1969–70 में 44.12 लाख रुपये था, 1970–71 में गिर कर 12.47 लाख रुपये हो गया। लेकिन 1971–72 में जब इसने 12.97 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, इस उपक्रम की उपांकित रूप में लाभ प्रदता बढ़ी। इसके 1970–71 के 683 लाख रुपये के कुल वार्षिक उत्पादन की तुलना में, 1971–72 में 801 लाख रुपये का वार्षिक उत्पादन भी बढ़ा।

(ख) जी हां।

205–280 रु० और 130–240 रु० के ग्रेड वाले सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा पदोन्नति स्वीकार न करना

9625 श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 205–280 रु० के ग्रेड वाले उन कई सहायक स्टेशन मास्टरों ने और 130–240 रु० के ग्रेड वाले सहायक स्टेशन मास्टरों ने अपनी पदोन्नतियां अस्वीकार कर दी हैं, जिनको इस वर्ष 1 मार्च, 1973 से क्रमशः 205–280 रु० के ग्रेड वाले स्टेशन मास्टरों और 205–280 रु० ग्रेड वाले सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नति दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों ने पदोन्नतियां अस्वीकार की और पदोन्नतियां अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रात्रि ड्यूटी तथा समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए अन्तरिम राहत पर विचार

9626. **श्री राज देव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या पी० सी०-72/बी० एल० टी०-69/1 दिनांक 9 मार्च, 1973 द्वारा जारी किये गये पुनर्राक्षित रात्रि ड्यूटी भत्ते में अन्तरिम सहायता शामिल होगी अथवा नहीं ;

(ख) क्या अन्तरिम सहायता को समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए शामिल किया जायेगा अथवा नहीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, सिवाय ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो कारखाना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित होते हैं।

(ग) वेतन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अंतरिम सहायता को सर्वथा पृथक माना जाय और रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले किसी अन्य भत्ते या अन्य भुगतानों के निर्धारण के लिये भी इसकी गणना न की जाय। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली डिवीजन में ए० सी० सी० और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की साइडिंग्स में वैगनों को रोके रहना

9627. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली डिवीजन के ओखला स्टेशन में ए० सी० सी० साइडिंग को 24 घण्टे का निःशुल्क समय दिया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन में किसी अन्य साइडिंग को ऐसा निःशुल्क समय नहीं दिया जाता है ;

(ग) दिसम्बर, 1972 में ए० सी० सी० साइडिंग, गुड्स साइडिंग और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की साइडिंग में वैगनों को रोके रखने का औसत समय क्या था ; और

(घ) ए० सी० सी० साइडिंग को विशेष निःशुल्क समय दिये जाने के कारण क्या हैं और वैगनों को रोके रखने के समय को कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। इस समय ओखला में ए० सी० सी० साइडिंग को 5 घंटे का सामान्य निःशुल्क समय दिया जाता है

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दिसम्बर 1972 के महीने में ए० सी० सी० साइडिंग, माल-गोदाम और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी साइडिंग में माल डिब्बों का औसत अवरोध इस प्रकार था।

साइडिंग का नाम	इकहरा परिचालन (केवल माल उतारना)	दोहरा परिचालन (माल उतारना और चढ़ाना—दोनों)
	घंटे	घंटे
(1) ए० सी० सी० साइडिंग . .	31	94
(2) माल–गोदाम . . .	35	57
(3) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी साइडिंग	36	60

(घ) चूंकि ए० सी० सी० साइडिंग को केवल सामान्य निःशुल्क समय ही दिया जाता है, इसलिए विशेष निःशुल्क समय देने के कारणों का प्रश्न नहीं उठता। माल डिब्बों को और शीघ्र खाली करने ने लिए रेलें ए० सी० सी० साइडिंग के प्रबन्धों पर निरन्तर जोर डालती रहती है।

साइडिंग में माल डिब्बों के नियमित नियोजन और निकासी को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेल प्रशासन भी प्रयत्नशील रहता है।

पारादीप (उड़ीसा) में शोधन-शाला की स्थापना करना

9628. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पारादीप में शोधन-शाला स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माल डिब्बों के आवागमन के लिए ओलांजोर और बाडमपहार (दक्षिण पूर्वी रेलवे) के बीच रेल की पटरों को मजबूत किया जाना

9629. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दक्षिणपूर्व रेलवे में ओलंजोर और बादामपहार के बीच रेल पटरी बी० ओ० बी० एस० और बी० ओ० बी० एक्स० माल डिब्बों के आवागमन के लिये उपयुक्त नहीं है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने लोह अयस्क की ढुलाई के लिये उक्त लाइन को मजबूत किये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे की टाटा-बादामपहाड़ लाइन के अंलायोदि–बादामपहाड़ खण्ड पर फिलहाल बी० ओ० बी० एस० और बी० ओ० बी० एक्स० माल डिब्बे चलाये जाने की अनुमति नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) बी० ओ० बी० एस०/बी० ओ० बी० एक्स० टाइप के माल डिब्बे चलाने के लिए रेलपथ को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें काफी खर्च आता है। चूंकि इस क्षेत्र से लोह अयस्क ले जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए रेलपथ को मजबूत बनाने के प्रश्न पर, जिसमें भारी निवेश करना होगा, केवल तभी विचार किया जा सकता है जब इस्पात कारखाने द्वारा इस बारे में कोई संकेत दिया जाय।

राजभाषा (विधायी) आयोग में राजपत्रित पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति

9630. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग में विभिन्न श्रेणियों के राजपत्रित पदों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उक्त आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पृथक-पृथक विभिन्न श्रेणियों के राजपत्रित पदों की कुल संख्या कितनी-कितनी आरक्षित की गई हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने आरक्षित पद भरे गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 32।

(ख) ऊपर (क) में निर्दिष्ट 32 राजपत्रित पदों में से केवल 2 पद, भर्ती नियमों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं। शेष पद राज्य न्यायिक सेवा के उपयुक्त अधिकारियों या केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन समान पदों पर कार्य करने वाले उपयुक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं। यदि भर्ती की यह पद्धति असफल रहे तो ये पद संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं। राजभाषा (विधायी) आयोग में राजपत्रित पदों के लिए 15 रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हैं। इन रिक्त स्थानों में से 3 रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 1 रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए नियमानुसार आरक्षित किया गया है।

(ग) 2 रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा पहले ही भरे जा चुके हैं और अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार का तीसरे रिक्त स्थान पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया गया है। जहां तक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थान का संबंध है, उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला जा चुका है, जिससे वह तदनुसार भरा जा सके।

मार्च, 1973 में राजभाषा (विधायी) आयोग में उप-प्रारूपकार (हिन्दी) के पद के लिए विज्ञापन

9631. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 में राजभाषा (विधायी) आयोग, विधायी विभाग में उप-प्रारूपकार (हिन्दी) के पद को विज्ञापित किया गया था ; और

(ख) क्या यह पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग की हिन्दी यूनिट में उप-प्रारूपकार का एक पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने के लिए मार्च, 1973 में विज्ञापित किया गया है।

(ख) आरम्भ में यह पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। संघ लोक सेवा आयोग, केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के रूप में, चार बार विज्ञापन निकालने के पश्चात् भी, इस पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जन-जाति के किसी उम्मीदवार की सिफारिश करने में असमर्थ रहा। अतः इस पद के लिए मार्च, 1973 में इस रूप में विज्ञापन निकाला गया है कि यह पद अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, यदि ऐसा उम्मीदवार उपलब्ध हो; उसके उपलब्ध न होने की दशा में यह पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिये आरक्षित है ; और यदि दोनों में से कोई उपलब्ध न हो, तो यह पद अनारक्षित माना जाएगा।

दिसम्बर, 1971 में राजभाषा (विधायी) आयोग में उप-प्रारूपकार (हिन्दी) के पद के लिए विज्ञापन

9632. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 में राजभाषा (विधायी) आयोग विधायी विभाग में उप-प्रारूपकार (हिन्दी) के पद के लिए विज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पद अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था।

राजभाषा (विधायी) आयोग में सहायक प्रारूपकार (हिन्दी) की नियुक्ति

9633. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा (विधायी) आयोग, विधायी विभाग में एक ऐसे व्यक्ति को सहायक प्रारूपकार (हिन्दी) नियुक्त किया गया है जिसके पास हिन्दी की कोई अर्हता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद के लिए विज्ञापन दिया गया था ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रांची से लोहारडागा को लाइन को बडी लाइन में बदलने में विलम्ब

9634. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची और लोहारडागा के बीच नैरोगेज लाइन को बड़ी लाइन (ब्राड गेज) में बदलने की परियोजना एक लम्बी अवधि से लम्बित पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस लाइन के आमान परिवर्तन के सम्बंध में अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने जांच की थी और उसने बताया था कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिये औद्योगिकरण की योजनाओं के विकास के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जाये। इस मामले पर उनके साथ बात-चीत की जा रही है।

वर्ष 1971 और 1972 में त्रिपुरा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए मंजूर की गई धनराशि

9635. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 के दौरान त्रिपुरा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ख) क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध है कि इस कार्यक्रम पर कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) वर्ष 1973 में उक्त कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। पारेषण लाइनों तथा संबंधित वितरण उप-केन्द्रों का निर्माण करके 30 बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक स्कीम जिसकी लागत 34.17 लाख रुपये है, योजना आयोग में मई, 1972 में स्वीकृत कर दी है। 1972-73 के दौरान प्रत्याशित व्यय 2 लाख रुपये है। 1973-74 वर्ष के लिए परिव्यय 8 लाख रुपये का है। 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों के दौरान 32 ग्राम विद्युतीकृत किए गए। यह कार्य पारेषण तथा उप पारेषण तार जाल के लिए अन्य अनुमोदित स्कीमों के अन्तर्गत किया गया था, इस लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए व्यय के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

कुलजियां ग्रुप

9636. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि एक विदेशी कम्पनी कुलजियां ग्रुप को अमरीका ने हाल ही में 'काली सूची में दर्ज कम्पनी' (ब्लैक लिस्टेड कम्पनी) माना है ;

(ख) क्या भारत में व्यापारिक महत्वपूर्ण गतिविधियों को संभालने के लिए कुलजियां का नाम बदल कर "डेवलपमेंट कंसलटैंट्स" नामक एक नये ग्रुप की स्थापना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में कुलजियां तथा डेवलपमेंट कंसलटैंट्स के प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रिया की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) कम्पनी कार्य विभाग का ध्यान एक समाचार पर आकर्षित किया गया है जो 8 जुलाई, 1972 को फिलाडेलफिया इनक्वायरर में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह उल्लेख किया

गया था कि इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी को झूठा विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु कुलंजियां कारपोरेशन फेडरल आपराधिक दोषारोपों से अभियुक्त हुआ है। इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि कम्पनी ब्लैक लिस्टेड की गई है या की गई थी।

(ख) तथा (ग) एक कम्पनी मैसर्स डेवलपमेंट कंसलटैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नामान्तर्गत पंजीकृत की गई है। व्यापारिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिसमें कि कुलंजियां कारपोरेशन आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड और डेवलपमेंट कंसलटैंट्स प्राइवेट लि० ग्रस्त है और उनके प्रबन्धकीय प्रतिरूप की सूचना संग्रहीत की जा रही है।

फाईजर्स लिमिटेड द्वारा किये गये आयातों का मूल्य तथा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया जाना

9637. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाइजर्स लिमिटेड ने 1972 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुल कितने मूल्य के कच्चे माल, सहायक कल पुर्जे, तैयार उत्पाद, पूंजीगत उपकरण तथा उपकरण और फालतू पुर्जों का आयात किया ;

(ख) उपर्युक्त तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष (1) अमरीका के मैसर्स फाइजर्स अथवा उनकी सहायक फर्मों और सम्बद्ध फर्मों से तथा (2) अन्य फर्मों से कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया ;

(ग) क्या इस फर्म द्वारा आयात किये गये टेट्रासाइक्लीन और कोरापायामाइड के उत्पादन के लिये संयंत्रों की क्षमता इन औषधियों के लिये क्षमता से अधिक है जैसा कि इसे दिये गये औद्योगिक लाइसेंस में बताया गया है ;

(घ) यदि हां, तो अधिक क्षमता वाले संयंत्रों के आयात की अनुमति क्यों दी गई ; तथा क्या किसी को इस के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह फर्म टैट्रासाइक्लीन और क्लोरापायामाइड का लाइसेंस प्राप्त क्षमता का लगभग दुगना उत्पादन किस प्रकार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मैसर्स फाइजर्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में कच्चे तथा मध्यवर्ती माल, तैयार उत्पाद, पूंजीगत उपकरण तथा अतिरिक्त पूर्जों के किये गए आयात का कुल मूल्य, फर्म द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1970	1971	1972
कच्चा माल तथा मध्यवर्ती	57.45	29.30	42.12
तैयार उत्पाद	..	..	..
पूंजीगत उपकरण	3.74	5.29	..
सहायक कल पुर्जे	..	..	..
अतिरिक्त पुर्जे	1.73	1.14	0.83
कुल	62.92	35.73	42.95

(ख) उपरोक्त में से, निम्नलिखित स्रोतों से आयात किया गया :—

फाइजर उत्पाद . . .	7.93	6.06	8.72
अन्य	54.99	29.67	34.23

(ग) से (ङ) पार्टी द्वारा आयात के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जांच-पड़ताल कर लेने के बाद सरकार द्वारा, उपकरणों के आयात की स्वीकृति दी गई। श्रेष्ठ प्रक्रिया, कार्य कुशलता एवं संयंत्र के सदुपयोग द्वारा फर्म लाइसेंस क्षमता से भी अधिक उत्पादन करने में सफल हुई है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

मेसर्स फिजर लिमिटेड द्वारा 1964-65 में निर्यात बान्ड न भरे जाने के कारण

9638. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फिजर लिमिटेड से निर्यात बान्ड क्यों नहीं भराया गया जबकि 1964-65 में उसे लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) इस गलती के लिये कौन उत्तरदायी है और क्या इस के लिये कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का यह विचार स्वीकार करती है कि निर्यात दायित्व एक निश्चित अवधि के लिये था और वर्ष 1972 के पश्चात् जारी नहीं रह सकता ;

(घ) क्या इस विचार की इस मामले से सम्बद्ध लाइसेंस समिति से कार्यवाही सारांश से पुष्टि होती है ;

(ङ) क्या जब फिजर इण्डिया ने टेट्रासाइक्लीन का निर्यात किया था उस समय इस औषधी का आयात मैसर्स फिजर अमरीका अथवा उन के सम्बद्ध फर्मों से किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त सौदे राष्ट्रीय हित में किये गये थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सितम्बर 1965 में जब मैसर्स फाइजर को प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम से 10,000 किलोग्राम टैट्रा-साईक्लिन के विस्तार के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था, बशर्ते कि टेट्रासाइक्लिन के अतिरिक्त उत्पादन का 25 प्रतिशत (मूल्य में) 1966-67 से निर्यात किया जायेगा और इसके लिये एक बांड दिया जायगा, उस समय 4000 किलोग्राम प्रतिवर्ष के अतिरिक्त विस्तार के लिये एक दूसरा प्रार्थना पत्र जो अक्तूबर, 1964 में प्राप्त हुआ था, विचाराधीन था। इस प्रार्थना पत्र पर लाइसेंसिंग समिति ने 5 जुलाई, 1966 को अंतिम रूप से विचार किया और प्रस्तावित विस्तार का इस शर्त पर अनुमोदन किया कि 10 मीटरी टन टेट्रा-साइक्लिन से अधिक उत्पादन निर्यात किया जायेगा और 10 मीटरी टन टेट्रासाइक्लिन की प्रारम्भिक क्षमता के 25 प्रतिशत निर्यात को भी वचनबद्ध रहेगी। तदनुसार पार्टी को जुलाई 1973 में एक लाइसेंस दिया गया था। सितम्बर 1965 में दिये गये लाइसेंस की शर्तों का 1967 में दिये गये लाइसेंस, जिस में बांड दिये जाने की शर्त नहीं रखी गई थी, ध्यान रखा गया था।

अत: दोनों लाइसेंसों और निर्यात बांड, दिये जाने के सम्बन्ध में फिजर के निर्यात दायित्व के सारे प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) 1970–71 से पहले टेट्रासाइक्लिन का आयात वास्तविक उपभोक्ता आधार पर करने दिया जाता था। उस काम के दौरान मैसर्स फाईजर यू० एस० ए० या उसके सहयोगियों से आयात यदि कोई था तो, कि स्थिति का पता लगाया जा रहा है। 1970–71 से टेट्रासाइक्लिन का आयात एस० टी० सी० द्वारा किया जाता है और एस० टी० सी० द्वारा फाईजर यू० एस० ए० से आयात नहीं किया गया है।

Expenditure on Rajdhani Express Trains

9639. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the year-wise expenditure incurred on each Rajdhani Express train during the last three years ;

(b) the year-wise revenues earned from each Rajdhani Express train during the last three years ; and

(c) if the expenditure has exceeded the revenues, the reasons for continuing such express trains ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Expenses are not booked train-wise. But the direct expenses of running Rajdhani Express between Howrah and New Delhi have been estimated to be Rs. 14,000 per trip for a composition of 4 Air-conditioned Chair Cars and one Air-conditioned sleeper coach and Rs. 15,000 per trip for a composition of 5 Air-conditioned Chair Cars and one Air-conditioned sleeper coach. The direct expenses of running Rajdhani Express between Bombay Central and New Delhi have been estimated to be Rs. 18,900 per trip for a composition of 5 Air-conditioned Chair Cars and one Air-conditioned sleeper coach. These direct expenses include cost of diesel oil consumed, engine crew, train staff etc. and interest and depreciation of coaches and engines but exclude costs of provision and maintenance of permanent way, signal and telecommunication and overheads, etc. Cost of catering service on the trains has also not been taken into account. It is not feasible to assess the total expenditure incurred on each of the Rajdhani Express trains, since, as already stated, expenses are not booked train-wise.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) When the information under item (b) has been collected, a broad view only of the remunerativeness of the services can be taken. The results of such an examination will be furnished.

Increase in the Number of Coaches, Wagons' Railway Engines and in the Length of Railway Lines

9640. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there has been no increase in the number of coaches, wagons, railway engines and in the length of railway lines during the last five years ;

(b) whether there has been no increase in the transportation of fuel or goods during the said period;

(c) the year-wise percentage of increase in the expenditure on goods-traffic during the said period ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) & (b) The information is as under —

	Increase (+) or decrease (—) in 1971-72 as against 1966-67
Locomotives	— 477
Coaches	+ 2,350
Wagons	+ 6,921
Route kilometres	+ 1,602
Goods Traffic	
Tonnes originating (Millions)	— 3.78
Net tonne kilometres (Millions) .	+ 16,658
Fuel Coal	
Tonnes originating (Millions)	— 0.92
Net tonne kilometres (Millions) .	+ 4,133
Mineral Oils	
Tonnes originating (Millions)	+ 2.22
Net tonne kilometres (Millions) .	+ 1,625

(c) Percentage increase is as under :—

	Percentage increase over previous year Cost	
	Net tonne	Kilometres
1967-68 .	7.72	1.93
1968-69 .	7.19	5.28
1969-70 .	4.97	2.48
1970-71 .	6.96	(—) 0.69
1971-72 .	6.31	4.64

The year to year increase in expenditure was due to increase in the cost of materials as well as cost of staff, besides an increase in the total transportation work done as represented by the increase in net tonne kilometres of the freight traffic carried barring a *marginal* drop in the 1970-71.

चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का बनाया जाना

9641. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना से अब तक आन्ध्र प्रदेश में कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाई गई है ; और

(ख) इस क्षमता का अब तक कहां तक उपयोग किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई शक्यता एवं समुपयोजन जैसाकि 1968–69 के अंत तक (चतुर्थ योजना के आरंभ तक) और 1972–73 के अंत तक थी, नीचे दी जाती है :—

	(हजार हैक्टयरों में)	
	शक्यता	समुपयोजन
1968–69 के अंत तक	698	467
1972–73 के अंत तक	874	730

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

9642. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अनेक सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन कार्य एक लम्बी अवधि से चल रहा है जिस के परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये केन्द्र का विचार राज्य को कोई विशेष वित्तीय सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में चुनी हुई बृहत् सिंचाई परियोजनाओं को कुछ विशेष केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर जिसमें आन्ध्र प्रदेश की कुछ परियोजनाएं भी शामिल हैं और जिनको तेजी से निर्माण करना अगले तीन वर्षों में विशिष्ट अतिरिक्त सिंचाई शक्यता को उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है, योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

भारत में मथुरा तेलशोधक कारखानों तथा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में रूस का सहयोग

9643. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मथुरा तेल शोधक कारखाने तथा प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में सहयोग के बारे में भारत और रूस के बीच चल रही वार्ता समाप्त हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टास्क फोर्स के प्रतिवेदन पर औषध निर्माताओं के प्रतिनिधि निकायों से परामर्श

9644. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टास्क फोर्स के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर हितबद्ध पार्टियों से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे जायेंगे ; और

(ख) क्या इस मामले में औषध निर्माताओं के प्रतिनिधि निकायों विशेषकर आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूसर्स आफ इन्डिया से परामर्श किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अन्तर्गत गठित विकास परिषद की एक बैठक में कार्यकारी दल (टास्क रिपोर्ट) की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है। विकास परिषद की बैठक में औद्योगिक उपक्रमों के मालिकों (स्वामियों) के प्रतिनिधियों और उद्योग आदि के तकनीकी अथवा अन्य पहलुओं से सम्बन्धित विषयों के विशेष ज्ञान को रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। ड्रग्ज़ एण्ड फार्मास्युटिकल्स के लिए कार्यकारी दल में फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इण्डिया के संगठन और भारतीय औषध विनिर्माताओं संस्था के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया है।

"बल्क ड्रग्स" के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर कार्यकारी दल के प्रतिवेदन का पता लग जाना

9645. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 3 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बल्क ड्रग्स" के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर कार्यकारी दल के प्रतिवेदन का, जो कि काफी समय से सरकार के विचाराधीन है, पता चल गया है ;

(ख) क्या औषध निर्माताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं, विशेष रूप से आर्गेनाइजेशन आफ दी फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इंडिया, की मुख्य सिफारिशों का पता चल गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन बताने वाले स्रोतों का पता लगाने और उत्तरदायित्व नियत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट को एक गोपनीय रिपोर्ट के रूप में समझ रही है। किन्तु इस रिपोर्ट के विषयों के बारे में प्रेस में कुछ कालपनिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इन रिपोर्टों की पुष्टि करना अथवा इन्कारी करना जनहित में नहीं होगा।

विदेशी औषध कंपनियों द्वारा लाभ संबंधी प्रतिवेदन

9646. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 27 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1032 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 44 विदेशी औषध कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने लाभ संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं और इनमें से प्रत्येक फर्म ने कितना लाभ दिखाया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन फर्मों से औषधियों के मूल्य कम करने तथा उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए कहने का है जिन्होंने लाभ निर्धारित सीमा से अधिक दिखाया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 44 फर्मों की वर्ष 1971/1971–72 के लिये विक्रय टर्नओवर पर लाभदायकता दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5010/73**]

(ख) मैसर्स रेकिट एण्ड कोलमन नामक एक फर्म को छोड़ कर अन्य फर्मों ने औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश 1970 की पैरा 14 के अधीन मूल्यांकन की विकल्प योजना का चयन किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि करों से पहले कुछ लाभ किसी एक वर्ष में टर्नओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यदि कुछ इससे अधिक हुआ तो वह अनुसंधान आदि के लिये फंड में रखा जायेगा। दो कम्पनियों की हालत में विक्रय टर्नओवर पर लाभदायकता औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश की पैरा 14 में निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा से अधिक हुई है। एक फर्म ने 15 प्रतिशत से अधिक लाभ फंड में डाल दिया है और दूसरों से ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करते रहना

9647. **श्री भालजीभाई परमार** :
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० पिम्परी ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिए अग्रेतर अवधि के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग प्राप्त करते रहने और एच० एल० द्वारा उक्त औषधि संबंधी तकनीकी ज्ञान अभी तक प्राप्त न कर सकने और उसमें सुधार न कर सकने के क्या कारण है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उडीसा में ननपारा से गुरूपुर और रूपसा से बांगरीपुर की नेरोगेज लाइनों को ब्राडगेज लाइन में बदलना

9648. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नलुपारा से गुरुपुर और रुपला से बांगरीपुर नैरोगेज लाइन के विस्तार हेतु और इन लाइनों को ब्राडगेज में बदलने सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के लिए एक अध्ययन दल उडीसा राज्य को भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सिफारिशें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अलामफद शाखा लाइन समिति 1969 ने नौपदा–गुनुपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने, उसे रायगडा तक बढ़ाने और रुपसा–तालबन्द छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित प्रस्तावों की जांच की थी। उन्होंने नौपदा गुनुपुर छोटी लाइन के आमान परिवर्तन की सिफारिश नहीं की और केवल रुपसा–ताराबन्द छोटी लाइन के आमान परिवर्तन की सिफारिश की थी। तदनुसार, रुपसा–ताराबाद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया गया और उसकी रिपोर्ट मिल गयी है। रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत 3.79 करोड़ रु० होगी और उससे प्रतिकूल केवल 2.53 प्रतिशत मिलेगा। फिर भी रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे और उत्तर सीमान्त रेलवे में रेलवे सुरक्षा दल के लिए सहायक उप-निरीक्षको की भर्ती

9649. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे और उत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा दल नियम, 1959, अध्याय पांच, सैक्शन 21, की अवहेलना करते हुए रेलवे सुरक्षा दल के लिए 147 सहायक उप-निरिक्षकों की सीधी भर्ती की जा रही है ;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल नियम, 1959 के सैक्शन 21, अध्याय पांच में यह उपबन्ध है कि सहायक उप-निरीक्षकों सहित अन्य सभी पद उक्त दल में पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और यदि हा, तो सीधी भर्ती करने के क्या कारण है ;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा दल विनियम, अध्याय बारह, सैक्शन 10 में यह स्पष्ट उपबन्ध है कि सहायक उप-निरीक्षकों का चयन वर्ष में एक बार सभी जौनल रेलों में केन्द्रीय रूप से किया जायेगा ; और

(घ) यदि हा, तो क्या वर्ष 1971, 1972 और 1973 में दक्षिण-पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे और उत्तर सीमान्त रेलवे में सहायक उप-निरीक्षकों का कोई चयन किया गया था, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलों पर रेल सुरक्षा दल की पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप भारी संख्या में सहायक उप-निरीक्षकों के पदों की रिक्तियां हो जाने से, रेलवे सुरक्षा दल नियम, 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों के अन्तर्गत, केवल एक बार के लिए विशेष मामले के रूप में, यह विनिश्चित किया गया है कि सहायक उप निरीक्षकों के 50 प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा और शेष 50 प्रतिशत बाहरी उम्मीदवारों की सीधी भर्ती करके भरे जायें, जिनमें निचले पदों पर काम करने वाले रेलवे सुरक्षा दल के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो अपेक्षित अर्हताएं आदि रखते हों। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय रेलों पर सहायक उपनिरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए दो वर्षों में एक बार प्रवरण किया जाता है या यदि आवश्यक हो तो अधिक बार भी किया जाता है।

(घ) इस संबन्ध में रेलवे वार स्थिति इस प्रकार है :—

पूर्व रेलवे : रिक्तियां न होने के कारण 1971 और 1972 में कोई प्रवरण नहीं हुआ। 1973 में 51 रिक्तियां भरने के लिए प्रवरण का काम जारी है।

दक्षिण पूर्व रेलवे : अप्रैल मई/1971 में प्रवरण हुआ था और फरवरी अगस्त, 1972 में पृथक प्रवरण किया गया था।

पर्वोत्तर सीमा रेलवे : 1971 में प्रवरण नहीं किया गया था बल्कि 1972 में किया गया था। 1973 में प्रवरण अभी किया जाना है।

मद्रास-मंगलौर एक्सप्रेस रेल गाडी को परा-पन्नान्गाडी रेलवे स्टेशन पर रोकने की मांग

9650. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को मर्चन्ट्स एसोसियेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें मद्रास-मंगलौर एक्सप्रैस रेलगाड़ी को परापनान्गाडी रेलवे स्टेशन पर रोकने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। मर्चेंट्स एसोसिएशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें 29/30 कोच्चिन-मंगलूर मालाबार एक्सप्रेस और 47/48 कोच्चिन कालिकट एक्सप्रेस गाड़ियों को पाप्पैनांगाडी स्टेशन पर ठहराने का अनुरोध किया गया था।

(ख) यातायात के विचार से और इन गाड़ियों के तेज स्वरूप के हित में प्रस्तावित ठहराव को स्वीकार नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा उत्तर दे दिया गया था।

बंगलौर-नानजनगुड रेलवे को बीधीरी तक बढ़ाने के लिए ज्ञापन

9651. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको एक ज्ञापन मिला है जिसमें बंगलौर नानजनगढ़ रेलवे को बीधीरी तक बढ़ाने का उनसे अनरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) नानजनगड़ को बीधीरी से मिलाने पर कोई विचार नहीं है। स्पष्टतः प्रस्तावित रेल सम्पर्क पर जितना यातायात होने की आशा है वह इस लाइन को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए थोड़ी होगी क्योंकि इस क्षेत्र में दूसरे रेल सम्पर्क, अर्थात मैसूर-तेल्लिचरी लाईन के लिए किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि यह लाइन अत्यधिक अलगकद होगी।

राजधानी एक्सप्रेस के लिये टिकटों की बिक्री में चोरबाजारी

9652. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1973 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में राजधानी एक्सप्रेस की टिकटें चोरबाजार में बेची जाती हैं और एक टिकट के लिये 40 रुपये की अतिरिक्त राशि ली जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि कुछ यात्रा एजेंसियां जिन्हें रेल प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, अधिक पैसा लेकर इच्छुक यात्रियों के लिए विभिन्न गाड़ियों में जिनमें 102 डाउन राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है, स्थान आरक्षित कर लेती हैं और ऐसा करते हुए कुछ मामलों में कदाचार करती हैं। आरक्षणों में कदाचार की रोक-थाम के लिए आरक्षण कार्यालयों में और गाड़ियों में निवारक जांच की जाती है और जब कभी कोई व्यक्ति कदाचार करता हुआ पाया जाता है तो उसकी पूरी जांच की जाती है और उचित कारवाई की जाती है जिसमें जहां संभव हो, मुकदमा चलाना भी शामिल है। गैर-मान्यता प्राप्त यात्रा एजेन्सियों द्वारा उत्पन्न की गयी समस्या के प्रति सरकार सजग है। आजकल संसद सदस्यों की एक समिति भी टिकटों की बिक्री और गाड़ी में स्थानों के आरक्षण से सम्बन्धित वर्तमान नियमों और प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर रही है तथा यह समिति कदाचार और अनियमितता रोकने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देगी।

पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर नुक्लीयर शक्ति का प्रयोग

9653. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियों के आन्तरिक कंबशन इंजनों में ईंधन के रूप में पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर नुक्लीयर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिकी संस्थान में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है ; और यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस प्रणाली को आरंभ करने के लिए कब तक अंतिम निर्णय लिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कटवा-अहमदपुर और कटवा-बर्दवान लाइन (पूर्वी रेलवे) पर मार्च, 1973 में बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गई धनराशि

9654. **श्री गदाधर साहा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1973 में स्पेशल निरीक्षण स्टाफ द्वारा पूर्वी रेलवे के कटवा-अहमदपुर और कटवा-बर्दवान छोटी लाइन पर बिना टिकट यात्रियों से जुर्माने और रेल-किराये के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ख) क्या इस रेल मार्ग पर बिना टिकट यात्रा करने के कारणों और परिस्थितियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी क़ुरेशी) (क) 4,318.29 रुपये।

(ख) इस आशय की एक शिकायत मिली थी कि रेल कर्मचारियों की सांठगांठ से इस लाइन पर बिना टिकट यात्रा की जाती है।

(ग) बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिए कटवा-अहमदपुर और कटवा-बर्दवान छोटी लाइन सहित समूची भारतीय रेलवे पर नियमित रूप से निम्न लिखित कदम उठाये जाते है :—

(i) बिना टिकट यात्रा के लिए जुर्माना 10 जून, 1969 से बढ़ा दिया गया।

(ii) नियमित और अचानक जांच के अतिरिक्त, टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और सरकारी रेलवे मजिस्ट्रेटों के बड़े दल लगा कर भेद्य खण्डों में व्यापक जांच की जाती है।

(iii) राज्य सरकारों के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाय जाते है।

(iv) कर्मचारियों का प्रभावकारी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गलती करने वाले कर्मचारियों को दंडित करने तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार देने की पद्धति अपनायी जाती है।

उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त शिकायत मिलने पर जालसाजी-निरोधी तथा सतर्कता विभागों द्वारा उन कर्मचारियों की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखी जाती है जिन पर इस खण्ड पर ऐसे कदाचारों में लिप्त होने का सन्देह होता है।

एक नये राजनीतिक दल की स्थापना

9655. **श्री शिवकुमार शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री बलराज मधोक ने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की है ;

(ख) क्या इस नवनिर्मित दल को सरकार अन्य राजनीतिक दलों की तरह सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ;

(ग) क्या इस नवनिर्मित दल ने सरकार के पास अपनी पार्टी का कार्यक्रम भेजा है तथा दल को सुविधाएं देने के लिए कहा है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उन कतिपय रिपोर्टों के अतिरिक्त, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं, सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

थिन्ना धन्नथी ट्रस्ट पर आय-कर निर्धारण

9656. **श्री एस० मुरुगनन्तम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थिन्ना धन्नथी ट्रस्ट के श्री एस० पी० अदितियन के विरुद्ध, आय-कर निर्धारण के सम्बन्ध में नवम्बर, 1972 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सामान्य अवधि से अधिक के लिये निर्णय स्थगित कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और विशेष कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

राशन के चावलों में लौह कण होने का समाचार

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

'भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार को सप्लाई किये गये चावलों में लौह-कण मिलन होने के समाचार" ।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हाल ही में बम्बई में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए गए लम्बे मोट चावल में कुछ लोहे के टुकड़े पाए जाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को 3 मई, 1973 को पता चला था । तुरन्त ही भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के स्टाफ ने संयुक्त जांच की थी । जांच से यह पता चला कि चावल में लोहे के कुछ टुकड़े मौजूद थे अर्थात एक किलो चावल में 2 से 4 टुकड़े । महाराष्ट्र सरकार ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि ऐसे चावल की बिक्री बन्द कर दी जाए और उचित मूल्य की दुकानों को कहा गया है कि वे उन्हें सप्लाई किए गए चावल की जांच करें और उसे सरकारी गोदामों से बदलवा लें । प्रभावित स्टाक से टुकड़े निकालने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है । सरकार इससे सम्बन्धित सम्भावी कारणों की भी जांच कर रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा निरोधात्मक पग उठाएगी ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार का ध्यान 5 मई, 1973 के इंडियन एक्सप्रेस में बम्बई में राशन के चावलों में लौह कण पाय जाने के समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं । खाद्यान्नों में इस प्रकार की मिलावट के समाचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं । अभी हाल ही में स्टट्समैन में मध्य प्रदेश में घटिया किस्म के गेहूं के संबंध में एक समाचार छपा था ।

पहली बात तो यह कि लोगों को अनाज मिलता नहीं और मिलता है तो मिलावटी । प्रश्न ऐसा होने का नहीं है वरन् प्रश्न यह कि ऐसी बात क्यों होनी चाहिये ।

माननीय मंत्री का यह उत्तर पर्याप्त नहीं है कि प्रति किलोग्राम एक या दो लौह कण पाये गये हैं । कृपया यह बताया जाय प्रति बोरी इन कणों का वजन और प्रतिमन क्या है ।

खाद्यान्नों की इस मिलावाट को रोकने के लिय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं । और यदि वास्तव में सरकार इसे समाप्त करना चाहती है तो उसे अपराधियों को कठोर दण्ड देना चाहिय । गाजियाबाद में स्थापत की जा रही खाद्यान्न अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला की स्थापना में अभी कितना समय और लगेगा और क्या राज्य सरकारों को इसका सहयोग मिलेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ज्यों ही हमें बम्बई में राशन में दिये जा रहे चावलों में लौहकण होने के पता चला हमने उनकी सप्लाई बन्द कर दी तथा उसे सरकारी गोदाम में भेज दिया गया है तथा अब इसे सफाई के बाद सप्लाई किया जायगा । इन लौह कणों के पाये जाने के बारे में जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने पर हमें पता चल सकेगा कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है ।

श्री एच० एम० पटेल (धुंधका) : माननीय मंत्री ने केवल मामले में शीघ्र जांच करने की बात कह कर मामले को समाप्त कर दिया है । पर जैसा एक मंत्री ने महाराष्ट्र में बताया कि चावल खुले डिब्बों में आते हैं हो सकता है उसमें लौह कण रहे हों और चावल में मिल गये हों । क्या चावल इसी प्रकार बोरी के बजाय डिब्बों में भर कर भेजा जाता है ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध उचित दर दुकानों की कोई जिम्मेदारी है अथवा नहीं। क्या उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि वे कैसा माल जनता को दे रहे हैं।

ऐसा लगता खाद्य निगम बहुत ही गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रहा है क्योंकि ऐसा मामला यह पहला ही नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य निगम द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जो वह खरीदे वह सभी प्रकार की मिलावट से बरी हो, राज्यों के भेजते समय भी उसमें मिलावट न हो तथा जो आयातित माल उसके पास आता है उसमें भी किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु की मिलावट न हो ? क्या यह सब देखना उसका कर्त्तव्य नहीं है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आयातित खाद्यान्नों की जांच हम अपनी किस्म नियंत्रण पद्धति के द्वारा करते हैं और उसकी शुद्धता निश्चित करना उसका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार खाद्य निगम भी बाजार से खाद्यान्न खरीदते समय इस बात की जांच करता है कि वह किसी भी प्रकार की मिलावट से रहित हो। अत: मैं यह नहीं बता सकता कि चावल में लौह कण कहां और किस प्रकार मिल गये। मामले की जांच की जा रही है और इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है।

श्री पी० एम० सईद (लक्कदीव, मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह) : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि मिलावट लगातार होती आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में खाद्य निगम और वितरण अधिकारियों के सम्बन्ध में खाद्य निगम और महाराष्ट्र सरकार ने कोई संयुक्त जांच कराई और क्या संबंधित अधिकारियों को निलम्बित किया गया ?

चावलों में लौह कणों की मिलावट महाराष्ट्र में ही नहीं वरन् और जगह भी हुई है। ऐसा लगता है यह एक षड्यंत्र है। जांच में अक्सर लम्बा समय लगता है। इस जांच में कितना समय लगगा तथा कब तक इसकी रिपोर्ट मिल जायगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : निलम्बित करने की बात अपराध निश्चित होने पर ही हो सकती है, उससे पहले कैसे हो सकती है ?

Shri G. P. Jadav (Katihar): The hon. Minister for Agriculture has accepted in his statement that incidents of adulteration in food grains did take place in Maharashtra. Civil Suppiy Minister of Maharasntra also admitted this fact.

This adulteration in food grains is not a new thing. It is happening all over the country. It is happening in Bihar, it is nappening in Maharashtra and it is happening in other States also.

I am not against the prosecution of fair price shop dealers, but at the same time I would like to know the action taken against guilty managers and Assistant managers of Food Corporation. Also what action is government taking to prevent this adulteration?

Shri F. A. Ahmed : It is not correct to say that the Officers of Food Corporation are not doing their duty well. Hon. members must know that adulteration in milo was detected by our officers and not by anybody else and we immediately took action. It is now being distributed only after cleaning it properly.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
REG. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमन्, मैं नियम 222 और 223 के अन्तर्गत इस सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न उठाना चाहता हूं। बंगला के समाचार पत्र 'युगान्तर' में एक सम्पादकीय में यह कहा गया है कि "संसद् पर सोवियत सरकार का प्रभाव थोड़ी सीमा तक घटा है"। इसका मतलब

यह हुआ कि यह सभा बड़ी सीमा तक सोवियत सरकार के प्रभाव में है। ऐसा कहना बड़ा ही अपमानजनक और खतरनाक है। मैं इस विषय को आज उठाना चाहता हूं तथा आपसे इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में सभा में कई बार कहा जा चुका है। इसकी अनुमति देने से पहले मैं समाचार पत्र को उनके उत्तर के लिये लिखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर मिलने पर आशा है आप विशेषाधिकार के प्रस्ताव को उठाने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग के प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर की दर के अवधारण के प्रयोजनार्थ कृषि आय को कुल आय में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विधि आयोग के 49 वें प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4996/73।**]

(2) "लोक सेवक" की परिभाषा के अन्तर्गत लोक परीक्षा से सम्बद्ध व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विधि आयोग का 50वां प्रतिवेदन।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी—4997/73।**]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (दुसरा संशोधन) नियम तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटलपर रखता हूं :—

(1) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 398 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4998/73।**]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–4999/73 ।**]

(दो) (क) पाइराइट्स फासफट्स एण्ड केमिकल्स, लिमिटेड के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) पाइराइट्स फासफेट्स एण्ड केमिकल्स, लिमिटेड का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रित और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–5000/73 ।**]

(तीन) (क) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी–पूना के वर्ष 1971–72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी–पूना का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–5001/73 ।**]

आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1971-72 के वार्षिक लेखे और उडीसा राज्य विद्युत बोर्ड के 1973-74 का वित्तीय विवरण

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्न-पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष 1971–72 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज लोक सभा के समक्ष न रखे जाने तथा उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–5002/73 ।**]

(2) (एक) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 3 मार्च, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य विद्युत् बोर्ड के वर्ष 1973–74 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 1972–73 के अनुपूरक वित्तीय विवरण की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज लोक सभा के समक्ष न रखे जाने तथा उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–5003/73 ।**]

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(1) बांदा जिले में विषाक्त भोजन के मामले

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : मैं सदन को नियम 377 के अन्तर्गत विषाक्त भोजन के कारण बांदा जिले में छ : आदमियों के मरने का मामला उठाता हूं।

इसके अतिरिक्त चित्रकूट में गुप्त गोदावरी में भी इसी प्रकार 3 आदमी और भी मरे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में दिए गये अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है और वह लोगों के अमूल्य जीवन को बचाने में असफल रही है।

मैं पुनः मंत्री महोदय का ध्यान उनके द्वारा दिए गये इस आशय के आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे माननीय मंत्री के पास वक्तव्य देने के लिए भेज दूंगा।

(2) वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपकी अनुमति से मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय को उठाना चाहता हूं।

जैसा कि आपको पता है मंत्रि मंण्डलीय सचिव श्री बी० डी० पांडे ने सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से हुई अपनी भेंट में उन्हें इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से बातचीत का जायगी। श्रीमन, इस विषय को वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के समय से उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं अब वित्तमंत्री कहते हैं कि वे मंत्रिमण्डल की ओर से कोई आश्वासन नहीं दे सकते हैं। अतः मैं 34 लाख सरकारी कर्मचारियों की ओर से आपसे इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति देने की अपील करता हूं। हम इस पर इस सत्र में ही चर्चा करना चाहते हैं।

(3) राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति का जारी रहना

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान सरकार द्वारा आपात स्थिति बनाए रखने के कथित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। युद्ध को समाप्त हुए एक वर्ष होने पर भी आपात स्थिति बनाए रखने का क्या कारण है। इंगलैंड में दूसरे महायुद्ध के एक मास बाद आपात स्थिति एक दम समाप्त कर दी गई थी, जिससे की चुनाव आदि स्वतंत्र रूप से हो सके। पर हमारे देश में चुनाव आपात स्थिति में हुए।

इतना ही नहीं आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हजारों लोगों को बन्दी बनाया गया है। यह जनतंत्र का हनन नहीं तो क्या है?

आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आपात स्थिति बनाए रखने के क्या कारण हैं।

(4) नर्मदा जल विवाद पर मध्यस्थ निर्णय में विलम्ब

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व का एक मामला ऊठा रहा हूं।

नमर्दा जल विवाद के बारे में 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक दुःखद समाचार छपा है। प्रधान मंत्री द्वारा नर्मदा जल विवाद के बारे में पन्चाट देने में जो विलम्ब हो रहा है उसमें सरकारी सूत्रों में भी उत्सुकता उत्पन्न हो गई है। लगभग दस महीने पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और

राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने न्यायाधिकरण से इस मामले को वापस ले लिया था और पंच फैसले के लिए प्रधान मंत्री को सौंप दिया था। प्रारम्भ में ऐसा कहा गया था कि प्रधान मंत्री अपना फैसला 15 अगस्त, 1972 तक दे देगी। परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। अब ऐसी शंका उत्पन्न हो गई है कि इस मामले को पुनः न्यायाधिकरण को सौंप दिया जायेगा। इसमें गुजरात के लोगों में असंतोष बढ़ेगा। मैं सिंचाई मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य दें।

(5) इज्जतनगर रेलवे वर्कशॉप में हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार

Shri Sarjoo Pandey (Shasipur) :The Harijan in the Iztnoggar railway factory are being beaten by the caste Hindus. The hon. Railway Minister should pay attention to this matter immediately and put a stop to it.

संविधान (31वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY FIRST AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है। मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर चार बजे देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् इस पर मतदान होगा क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आज तीन संसदीय समितियों के चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 11-30 से 4-30 बजे तक का समय नियत है। अतः विधेयक पर मतदान 4-30 बजे के बाद होना चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक प्रस्ताव किये थे, संविधान के अनुच्छेद 81 के खण्ड (क) में यह व्यवस्था है कि लोक सभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये सदस्य राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने जाने चाहिएं और संघ राज्य क्षेत्रों के 25 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिएं और इनका चुनाव संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार होना चाहिए। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) के अनुसार लोक सभा राज्यों के स्थानों की संख्या 506 हो गई है अर्थात् अनुच्छेद में निर्धारित संख्या से 6 अधिक। परन्तु अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत यह वृद्धि स्वीकार्य है क्योंकि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप स्थानों में वृद्धि की अनुमति है।

संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (2) में यह दिया गया है कि लोक सभा में राज्यों के स्थानों का आंबटन इस प्रकार होना चाहिए जिससे सभी राज्यों में जनसंख्या और स्थानों की संख्या के बीच समान अनुपात हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का आबंटन भी इस प्रकार होना चाहिए जिससे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या तथा स्थानों का अनुपात समान हो। अनुच्छेद 81 के खण्ड (3) में दिया गया है कि जनसंख्या का अर्थ अन्तिम जनगणना में दी गई जनसंख्या से है। अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा के लिए राज्यों के स्थानों तथा राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ऐसा संसद द्वारा कानून के माध्यम से नियत प्राधिकार द्वारा ही किया जा सकता है।

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

अनुच्छेद 82 के अनुमान में संसद ने एक परिसीमन अधिनियम, 1972 बनाया और उसके अनुसार परिसीमन आयोग गठित किया गया। यह आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर रहा है और इस का प्रभाव लोकसभा में राज्यों के स्थानों पर पड़ेगा। अतः इसके लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक समझा गया है।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लोक सभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम न हो विधेयक के खण्ड (2) में अनुच्छेद 81 का संशोधन करने की मांग की गई है ताकि संख्या को 500 से बढ़ाकर 525 किया जा सके। इस अवसर से लाभ उठाकर संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों को 25 से 20 किया जा रहा है क्योंकि इनके सदस्यों की वर्तमान संख्या केवल 16 है। सरकार अनुछेद 81 के खण्ड (2) में यह संशोधन करना आवश्यक समझती है ताकि खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के उपबन्ध को किसी राज्यपर तब तक लागू न किया जा सके जब तक कि इसकी संख्या 60 लाख से अधिक न हो जाये। इससे छोटे राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में है। इस अनुच्छेद के उपबन्धों को नागालैण्ड पर लागू नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर आदिवासी लोग ही रहते हैं। सरकार का यह विचार है कि इस अनुच्छेद के उपबन्धों को मेघालय, अरुणाचल तथा मिजोराम में भी लागू न किया जाये क्योंकि वहां पर भी अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। अतः अनुच्छेद 330 का उपयुक्त संशोधन करने का विचार है। विधेयक के खण्ड 3 और 4 का यही उद्देश्य है।

संविधान के अनुच्छेद 81 का शीघ्र संशोधन करना आवश्यक है ताकि परिसीमन आयोग अपना कार्य आरम्भ कर सके। इस से लोक सभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की वर्तमान संख्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़गा। विधेयक का उद्देश्य सीमित हैं। मेरा अनुरोध है कि सभा इस विधेयक को पास करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : संविधान के अनुच्छेद 81 का यह तीसरा संशोधन है। इससे पूर्व 1950 और 1969 में भी संशोधन किये गये हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक का उद्देश्य सीमित है अर्थात् जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाना। वास्तव में दो बातों पर ज़ोर दिया गया है। एक तो यह कि राज्यों के लोक सभा में प्रतिनिधित्व को कम नहीं किया जायेगा; दूसरे यह कि जब तक किसी राज्य की आबादी 60 लाख से नहीं बढ़ जाती तब तक इस अनुच्छेद के उपबन्ध उसपर लागू नहीं होंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि लोक सभा के सदस्यों की संख्या को 500 से बढ़ा कर 525 करने का जो निर्णय किया गया है वह किस आधार पर किया गया है। क्या इसका जनगणना से कोई सम्बन्ध है ? हम कब तक जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाते रहेंगे ?

[श्री नरेन्द्र कुमार सालवे पीठासीन हुए
Shri N. K. Salve *in the Chair*]

सदन में सदस्यों की संख्या को सीमित रखने के लिए कोई आधार बनाना पड़ेगा। संविधान में अनुच्छेद 81 का समय समय पर संशोधन करने की अपेक्षा नहीं की गई है। परिसीमन आयोग का प्रथम कार्य यह है कि वह निर्णय करे कि लोक सभा में किस राज्य को कितने स्थान आबंटित करने हैं। अधिनियम की धारा 9 में यह कहा गया है कि लोक-सभा में स्थानों के आबंटन के पश्चात् कुछ निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर चुनाव क्षेत्र बनाये जायेंगे। परन्तु यह उपबन्ध छोटे राज्यों, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, पर लागू नहीं होगा। अतः इन राज्यों के लिए कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जायेंगे। उन राज्यों में स्थानों का निर्णय किस आधार पर किया जायेगा। मेरे विचार में कानून में यह त्रुटि है। अतः संविधान संशोधन के साथ साथ परिसीमन अधिनियम में भी संशोधन किया जाना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा देने से ही वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। चुनाव सम्बन्धी सुधारों के प्रश्न की जांच करने के लिए सदन के सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए सुझाव देने को भी कहा गया था। समिति ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाये। सीधे चुनावों के स्थान पर अनुपात के चुनावों की पद्धति अपनाई जाय। केवल सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चुनाव में व्यय आदि के तरीकों में भी सुधार किया जाना चाहिय। गत आम चुनावों में भी इस आशय के गम्भीर आरोप लगाये गये थे। सरकार उन आरोपों पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चुनाव आयोग भी सरकार की सहायता का रहा है।

परिसीमन आयोग ने अपने पिछले प्रतिवेदन में यह कहा था कि उनको अपनी गतिविधियां जारी रखने में बड़ी कठिनाई हो रही है। उनको नक्शे तथा आँकड़े आदि सप्लाई नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आधार पर होगा। वास्तव में सरकार को लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों में कोई विश्वास नहीं है। मेरा अनुरोध है कि कानून में जो त्रुटि है उसे दूर किया जाये और परिसीमन अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाये।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : प्रस्तुत विधेयक में लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस का आधार यह है कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई है।

संविधान बनाते समय यह सिद्धान्त अपनाया गया था कि लगभग दस लाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को कुछ चुनाव क्षेत्रों में बाटां गया था और प्रत्येक राज्य को जनसंख्या तथा स्थानों के अनुपात से स्थान आवंटित किये गये थे। अब जनसंख्या में वृद्धि हो गई है और सदस्यों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया है। परन्तु 545 की सीमा जो निर्धारित की गई है उसका कोई आधार नहीं है। यदि आबादी में वृद्धि के कारण राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार है तब तो इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि सरकार इसी आधार पर लोक सभा के स्थानों में वृद्धि करना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम विधान सभाओं के बारे में सोचना होगा। हमारे देश में संघीय स्वरूप की शासन व्यवस्था है। अतः केवल इसी आधार पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। पहले विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। एक सदस्य दस लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय 12 अथवा 13 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 82 में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की शक्ति नहीं दी गई है। परिसीमन आयोग को भी यह शक्ति प्राप्त नहीं है। विधान सभा तथा संसद के सदस्यों की संख्या संविधान में निर्धारित की गई है। यदि सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना ही चाहती है तो वह विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दे। लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से यहां पर उनको बढाने की समस्या भी उत्पन्न होगी। अतिरिक्त व्यय भी होगा। नई इमारत बनाने आदि की बातें होंगी। दूसरे इसका अर्थ यह है कि दस वर्ष बाद पुनः सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात होगी।

कुछ समय पूर्व चुनाव आयोग ने उड़ीसा को लोक सभा में एक अन्य स्थान देने का प्रस्ताव किया था। यदि आबादी में 40 लाख की वृद्धि होगी तो इस का अर्थ यह है कि उन राज्य को लोक सभा में चार स्थान और मिलेंगे। अतः मनमाने ढंग से एक स्थान निर्धारित करने का मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि उनको लोक सभा में एक स्थान देने के बजाय विधान सभा में जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात से सदस्यों की संख्या बढ़ाने दी जाये।

इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करने का मैं कोई कारण नहीं देखता। संघराज्य क्षेत्रों के स्थानों को कम नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक के पुनःस्थापित किये जाने से पूर्व प्रधान मंत्री ने विरोधी दलों के सदस्यों से बातचीत की थी परन्तु उसमें सर्वसम्मति में कोई बात निश्चित नहीं हुई थी। परन्तु यह सभा ने महसूस किया था कि चुनाव में व्यय के बोजा को कम किया जाना चाहिए। लगभग प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या सात से साढ़े सात लाख है। अतः उम्मीदवार के लिए बिना भारी व्यय किये प्रत्येक मतदाता से सम्पर्क स्थापित करना बहुत कठिन है। वह जनगणना के अनुसार लगभग प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में दस लाख अथवा इसमें अधिक मतदाता होंगे। क्या कोई सदस्य इतनी संख्या में मतदाताओं से सम्पर्क कर सकेगा तथा 35,000 व्यय की जो सीमा रखी गई है उसमें व्यय कर सकेगा ?

चुनाव आयुक्त द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उसमें राज्य सभा के सदस्य भी शामिल किये गये थे। उसमें चुनावों पर होने वाले व्यय को कम करने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार किया जाना था। उस समिति ने सर्वसम्मतिसे कुछ सिफारिशें की थीं। चुनाव व्यय को कम करने के लिए अनेक सुझाव भी दिये गये थे। परन्तु उस प्रतिवेदन को अभी तक सभा पलट पर नहीं रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन का क्या बना। हमें बताया गया था कि अधिसूचनाएं तथा आदेश जारी किये जायेंगे और सई प्रकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा। परन्तु अभी तक कोई भी सिफारिश क्रियान्वित नहीं की गई है।

चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का कार्य आरम्भ हो चुका है। इसका प्रभाव स्वयं मुझे पर पड़ा है। एक ऐसे क्षेत्र को जिसमें तीन आयुध कारखाने, तीन सिनेमाघर हैं उसको ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र को मेरे चुनावक्षेत्र से निकाल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आयोग के सदस्य स्वयं वहां आकर इस बात को देखें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of order. I raised some objections when this Bill was introduced. I was told that I should speak when the Bill would be moved for consideration and that the hon. Minister would reply to my points. But at present, no Minister of the Cabinet rank is present here. Who will reply to our points? The hon. Law Minster is not here.

श्री के० रघुरामैया : विधि मंत्री अचानक बीमार पड़ गये हैं। श्री नीतिराज सिंह चौधरी उठाई गई बातों का उत्तर देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : परिसीमन आयोग को विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् कोई निर्णय लेना चाहिए था। यदि इस ढंग से चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है जैसा कि मेरे चुनाव क्षेत्र का किया गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। किसी व्यक्ति विशेष अथवा सत्तारुढ़ दल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

श्रीमान लोक सभा सदस्यों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ राव ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। पहली आपत्ति यह की गई थी कि सदस्य संख्या बढ़ाई क्यों जा रही है। यह बताया गया कि लोक सभा की सदस्य संख्या 525 तक बढ़ाना अनिवार्य है। इतने सदस्यों के बैठने का प्रबन्ध कैसे किया जायेगा ? क्या लोक सभा के लिए अलग से भवन बनाया जायेगा या उसमें दो पारियां लगाई जायेंगी। यह भी बताया गया है कि 'हाउस आफ कामन्स' में सीटों की अपेक्षा सदस्यों की संख्या अधिक है और वहां यह अनिवार्य नहीं है कि सभी सदस्य सभा में उप स्थित हों। किन्तु हमारे यहां मतदान की स्वचालित प्रणाली है और हममें से प्रत्येक को मतदान के समय सभा में उपस्थित होना चाहिये।

परिसीमन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति से पूर्व निर्वाचन आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशों का अध्ययन किया जाना चाहिए। साथ ही मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि संघ राज्य क्षेत्रों के संसद

सदस्यों की संख्या घटाई जाये। मैं चाहता हूं कि संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाये। इसमें श्रमिक वर्ग और किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : श्रीमान् इस विधेयक में लोक सभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाने, संघ राज्य क्षेत्रों के संसद सदस्यों की संख्या घटाने और अपेक्षाकृत छोटे राज्यों की सदस्य संख्या जो कि त्यों रखने का उपबन्ध है। इस सिद्धान्त पर लोक सभा की सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही है कि जनसंख्या बढ़ गई है। क्या प्रत्येक मतगणना के बाद सदस्य संख्या बढ़ाई जायेगी ? क्या इस रूप में उन राज्यों को पुरस्कृत किया जा रहा है जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम ठीक से लागू नहीं किया है। मेरी राय है कि प्रत्येक राज्य के लिए संसद सदस्यों स्थायी रूप से निश्चित कर दी जायें। संसद में या विधान मंडलों में सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार बढ़ाई या घटाई नहीं जानी चाहिए। अन्यथा सन 2000 के पश्चात् लोक सभा में सदस्यों की संख्या 700 या 800 तक बढ़ानी पड़गी और इसके लिए एक अलग भवन बनाना पड़ेगा। अत: विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए जनसंख्या को आधार नहीं बनाना चाहिए। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि उन्हें पूरे राज्य का दर्जा दिया जाय और उनका वर्तमान दर्जा समाप्त किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : Mr. Chairman, Sir this 31st Constitution (Amendment) Bill was brought with the object of increasing the strength of Lok Sabha to 525. The criteria of increase in the population is not the rationalised base for having increase in Lok Sabha strength. If this criteria is accepted, then the family programme will suffer and States will prefer to have increase in their population. I want that this increase to the Seats in Lok Sabha must be the final increase. This increased number i.e. 525 must be the maximum number of seats in Lok Sabha. There must not be further increase in it.

As regards the reorganisation of States or the formation of new States, I could not follow the grounds, the principles or the reasons on the basis of which it is being done. I would like to know the criteria adopted for forming new States of Himachal Pradesh, Manipur and Tripura. New States have been brought into existence in the eastern region. But statehood is not being granted to Delhi, through a persistent demand is being made for it. What is the reason for it. In my opinion Delhi should be allotted 8 seats in Lok Sabha is place of 7 seats at present.

It was demanded through a private Member's Bill that the Harijans and Tribals should be given representation in proportion to their population but this demand was not accepted. It should have been accepted. Instead of increasing the number of seats in Lok Sabha Government should provide such facilities to M.P.s as will help them in establishing direct contacts with the people to their constituencies. M.Ps should be given jeeps for the purpose, with these words I support the Bill.

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : Sir, this Bill has been brought to increase the strength of Lok Sabha from 500 to 525 and the reason for it has been given as the increase in population. Once the criteria of increase in population is accepted for the increase in the seats of Lok Sabha, there will be no end to it. So I suggest that the ceiling of 525 should be fixed for Lok Sabha. In the same way ceiling should be fixed in respect of State Assemblies.

Article 331 provides for the nomination of representatives of particular community. In my opinion this provision should be amended and this practice should be scrapped. In Lok Sabha all Members should be elected and not nominated. In the end, I again lay stress on my suggestion that 525 should be fixed ceiling for Lok Sabha for ever.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूँ। यह विधेयक किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है और यह विरोधी दलों के नेताओं की राय के प्रतिकूल है। अधिकांश ने यह राय व्यक्त की थी कि सदस्य संख्या न बढ़ाई जाये। हमारे संविधान निर्माताओं सोच समझकर ही

[श्री समर गुह]

लोक-सभा की सदस्य संख्या 500 रखी थी। यदि जनसंख्या वृद्धि को इसके लिए आधार माना गया तो 30-40 वर्ष बाद यह इतनी बड़ी हो जायेगी कि उसका काम करना ही मुश्किल हो जायगा। क्या प्रत्येक पांच साल के बाद सदस्य संख्या बढ़ाई जायगी ? इसी कठिनाई को ध्यान में रखकर इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 500 रखी गई थी। इसकी संख्या को बिना सिद्धान्त के मन चाहे ढंग से 525 तक बढ़ा देना उचित नहीं है।

जहां तक नये राज्यों को लोक सभा में स्थान देने का सम्बन्ध है, राज्यों के लिए निर्धारित सदस्य संख्या में तर्कसंगत घट-बढ करने से इस समस्या का हल निकल आयेगा। यदि 10 लाख मतदाताओं को एक सदस्य के लिए आधार माना जाय तो जम्मू और कश्मीर के लिए 6 स्थान के स्थान पर 4, हिमाचल प्रदेश के लिए 4 स्थान के स्थान पर 3, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए दो स्थानों के स्थान पर एक-एक स्थान और दिल्ली के लिए 7 स्थानों के स्थान पर 4 पर्याप्त होंगे। इस प्रकार राज्यों में लोक सभा की सीटों के उचित वितरण से कुछ सीटें फालतू बचेंगी और उन्हें नये राज्यों के लिए आबंटित किया जा सकता है। इस विधेयक में मुझे यह षड़यंत्र नजर आता है कि कांग्रेस सरकार निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार से पुनर्गठित करना चाहती है कि उसमें विरोधी दल समाप्त हो जायें और राष्ट्रीय मंच पर उनका कोई महत्व न रहे। अतः मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं चूंकि यह सिद्धान्तहीन, अतर्कपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और षडयंत्रपूर्ण है।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लोक सभा की सदस्य संख्या और जनसंख्या में वही अनुपात बना रहना चाहिए। जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। अनुच्छेद 332 के संशोधन द्वारा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी है। यह उचित है। किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि 'मिकिर हिल्स' और 'नार्थ कचार हिल्स' दो स्वशासित जिलों का इसमें उल्लेख क्यों नहीं किया गया। यहां की अनुसूचित जनजातियों की उपेक्षा क्यों की गई। उन्हें संवैधानिक अधिकार से वंचित क्यों किया गया। इन लोगों के लिए सुरक्षित स्थान समाप्त क्यों किया गया ? यह उनके साथ अन्याय है। वे लोग दुखी होकर एक पृथक राज्य की मांग कर सकते हैं। कुछ प्रतिक्रियावादी लोग इसके लिए उन्हें पहले ही भड़का रहे हैं।

अनुच्छेद 330 (1) में केवल उपखण्ड (ख) का ही संशोधन किया जा रहा है। यदि उप खण्ड (ग) को अपनी पूर्व स्थिति में ही रखा जाए जो उत्तर कच्छार और मिकिर पहाड़ियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उप खण्ड (ग) में "आसाम" के स्थान पर मिकिर की पहाड़ियां और आसाम के उत्तर-कच्छार की पहाड़ियां होनी चाहिएं। यहां के लिए एक आरक्षित स्थान भी होना चाहिये।

परिसीमन आयोग के अनुसार आसाम को 14 स्थान दिए गए हैं। एक अनुच्छेद में एक आरक्षित स्थान का भी प्रावधान किया गया है। यह स्थान आसाम को दिया जाना चाहिए, क्योंकि आसाम एक समस्या प्रधान राज्य है। इसलिए इसके एक स्थान को जनजातियों के लिए आरक्षित कर इसके स्थानों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दो जिलों के लिए, जिनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है एक स्थान को आरक्षित कर के आसाम के स्थानों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए। जहां तक अखिल भारतीय आधार पर स्थानों की संख्या बढ़ाने का सम्बन्ध है, जनजातियों के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उनके लिए स्थानों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जनजातियों के लोगों को संविधान के अन्तर्गत न्याय नहीं मिल रहा है। क्षेत्रों के अनुसूचीकरण और सीमांकन के आधार पर इनके साथ न्याय नहीं किया गया है। अनुसूचीकरण के आधार पर जनजातियों के 68 लाख व्यक्ति हैं, किन्तु गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के आध लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यही स्थिति बिहार और उड़ीसा में भी है। संविधान की पांचवी अनुसूची आसाम के लिए लागू नहीं होती जबकि छठी अनुसूची केवल आसाम के मामले में ही

लागू होती है। इसलिए गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लोगों का सब सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अतः विधि मंत्री यह सुनिश्चित करें कि जहां जनजाति के व्यक्ति बहुत अधिक संख्या में रहते हो वहां उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया जाए। इस सबंन्ध में क्षेत्र सम्बन्धी बाधा को दूर किया जाना चाहिए। और स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए जिससे कि जनजातियों के लोगों को भी वे सभी सुविधाएं मिलें जो अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध होती हैं। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित क्षेत्र के बाहर लोगों के साथ न्याय किया जाए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I request the hon. Minister to withdraw this Bill as this appears to be devoid of all principles. In the Statement of objects and reasons of this Bill it has not been mentioned as to why the total strength of Lok Sabha is being increased. Lok Sabha is the *Panchayat* of the Nation, therefore the representation in Lok Sabha should be on the basis of equality. The existing provision of representation is in violation of Articles 14 and 81 of the Constitution so far as the number of voters in different constituencies in the bigger States are concerned there is great difference. Some of the Constituencies have about 3 lakhs voters whereas in the other constituencies the total number of voters go as high as 7 lakh. So far as smaller States and Union Territories are concerned there should be uniform minimum representation in Lok Sabha. At least one representative of such smaller states and Union Territories should be in Lok Sabha.

In the lower house or Lok Sabha the representatives are directly elected by the people whereas in the upper house or Rajya Sabha representatives are elected by the States and the Union Territories. But in Rajya Sabha representatives are elected on the basis of population, there the representation of bigger states like Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra and Andhra Pradesh is larger. This should not be so. I therefore, suggest that the representation in Lok Sabha should be equal and the Smaller States and Union Territories should be given minimum representation and the representation in Rajya Sabha of bigger States should be reduced and that of Smaller States and Union Territories should be increased to a larger extent.

Another point which I want to put forward is that elections of the members for Rajya Sabha should be direct so that Rajya Sabha may be able to represent the public and the States than the present practice of indirect election. Now because of the indirect elections to Rajya Sabha the members of Rajya Sabha are not directly responsible to the people. Apart from this tickets for Rajya Sabha are being given on the basis of distribution of patronage. So there should be equal representation of all the States and Union Territories in the Rajya Sabha and they shoid be directly elected by the people, not by the members of State Assemblies, so that they may represent the people and the States properly. Government should bring forward a Comprehensive Bill for the reconstitution of Rajya Sabha and Lok Sabha with a view to providing for equitable representation in Lok Sabha and larger representation to smaller States and Union Territories in Rajya Sabha.

I have one suggestion for the Government and the hon. Minister that an Assistant or a Stenographer and office accommodation should be provided to the members of Lok Sabha so that they may serve the people more efficiently and discharge their duties more effectively.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में स्थानों की संख्या में वृद्धि करने का है। इस विधेयक से संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या में और कमी हो जायेगी। इससे बड़े राज्यों और छोटे राज्यों में भेदभाव होने की भ्रान्ति उत्पन्न होती है। इस विधेयक में यह एक नई संकल्पना पैदा की गई है जो अच्छी नहीं है।

"संघ राज्य क्षेत्र" उचित शब्द नहीं है। अतः जब तक कोई बाध्यता या अनिवार्यता नहीं, तब तक इन्हें या तो अलग राज्यों का दर्जा दिया जाए और या इन्हें पड़ोसी राज्यों में मिला दिया जाए। लोक सभा

[श्री विश्वनारायण शास्त्री]

में मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए क्योंकि ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं और ये किसी के जिम्मेदार नहीं होते हैं। अत: मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को समुचित रूप से संशोधित किया जाए जिससे कि मनोनीत सदस्यों का उपबन्ध सदा के लिए समाप्त हो जाए।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या में जनसंख्या की वृद्धि के साथ वृद्धि की जानी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो आगामी समय में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 600 तक पहुंच 'सकती है और 545 तक भी सीमित रह सकती है।

आसाम के सम्बन्ध में इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि आसाम की जनजाति क्षेत्रों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। किन्तु राज्य मंत्री महोदय के नाम में प्रचालित संशोधन से पता लगता है कि वे आरक्षण करना चाहते हैं। आसाम से 6 स्वायत्त शासी जिले थे, इनमें से 2 अभी तक जिले हैं। अत: इन जिलों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। मेघालय और मीजोरम की स्थापना के बाद एक विशेष उपबन्ध के अन्तर्गत इन ही जिलों एक सदस्य निर्वाचित होता है, किन्तु इस संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् यदि इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं रहा तो वहां के लोगों में असन्तोष फैल जायगा। अत: आशा है कि इस संशोधन से उन्हें संरक्षण मिलेगा।

जहां तक विभिन्न राज्यों से लोक सभा में प्रतिनिधियों की संख्या का सम्बन्ध है, जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का अनुपात समान रहना चाहिए। किन्तु छोटे और पिछड़े राज्यों, जिनकी जनसंख्या कम है, के बारे में भी कुछ विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वहां से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या एक या दो ही रह जायगी। अत: यह एक समान स्तर संघराज्य क्षेत्रों पर भी लागू नहीं किया जाना चाहिये।

विभिन्न राज्यों को स्थानों के नियतन की शर्त का इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। यह काय परिसीमन आयोग को सौंपे जाने के कारण सम्भवत: इस की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसा उल्लेख किया गया है कि स्थानों के प्रयोगात्मक वितरण के अनुसार एक स्थान अतिरिक्त छोड़ दिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि यह अतिरिक्त स्थान आसाम राज्य को दिया जाना चाहिए। अत: यह बात इस सुझाव के अनुकूल रह जायगी कि कम संख्या वाले स्वायत्तशाली जिलों को एक स्थान दिया जाना चाहिए। संसद सदस्यों को और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह विधेयक सिद्धान्त हीन लगता है। ऐसा लगता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के आकार को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विधेयक में यह आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संविधान म कोई संशोधन नहीं किया जायेगा। वास्तव में चुनाव पहले ही धन-शक्ति के मामले बन चुके हैं। और जिस दर से चुनाव में होने वाला व्यय बढ़ रहा है उससे ऐसा लगता है कि यह एक काले धन का लोकतंत्र बन गया है। इस पर कुछ रोक लगानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है और इसका उद्देश्य कुछ राज्यों की जनसंख्या के नये आंकड़ों के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना है। किन्तु विपरीत प्रभाव का परिमाण नहीं बताया है। इसके साथ साथ यह भी नहीं बताया गया है कि बढ़ाए गए स्थानों को विभिन्न राज्यों में किस तरह वितरित किया जायेगा। यदि इस कार्य को परिसीमन आयोग पर पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए तो संसद का इस में कोई श्रेय नहीं होगा। अत: संसद को चाहिए कि वह बढ़ाये गए स्थानों के वितरण के मामले में परिसीमन आयोग को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बताए। यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने सारे देश भर में यथा सम्भव समान प्रतिनिधित्व के आधार पर भी कोई विचार किया है अथवा नहीं।

कुछ बातें तो निश्चित रूप से अनुचित और असमान हैं। जैसे हरियाणा और दिल्ली/हरियाणा की जनसंख्या दिल्ली से दुगुनी होते हुए भी हरियाणा के केवल 4 स्थान है जब कि दिल्ली के 7 स्थान हैं। दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के मत का भिन्न मूल्य है। उत्तर प्रदेश के विधा

क के मत का मूल्य बिहार या हरियाणा के विधायक के मत के मूल्य से भिन्न है। किन्तु उपराष्ट्रपति के नाव में संसद क प्रत्यक सदस्य के मत का समान मूल्य है। अतः यह असमानता प्रतिनिधित्व के आधार र नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में यह असमानता दूर की जानी चाहिए। विधान दि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य भिन्न है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यह असमानता रहनी चाहिए और इसी प्रकार संसद सदस्यों के मत का मूल्य समान नहीं होना चाहिए। इन के मत का मूल्य इनके प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक सदस्य को परिणात्मक ढंग से अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है और दूसरी ओर एक अन्य को दूसरे की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। अतः प्रतिनिधित्व के आधार पर इस प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहिए और सरकार को इस मामले मे और अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : यह उपयुक्त समय है जब कि हमें लोक सभा और राज्य सभा की सम्पूर्ण स्थिति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। तदर्थ रूप से प्रबन्ध करने के बजाए भविष्य के लिए हमें अधिक विस्तार से प्रबन्ध करना चाहिए। मैं श्री मधु लिमये की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण, इसमें सब राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस मामले पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक इन तर्कों का सम्बन्ध है कि छोटे राज्यों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस मामले को कड़ाई से नहीं लेना चाहिए। छोटे राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूल समस्याएं निहित है जिनके बारे में अन्य कई सदस्यों को सही जानकारी नहीं है। नागालैण्ड और मीजोराम और अरुणाचल जैसे प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति बहुत जटिल है। वहां संचार तथा सांस्कृतिक कठिनाइयां हैं। अतः यह आशा करना उचित नहीं है कि किसी एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का केवल एक मात्र प्रतिनिधि सभी मामलों में प्रभावी रूप से योगदान कर सकेगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि छोटे राज्यों को न्यूनतम प्रतिनिधित्व मिले। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि राज्य सभा का चुनाव प्रत्यक्ष आधार पर होना चाहिए। इसका तात्पर्य इस सभा को दोहराना मात्र होगा। राज्य सभा के लिए सदस्यों का चुनाव राज्यों को ही करना चाहिए।

इस विधेयक का अनुच्छेद 3(1) स्पष्ट नहीं है। मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। जब कि अनुच्छेद 330(1)(ख) में यह स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जायेगा तो वहां अनुच्छेद 330(1)(ग) में उल्लेख किया गया है कि आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। आसाम के 'स्वायत्तशासी जिलों' और 'आसाम के आदिवासी क्षेत्र' एक ही बात है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन के पश्चात् आसाम में स्वायत्त शासी जिले हीं आसाम में आदिवासी क्षेत्र हैं। अतः इस अनुच्छेद में ही अन्तर्विरोध है जिसको मैं स्वयं ही नहीं समझ पाया हूं। यह बात इस विधेयक में कही गई है क्योंकि विधेयक के अनुच्छेद 3(1) में यह उल्लेखित है कि आसाम के आदिवासी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अतः इस अन्तर्विरोध का समाधान किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने इस संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरे को इस संविधान के प्रारुपण में विलक्षण बात नजर आती है। मूल अनुच्छेद में आपने आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की है जबकि परन्तुक खंड में आप आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तरी काचर और मिहिर पहाड़ियों के लोग अनुसूचित आदिम जाति के हैं ये जिले स्वशासी जीले हैं। आप स्वशासी जिलों के लिए उत्तरआरक्षण की व्यवस्था करने के बजाए परन्तुक खंड में आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ जिसमें उत्तर काछर और मिहिर पहाड़ियों के लिए एक स्थान की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में कहा गया है कि मघालय, नागालैंड, मिजोराम जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि यहां अनुसूचित जनजाति के सदस्य काफी संख्या में रहते है

[श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी]

परन्तु उत्तर काछ्र और मिहिर पहाड़ियों के साथ ऐसी बात नहीं है जो कि आसाम में एकमात्र स्वशासी जिले हैं, वहाँ अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि उनसे उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। अतएव यदि उनके लिए स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया तो वहाँ की जनता में असंतोष फैल सकता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आसाम को जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, उसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। लोकसभा में आसाम का प्रतिनिधित्व कोई प्रभावी नहीं है। अतएव उत्तरी काछ्र और मिहिर पहाड़ियों को प्रतिनिधित्व देते समय आसम को इस समय प्रदत्त प्रतिनिधित्व को समाप्त नहीं करना चाहिए। उत्तरी काछ्र और मिहिर पहाड़ियों को एक स्थान अवश्य मिलना चाहिए। यदि उनको प्रदत्त प्रतिनिधित्व समाप्त किया जाता है तो इसके समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेषकर आसाम में असंतोष फल जायेगा। संशोधन इस संबंध में स्पष्ट नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे तथा यह आश्वासन देंगे कि आसाम के लिए निर्धारित स्थानों को कम नहीं किया जायेगा तथा उत्तरी काछ्र और मिज़ो पहाड़ियों को एक और अतिरिक्त स्थान दिया जायेगा, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा विश्वास है कि मूल रूप से लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कजगम तथा अन्य कई सदस्यों का विश्वास है कि ऐसा करना परिवार नियोजन के विरुद्ध होगा। मेरे विचार में यह बात गलत है और मैं समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को महत्व देता हूं।

हमें निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए जिससे इसका आकार सब जगह थोड़ा बहुत इस प्रकार से हो जिससे सभी राज्यों को समान रूप से लाभ तथा हानि हो।

कई छोटे राज्यों में, जहां जनसंख्या 60 लाख से कम है, कुछ विशष व्यवस्था की गई है। मेरे विचार में कम जनसंख्या वाले राज्यों को लोकसभा में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि उनको यहां किस प्रकार अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

हमें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े राज्यों को अन्य विकसित राज्यों के स्तर पर लाना चाहिए। एक तरीका यह भी है कि उनको अस्थायी तौर पर यहां अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाये। ऐसा करने से सरकार उनके विचारों से अच्छी तरह से अवगत हो सकेगी।

इस विधेयक को लाने का कोई विशेष प्रयोजन दिखता है। इसमें अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी नहीं बरती गई है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय संशोधन द्वारा इसकी त्रुटियों को दूर करेंगे, मेरा अपना यह दृढ़ विश्वास है कि लोक सभा में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : अनेक सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि हम प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा की सीटें बढ़ाते जायेंगे तो इसका अन्त कहाँ होगा। उनकी यह आशंका निराधार है क्योंकि तीसरी जनगणना होने के बाद यह पहला अवसर है जब कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोकसभा की सीटों की संख्या को परिवार नियोजन के साथ जोड़ना उचित नहीं है। अनेक सदस्यों ने कहा है कि इन सीटों की संख्या अंतिम रूप से बढ़ाई जानी चाहिए और उसके बाद इस प्रश्न को न उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न को अंतिम रूप देना सही कदम नहीं होगा। मैं श्री मधु लिमये के इस कथन से सहमत हूं कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होनी चाहिए। लोकसभा भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है न कि राज्यों का। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य सभा करती है। जहां तक इस सभा का प्रश्न है, इसकी सीटों की संख्या का आधार जनसंख्या होनी चाहिए। मैं श्री समर गुह के इस कथन से सहमत हूं कि केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली से 7 सदस्यों को लोक सभा भजने का कोई औचित्य नहीं है।

जनसंख्या के समान भौगोलिक तत्व का भी महत्व होता है। यदि 10 लाख व्यक्तियों का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र इतना बड़ा हो जाएगा कि वहां से चुनाव लड़ना कठिन हो जाएगा, पश्चिम राजस्थान में वर्ष के तीन महीने आवागमन के लिए बड़ी कठिनाई उपस्थित करता है। इन दिनों वहां का तापक्रम 48 डिग्री रहता है। इसके अतिरिक्त वहां टेलीफोन, डाक घर, सड़के आदि की समुचित व्यवस्था न होने से किसी भी सदस्य के लिए अपने क्षेत्र की ओर ध्यान देना कठिन हो जाता है। अतएव मेरा अनुरोध है कि जनसंख्या के साथ-साथ भौगोलिक तत्व को भी लोकसभा की सीटें निर्धारित करने का आधार बनाया जाना चाहिए। यह सच है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र बहुत छोटा हो तो चुनाव के दौरान छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण बन जाती है और राष्ट्रीय हित की बातें गौण बन जाती है, इसी प्रकार बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होने से जनसंख्या का एक बड़ा भाग मतदान से वंचित हो जाता है। अतएव एक संतुलित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाना हितकर होगा। उसी प्रकार जनसंख्या और क्षेत्र के बीच भी संतुलन लाया जाना चाहिए। ऐसा करने से संसद सदस्य अपने मतदाताओं के प्रति न्याय कर सकेंगे।

श्री वसंत साठे (अकोला) : यह एक स्पष्ट विधेयक है। माननीय सदस्यों को इसके प्रति आशंका नहीं रखनी चाहिए। उनका विचार है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात सीटों की संख्या बढ़ाई जायेगी यह भय निराधार है। इस समय जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं वे कोई अधिक नहीं हैं।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परिसीमन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन किया जाना है और यह सबके लिए लाभकारी है। यह विरोध प्रकट किया गया है कि इस संशोधन का कोई सिद्धान्त नहीं है। वस्तुत: ऐसी बात नहीं है तथा सिद्धान्त में मूलभूत रूप से कोई अन्तर नहीं आया है। माननीय सदस्य ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि एक राज्य सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के आधार पर सीधे चुन कर आये प्रतिनिधि हों, मेरे विचार में इसका आधार राज्य होना चाहिये क्योंकि लोक सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। हम यहां जनता द्वारा चुन कर आते हैं जब कि वे राज्यों द्वारा चुनकर राज्य सभा में जाते है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र ने यह आलोचना की है कि आम चुनाव में काफी धन लगाना पड़ता है। इन सब के लिए आज का पूंजीपति वर्ग जिम्मेदार है जो देश में समाजवाद लाने में बाधक बन रहा है। श्री पीलू मोदी ने कहा है कि वे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के सिद्धान्त के समर्थक हैं। उन्होंने यह भी आशंका प्रकट की है कि इस विधेयक को लाने का कोई प्रयोजन है। यह विधेयक वस्तुत: परिसीमन अधिनियम, जो वर्ष 1972 में पारित किया गया था, के अनुसार सीटों की संख्या समायोजन करने के बारे में है।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। आपका संशोधन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आप उसका अध्ययन कीजिए ताकि यह संशोधन संविधान के अनुरूप हो। यदि आप इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसको ईमानदारी के साथ कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों का यह विचार है कि जब तक यह निर्धारित नहीं किया जाता है कि इस सभा में सदस्यो की संख्या कितनी अधिक हो सकती है तथा निर्वाचन क्षेत्र के आकार का सिद्धान्त क्या हो सकता है, अनुच्छेद 81 को कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। वे अपना तर्क इस आधार पर दे रहे हैं। परन्तु इन बातों का विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं है जो कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाला विवरण से स्पष्ट है। विधेयक का उद्देश्य जनसंख्या के आधार सभा में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाना है। यदि ऐसी बात होती तो बहुत पहले यह संशोधन आ चुका होता। इसके विपरीत विधेयक का उद्देश्य उन लोगों के साथ न्याय करना है जो परिसीमन से प्रभावित हुए हैं।

10—12 L. S. S./73

[श्री सी० एम० स्टीफन]

हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मनीपुर, मेघालय, जम्मू और काश्मीर और नागालैंड जैसे छोटे राज्यों के लिए 17 स्थान हैं। बड़े राज्यों के पास 498 स्थान है। यदि परिसीमन किया जाता है तो किसी भी राज्य को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है तथा उनके सदस्यों की संख्या में कमी की गई है। यदि उनके सदस्यों की संख्या में कमी की जाती है तो उससे उनमें असंतोष फैलेगा इसलिए इस संशोधन की नितांत आवश्यकता है। परिसीमन के परिणामस्वरूप किसी भी राज्य के सदस्यों की संख्या लोक सभा में कम नहीं की जानी चाहिए यदि किसी राज्य की जनसंख्या में अन्य राज्यों की तुलना में वृद्धि नहीं होती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इस सभा में उनके सदस्यों की संख्या कम कर दी जाये। कम से कम इन राज्यों के सदस्यों की संख्या को बरकदार रखा जाए। प्रश्न यह है कि क्या जनसंख्या में वृद्धि के साथ इस सभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए अथवा नहीं। इसका उत्तर नहीं में होगा।

सिद्धान्त यह है कि यथासम्भव इस सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि न की जाए। यदि वृद्धि करनी ही पड़े तो यह इस प्रकार से की जाए जिससे सदस्यों की वर्तमान संख्या उतनी ही रहे। इस दृष्टि से यह संशोधन लाना अनिवार्य हो गया है। इसको देखते हुए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Sir, I support the Constitution (31st Amendment Bill brought forward by the Government. Increase in population should not the sole criterian for increasing the number of Lok Sabha Seats.

Instead of limiting our scope to such an increase, I would have wellcomed the opportunity to discuss the entire election procedure, Membership, their conduct, expenditure involved etc.

It is first time after the last election that Members have made their presence felt and the electorate have also recognised their contribution towards formulation of National Policy. This is largely due to the Prime Minister's role in preparing a succinctly worded manifesto.

Now that the electorate have done their duty. The elected representatives have to ensure that the election promises are fulfilled.

Much has been said about increasing the facilities for M.P.s. I do not want their emoluments to be raised but certain facilities, like clerical assistance, postage etc. must be considered for them and when in most of the constituencies the means of transportation are entirely inadequate allotment of jeeps is most desirable, so that Members may be able to visit their constituencies more frequently to keep themselves in touch with voters and render a helping hand in times of need.

Regarding Election expenses, I may point out that most of the Members have to spend as much as two lakh rupees but in the prescribed form they have to conceal the fact because of the ceiling of Rs. 25,000. They show the excess expenditure as having been incurred by their party, friend etc.

I feel that elections should be made less expensive (*Interruptions*) and for that Government should do something to make the procedure simple.

With these words I support this Bill and reiterate may demand for increasing the facilities to Members and I would request Government to set healthy precedents by making the election less costly.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The argument that the seating capacity is limited, therefore the number of Seats in Lok Sabha should not be increased is very flimsy and therefoe can not be accepted. The mother of Parliament *viz.*, the House of Commons also does not have seats for all Members and still they are more in Number than in India.

It would have been better if a more comprehensive Bill would have been brought, because it is the first time that the number of seats are being increased by a mere 25 whereas the population, has increased by as much as 22.5 crores.

I am not in favour of increased facilities for Members. Let them be the same as are available to their electorate, but I feel that the procedure adopted for delimitation of Constituencies should be more foolproof. So that some states do not try to swell in order to be able to send more members to Lok Sabha as has been the case in certain States and Union Territories.

I agree with the hon. Minister that States should have adequate representation in the Upper House.

The Election Commission considers 3-4 factors while delimiting constituencies and generally they do so without conducting on the spot study of the topography of the area with the result that most of them particularly in far-flung areas are inaccessible. Their geographical viability must be kept in view.

I do not agree with the plea that their number cannot increased but when Constitution itself has been and can be amended why their number cannot be increased?

With these words I support this Bill.

श्री पी० एम० सईद (लक्कदीब, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह) : जब परिसीमन समिति ने कोयम्बतूर का दौरा किया था तो लक्कदीव के नेता उससे मिले थे तथा उन्होंने समिति के समक्ष अपनी विशिष्ठ समस्याएं रखी थीं तथा इस प्रकार लखदीव लोकसभा का एक स्वतन्त्र निर्वाचन क्षेत्र बन गया।

श्री पीलू मोदी कह रहे थे कि सरकार इस विधेयक को किन्हीं विशेष उद्देश्यों से लाई है। किन्तु जब मैंने ऊनसे पूछा कि वह क्या उद्देश्य थे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था।

इस विधेयक पर चर्चा करने से पूर्व यह बात स्पष्ट रूप से समज ली जानी चाहिये कि मिजोरम, नेफा, अंदमान, लक्कदीव और चन्दीगढ आदि क्षेत्रों का सागरिक दृष्टी से बहुत महत्व है। अतः इनकी ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है तथा उन्हे विशेष दर्जा दिया ही जाना चाहिये।

लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारणा करने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि केवल जनसंख्या को ही इसकी कसौटी नहीं माना जाना चाहिये वरन् क्षेत्रफल को भी कसौटी माना जाना चाहिये। द्वीपसमूह की भूमि के साथ साथ पुरे समुद्रतट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने इस क्षेत्र का दौरा किया है तथा उन्हें वहां की कठिनाइयों का पता होना चाहिये। वर्षा काल में वहां की जनता को महीनों तक एक ही द्वीप में रहना पड़ता है। उन कठिनाइयों को देखते हुये माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि उस क्षेत्र से केवल एक सदस्य पर्याप्त नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

जहां तक श्री मधु लिमये के सुझाव का सम्बन्ध है उससे मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। लोकसभा के लिये सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है जब कि राज्य सभा के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हमारे संविधान में इस विषय में विसंगति है। इसके अतिरिक्त कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा है तथा कुछ में नही है। लक्कदीव संघ राज्य क्षेत्र में कोई विधान सभा नहीं है तथा मेरे विचार से यह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र ही रहेगा। इस स्थिति में राज्य सभा के लिये वहां से कोई सदस्य आही नहीं सकता। अतः

[श्री पी० एम० सईद]

मेरा सुझाव है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से लोक सभा के लिए एक और सदस्य होना चाहिये तथा एक राज्य सभा के लिए भी होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरी) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक में लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढाकर 545 करने का प्रस्ताव किया गया है । यह बात स्पष्ट नही है कि सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की क्या विवशता है तथा उसके लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है । इस बारे में सरकार के पास केवल यही तर्क हो सकता है कि परिसीमन अधिनियम 1972 में बन गया था।

मेरा निवेदन है इस विधेयक का तब तक कोई महत्व नही होगा जब तक सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करती तथा देश में न्यायोचित चुनावों की व्यवस्था नहीं करती । मुख्य निर्वाचन, आयुक्त ने निर्वाचन कानूनों में विभिन्न संशोधनों का सुझाव दिया गया है किन्तु सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कम्पनी अधिनियम में तीन वर्ष पूर्व संशोधन किया गया था किन्तु सरकार ने उनके आधार पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाए । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यक कानून बनाए जाने में असाधारण विलम्ब किये जाने के क्या कारण है।

वर्ष 1964 से जनता की यह मांग रही है कि सभी राजनीतिक दल प्रतिवर्ष अपने लेखापरिक्षित लेखे प्रस्तुत करे किन्तु सत्तारूढ दल ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली । वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने से जनता को ज्ञात हो सकता है कि विभिन्न दलों को कहां कहां से कितना कितना धन प्राप्त होता है । मैं सत्तारूढ दल पर आरोप लगाता हूं कि केवल सत्ता के लालच के कारण वह चुनाव कानूनों में आवश्यक संशोधन नही करना चाहता।

आश्चर्य की बात है संयुक्त समिति ने चुनाव कानूनों (संशोधन) विधेयक में यह उपबन्ध सम्मिलित किये जाने के सुझाव को स्वीकार नही किया कि राजनीतिक दलों को लेखा परीक्षित लेखे प्रकाशित करने चाहिये जब कि जनता ने इसकी एक मत से मांग की है । मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक व्यापक कारण बनाया जाना चाहिये ।

लोक सभा की सीटों के लिये जनसंख्या को मानदण्ड माना जाना भ्रामक है तथा असंतुष्ट है । इसका परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि परिवार नियोजन की सफलता से किन्ही राज्यों से लोक सभा की सीटे कम हो सकती है । तामिलनाडु इसका ज्वलंत उदाहरण है ।

श्री गिरीधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों भी है । जनसंख्या के हिसाब से सीटें निर्धारित करना ठीक है किन्तु कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां जनसंख्या कम है किन्तु क्षेत्र बडा है । उनमें से कोरापुट जिला भी ऐसा ही एक हैं । मेरा सुझाव है कि एक संसद-सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र 6 विधान सभा संदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के बराबर होना चाहिये । जिन क्षेत्रों की जनता कि आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से बिघडी हुई है उसको

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये जिससे उनकी कठिनाइयों का देश को पता चल सके। जनता के प्रतिनिधियों का कार्य जनता की कठिनाइयों को दूर करना है अतः वे उत्तर-दायी व्यक्ति होते है । इन शब्दों के साथ हम विधेयक समर्थन करता हूं तथा सुझाव देता हूं कि सीटों का विरोध जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों के आधार पर होना चाहिये ।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : मैं विचाराधीन विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मेरा यह भी विचार है कि लोक सभा के स्थानों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा रही हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के अधिक विस्तृत होने के कारण उम्मीदवार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचार नहीं कर पाते । देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी किसी उम्मीदवार के लिये यह अत्यंत कठिन है कि वह पूरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर सके ।

इसके अतिरिक्त जनता भी हम पर यह आरोप लगाती है कि हमारा उम्मीदवार केवल पांच वर्ष में केवल एक बार हमारे समक्ष आता है । सभा के कार्यों तथा विभिन्न समितियों के कार्यों के पश्चात सदस्यों के पास इतना समय ही नही बचता कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की पूरी जनता से सम्पर्क स्थापित कर सके। अतः मेरा सुझाव है कि लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार पांच विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के बराबर होना चाहिये।

जहां तक आदिवासी क्षेत्रों का सम्बन्ध है मेरा सुझाव है कि वहां से सदस्यों का नामांकन होना चाहिये क्यों कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी असुविधाओं के कारण उम्मीद-वारों को अत्यंत कठिनाई होती है । अतः अन्त में मेरा सुझाव है कि लोक सभा के लिये अधिक से अधिक सीटों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जनता को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : सर्व प्रथम मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंनें इस चर्चा में भाग लिया है तथा मूल्यवान सुझाव दिये है ।

जहां तक 525 सीटों के निर्धारण में अपनाई गई कसौटी का प्रश्न है, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं उसका एक आधार तो यह है कि राज्यों का वर्तमान प्रतिनिधित्व कम नहीं तथा इससे यह कि छोटे राज्यों का वर्तमान प्रतिनिधित्व भी बना रहे। इस आधार पर यह संख्या 525 ही बनती हैं । जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है उसके आधार पर बडे राज्यों को दो स्थान छोंडने पडते तथा छोटे राज्यों को चार स्थान किन्तु सरकार पूर्ण स्तर बनाए रखना चाहती हैं । अतः सीटों की संख्या 525 बनती है । इस विधेयक का यही उद्देश्य है कि किसी राज्य पर सीटों के बारे में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे । इन 525 सीटों का बटवारा परिसीमन आयोग द्वारा किया जायगा । अतः स्थानों की संख्या में वृद्धि का जनसंख्या में वृद्धि से कोई सम्बन्ध नही है । एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या 1981 की जनगणना के आधार पर यदि जनसंख्या में वृद्धि हुई, इन स्थानों में वृद्धि की जाएगी। मेरा विचार है कि उससे स्वतः कोई प्रभाव नही पडेगा । यदि विशेष परिस्थितियों उत्पन्न हुई तो कुछ परिवर्तन हो सकता है।

जहां तक अनुच्छेद 81(2)(ख) सम्बन्धी उपबन्ध की व्यवस्था का सम्बन्ध है इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों को लोक सभा में वर्तमान स्तर पर प्रति-निधित्व दिया जाता है जिससे इन संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा मिलने से कोई हानि न रहे। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या 37 रहेगी तथा अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से

[श्री नीतिराज सिंह]

प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की मांग की है जब कि कुछ माननीय सदस्यों ने उसमें कमी की मांग की है । वास्तव में दिल्ली पर धारा 42 लागू होती है तथा अंडमान, निकोबार, चन्दीगढ आदि पर अन्य कानून लागू होते है ।

जहां तक निर्वाचन कानून सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है सरकार उसकी जांच करवाती है । आशा है उस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा तभी संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जाएगा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि सत्तारूढ दल के हितों के लिये की जा रही है । खेद है कि वह यहा उपस्थित नही है । इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 82 की ओर दिलाना चाहता हूं । परिसीमन अधिनियम पारित करके संसदने सीटों के सामन्जस्य का कार्य परिसीमन आयोग को सोंप दिया है ।

स्वायत्तशासी पर्वतीय जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण के बारे में मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसे परिचालित कर दिया गया है । इससे माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान हो जाएगा ।

श्री मधु लिमये ने अमरीकी पद्धति का उल्लेख करते हुये राज्य सभा में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की है । उन्होनें सदस्यों के लिये अनुसचिवीय सुविधाओं की भी मांग की है। माननीय सदस्य को स्मरण होना चाहिये कि संविधान के अनुच्छेद 1(1) में भारत को राज्य संघ कहा गया है । माननीय सदस्य चाहे तो उस रिपोर्ट की एक प्रति ले सकते है जिसमें संविधान सभा में इस विषय पर हुए वाद-विवाद का उल्लेख है ।

सुविधाओं के विषय में माननीय सदस्य को याद होगा कि चौथी लोक सभा के दौरान एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उसने यह निर्णय दिया था कि सदस्यों के दैनिक भत्ते में 20 रुपये की वृद्धि कर दी जाए जिसे उक्त सुविधाओं के लिये उपयोग किया जा सके। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि श्री डी० एन० तिवारी के नेतृत्व में यह समिति अब भी इस मामले तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार कर रही हैं ।

श्री गोस्वामी ने अनुच्छेद 330 का हवाला देते हुए कुछ टिप्पणियों की हैं । अनुच्छेद 330(ख) में आसाम के आदिवासी क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया, अत: 330 (ग) में उसके लिये विशेष व्यवस्था की गई है अर्थात् आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है । आशा है सदन अब इस विधेयक को सर्वसम्मत से स्वीकार करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" ।

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ ।

The Lok Sabha devided.

अध्यक्ष महोदय : मतविभाजन का परिणाम यह है :—

पक्ष में—294, विपक्ष में—8

Ayes—294, Noes—8

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha devided.

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में	298;	विपक्ष में	5
Ayes	298;	Noes	5.

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the members present and voting.

खण्ड 2 विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2—

पंक्ति 1 के स्थानपर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करिये —

"3.(1) In article 330 of the constitution.

(a) in sub-clause (b) of clause"

["3(1) संविधान के अनुच्छेद 330 में (a) खण्ड के उप खण्ड (ख) में]

[2]

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करिये —

(b) after clause (2), The following clause shall be inserted, namely :

"(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous District of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that state a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous Districts bears to the total population of the state.".

[(ख) खण्ड (2) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) खण्ड (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी आसाम में स्वायत्त शासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित लोक सभा में स्थानों की संख्या उक्त राज्म को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के हिसाब से होगी जिसका अनुपात, उक्त स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तथा उस राज्य की कुल जन संख्या के अनुपात के बराबर होगा।'

[3]

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड तीन में संशोधन संख्या 2 और 3 को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 1, के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए :—

"3(1) संविधान के अनुच्छेद 330 में ,—

(क) खण्ड के उपखण्ड (ख) में :

Page 2,—

after line 10, *insert* —

'(b) after clause (2), the following clause shall be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved to the House of the People for Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that state a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts to the total population of the state".

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित जोडिए —

[(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) खण्ड (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जातियों के आरक्षित लोक सभा में स्थानों की संख्या उक्त राज्य के आवंटित स्थानों की कुल संख्या के हिसाब से होगी जिसका अनुपात स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या तथा उस राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के बराबर होगी।"]

[3]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

लोकसभा में मत विभाजन ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 314; विपक्ष में 5

Ayes 314; Noes 5

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4
Clause 4

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है . . .

"खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।,"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha devided.

पक्ष में 318; विपक्ष में 5

Ayes 318; Noes 5

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than the two thirds of Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 4, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है और यह पक्षपातपूर्ण है । संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर चर्चा की थी कि क्या लोक सभा में स्थानों की संख्या का सम्बन्ध जनसंख्या से होगा । यदि इसका संबंध जनसंख्या में वृद्धि से है तो एक दिन ऐसा आयेगा जब कि इतने सदस्यों के बैठने का प्रबन्ध करना कठिन हो जायेगा । इस लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह संख्या 500 नियत की गई थी, यह अधिकतम संख्या थी।

इस विधेयक में ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं बताया गया है कि सदस्यों की संख्या क्यों बढाई जा रही है । हो सकता 15 अथवा 20 वर्ष पश्चात जनसंख्या 100 करोड हो जाये तब तो इलैक्ट्रोल कालेज की समूची पद्धति पुन: बनानी पडेगी । तब तक के लिए हम लोगों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांन्त बनाने चाहिए । इस विधेयक में स्थानों की संख्या बढ़ाये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है । 1971 में 10.7 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि रखा गया था । इस तरह से दिल्ली को सात के बजाये केवल चार स्थान ही मिलने चाहिए थे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इस सदन में सत्तारूढ़ दल का पर्याप्त बहुमत है और यह विधेयक आपसी से पास हो जायेगा । अत: आप दूसरी और के सदस्यों को कहें कि वे धैर्य से श्री गुह की बात सुने।

अध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री समर गुह : माननिय मंत्री ने कहा है कि स्थानों का बढ़ाया जाना आवश्यक है क्यों कि कुछ नये राज्य बन गये है । मै कह रहा था कि यदि जनसंख्या को आधार माना होता तो दिल्ली को सात के बजाये चार और गोआ कों छ: के बजाये चार और हिमाचल प्रदेश-को चार के बजाये तीन ही स्थान मिलने चाहिये थे। इसी प्रकार कुछ अन्य राज्य को भी कम स्थान मिलने चाहिये थे जब कि इस समय उनको अधिक स्थान मिले हुए है, मेरा निवेदन यह है कि स्थानों के पुनर्निर्धारण तथा उनको युक्ति संगत बनाने से इन नये राज्यों को लोक सभा म स्थान दिये जा सकते थे और इसके लिए लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या बढाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । हमें सन्देह है कि सदस्यों की कुल संख्या में वृद्धि सत्तारूढ़ दल के लाभ के लिए कीं जा रही है । चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन इस प्रकार किया जायेगा जिससे कि विरोधी दलों को और कमजोर किया जा सकेगा । अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : मैं ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि लोक सभा की संख्या को 500 तक ही सीमित रखा जाना चाहिए । पिछले दस मिनटों में जो भाषण हुए उससे मेरी बात कों पुष्टि होती है। मैंने जो कारण बताये थे वही कुछ अन्य सदस्यों ने भी बताये हैं । आज इस सभा में लगभग 300 सदस्य हैं और इन से ही आप देख सकते हैं कि कितना शोर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सभा में बहुत भीड़ हो। यदि सदस्यों की संख्या 500 से बढ गई तो सभा में नियंत्रण रखना कठिन हो जायेगा । अत: मेरा विरोध है कि सदस्यों की संख्या 500 से न बढाई जाय। अत: इस विधेयक को सभा में लाने में कोई औचित्य नही।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : ऐसा लगता है कि जब मैंने वाद-विवाद का उत्तर दिया था उस समय श्री गुह और श्री मोदी सभा में उपस्थित नही थे, मैंने सभी बातों का उत्तर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : "दिर्घा खाली" कराई जाये

प्रश्न यह है,

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 316, विपक्ष में 7

Ayes 316, Noes 7

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

पूर्वोत्तर पहाडी विश्वविद्यालय विधेयक—जारी

NORTH-EASTERN HILL UNIVERSITY BILL-*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० नुरुल हसन द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विधेयक पर आज चर्चा होगी :

"कि पूर्वोत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के लिये शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर चर्चा के लिए 55 मिनट का समय बचा हुआ है। श्री मूल चन्द डागा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

Shri M. C. Daga (Pali) : I was drawing the attention of the Hon. Minister to clause (4). I fail to understand how University can improve the social and economic conditions of the Hill areas. It is the function and duty of a welfare state. It can not be an object of any University. I have not seen such a provision in any other act relating to the establishment of any other University.

It seems that clause 8 and 25 are contradictory. The Visitor of the University will be President. The Executive Council has been empowered to curtail the powers. It means the Executive Council of the University has been placed higher than the President. I think it is not good.

There is no provision in the Bill for making rules. It has been said that the general principles on which the rule making power is based are that the rules and regulations should be laid before Parliament. Who will examine the rules and regulations as and when they are framed. Moreover nothing has been said about participation of the students in administration. There is no such provision in the Bill. It has been said that any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall at the request of such student, be referred to a Tribunal. But it has not been defined as to who will constitute the Tribunal. No definition has been given about Tribunal in the Bill. Nothing has been said about the time limit for making a appeal.

[Shri M. C. Daga]

In clause 38 it has been said that no suit or legal proceeding shall lie against any officer or employee. In this context. I want to know what will happen to the representatives and executive councils. No guidelines have been prescribed for the Visitor. Nothing has been said as how the vice-chancellor etc. will be appointed. How the seniority of the teachers will be fixed.

In the Bill it has not been made compulsory for the colleges to affiliate themselves with the University. I, therefore, say that almost all the clauses of the Bill are defective and they need deep study. I request that this Bill should be referred to Joint Committee and should be brought back before the Parliament after necessary improvements.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I rise on a point of Order. It has been stated in rule so that a Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall however be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and state also whether they are of a normal or exceptional character.

A memorandum has also been placed before the House alongwith the Bill. In the last it has been said therein that the delegation of legislative powers is of a normal character. What I want to say is that no principles have been prescribed in this Bill on the basis of which rules and regulations will be framed. Is it not the right of the Parliament to ask the Government for main principles and which the executive Council or visitor will frame the rules or other things? It is not clear from the Bill as to what will be the set-up of the University. My submission is this that Government should keep the rule making powers in his own hands. The law Minister should be consulted in this matter.

श्री नुरूल हसन : माननीय सदस्य एक बात भूल रहे हैं वह यह कि नियम काफी विस्तृत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का प्रश्न यह नहीं है कि कानून काफी विस्तृत नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक बात कानूनों पर ही छोड़ दी गई है जो कि बाद में बनाये जायेंगे। पहले बताये गये विश्वविद्यालय अधिनियमों से यह एक पृथक बात है। कोई, योजना बोर्ड, कार्यकारी परिषद, कार्यकारी निगम, पदोन्नति आदि के तरीकों के बारे में विधेयक में उपबन्ध किये जाने चाहिये थे। जो भी चीज छोडी गई है उसको सभापटल पर रखा जाना चाहिए।

प्रो० एस० नुरुल हसन : 1964 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक में जो सिद्धान्त अपनाया गया था वही सिद्धान्त इस विधेयक में भी अपनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामले में भी प्रथम कुलपति, उपकुलपति, प्रथम कार्यकारी परिषद तथा प्रथम कोर्ट आदि के सदस्यों को विजिटर द्वारा कुछ अवधि के लिये नामनिर्देशन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप का कहने का अर्थ यह है कि यह विधेयक अस्थायी है और यदि दो वर्ष पश्चात इस विधेयक का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

प्रो० एस० नुरुल हसन : विभिन्न निकायों की शक्तियों को इस विधेयक में दिया गया है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि प्रथम निकायों का गठन विजिटर द्वारा किया जायेगा और तीन वर्ष के भीतर सरकार फिर सभा के समक्ष आयेगी।

श्री मधु लिमये : किस सिद्धान्त पर। उसका ढांचा तथा रूपरेखा क्या होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम देखूंगा और फिर आपको बतलाउंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरा विचार भी नही है कि इस विधेयक के उपबन्धों में अनेक त्रुटियां है। इस विधेयक में कोई भी व्यक्ति जिसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय कानूनों का ज्ञान है, त्रुटियां निकाल सकता है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।**
Shri K. N. Tiwary *in the chair.*]

मेरे विचार में इस समय हमें विश्वविद्यालय की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कार्य में और विलम्ब नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री बाद में इस सदन में एक संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार करने में अधिक सावधानी से काम नहीं लिया है । परन्तु यदि इस विधेयक को पास करने में विलम्ब किया गया तो अनेक राजनैतिक जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी, दूसरे इस का अर्थ यह होगा कि विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक वर्ष तक स्थापित नहीं हो सकेगा । इसमें पर्वती क्षेत्र के विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होगी क्यों कि गोहाटी और डिब्रुगढ विश्वविद्यालयों ने आसामी को शिक्षा का माध्यम घोषित किया है ।

1963 में इस सदन के चार सदस्यों ने इस क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर जोर दिया था, अतः इस मामले को चलते हुए दस वर्ष हो गये हैं। इस मामले को जांच के लिए 1963 में ही वाडिया समिति नियुक्त की गई थी, इस समिति ने 1964 के अन्त में अपनी सिफारिशें दी थी और ये सिफारिशें विश्वविद्यालय की स्थापना के पक्ष में थी। 1965 में आसाम विधान मण्डल ने एक संकल्प पारित किया जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कानून बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी थी । परन्तु उस समय वहां कोई दूसरा विधान मण्डल नहीं था जो ऐसा संकल्प पास कर सकता। अतः उस समय संवैधानिक आवश्यकता पूरी नही हो सकी। परन्तु 1972 में मेघालय विधान मण्डल ने अपेक्षित संकल्प पास कर दिया। परन्तु इस बीच आसाम ने अपने पहले संकल्प को रद्द कर दिया और उसने यह बात स्पष्ट कर दी कि वह आसाम राज्य को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बांध रखेंगे। अतः एक बार पुनः संवैधानिक अडचन उत्पन्न हो गई परन्तु इस वर्ष फरवरी में नागालैण्ड विधान सभा ने इस आशय का संकल्प पास करके इस संवैधानिक बाधा को दूर कर दिया। अतः इस सारे कार्य में दस वर्ष का समय लग गया । अब हमें इस की स्थापना में और विलम्ब नहीं करना चाहिए । अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मुझे आशा है कि नये विश्वविद्यालय की स्थापना से राष्ट्र के एकीकरण में सहायता मिलेगी और उस क्षेत्र के लोग भी स्वयं को चरित्र का एक अंग समझने लगेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य को आरंभ किया जाना चाहिए और हमें विधेयक को पास कर देना चाहिए। बाद में इस विधेयक में संशोधनों द्वारा सुधार किये जा सकते है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 मई, 1973/19 वैशाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, May 9, 1973/Vaisakha 19, 1895 (saka).